खण्ड-111, अंक-5
शुक्रवार, 18 आश्विन, शक संवत् 1874
(10 अक्टूबर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 111 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १० अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्तजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव दत्त गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशव राम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल शाक्यायी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चितर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री,
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
निरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
विशम्बर सिंह, श्री
वेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री

मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मात श्री
राघवेन्द्र प सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद पोद्दार, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर उपाध्याय, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनागर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाँडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पान्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस की माफी

*१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया यह बताएगी कि गोरखपुर में डिप्टी मिनिस्टर श्री रावत जी से उत्तर प्रदेश छात्र कांग्रेस के मंत्री गोरखपुर जिले के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सहायता की बाबत मिले थे ? अगर हाँ तो उनकी क्या मांगें थीं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--गोरखपुर में डिप्टी मिनिस्टर श्री रावत जी से विद्यार्थियों के कई समुदाय मिले थे, परन्तु किसी विशेष समुदाय की ओर से उनसे कोई सज्जन नहीं मिले थे। विद्यार्थियों की सहायता के संबंध में केवल उनकी फीस माफ कर देने की ही मांग थी।

*२--श्री झारखंडे राय--सरकार पूर्वी यू० पी० के अभावग्रस्त जिलों के विद्यार्थियों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--अभावग्रस्त जिलों में जिलाधीशों को यह आदेश दे दिये गए हैं कि पूर्वी यू० पी० के उन जिलों में, जहाँ आवश्यकता हो, शिक्षा संहिता के प्रस्तर ११५ तथा ११६ के अधीन विद्यार्थियों की २० प्रतिशत पूरी और ३० प्रतिशत आधी फीस माफ करने की आज्ञा प्रदान कर दें।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदेश जिलाधीश को कब दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम--२० सितम्बर को दिया गया था।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार को यह पता है कि देवरिया जिले में अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है ?

डाक्टर सीताराम--पता लगाया जायगा। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री भारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० सितम्बर को माननीय रावत जी ने जो वक्तव्य अखबारों में दिया था उसमें यह कहा था कि जुलाई, अगस्त और सितम्बर की फीस अभावग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों से नहीं ली जायगी ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--जुलाई, अगस्त और सितम्बर की फीस, गोरखपुर जिले के लिये वहाँ के जिला मैजिस्ट्रेट ने जितनी भी वहाँ की शिक्षा संस्थायें हैं, उनके अध्यक्षों को यह सूचना दी कि उन विद्यार्थियों की फेहरिस्त भेज दी जाय और उनकी फीस माफ भी हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि २० सितम्बर के बाद जिन विद्यार्थियों का नाम फीस न देने के कारण कट गया है, उनका भी फिर से नाम लिखवाने का प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर सीताराम--विचार तो जरूर करेंगी।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये फीसें पर्वतीय इलाकों में भी माफ की जायंगी ?

डाक्टर सीताराम--इस तरह का कोई विचार नहीं है।

श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने विद्यार्थियों की फीसें माफ की जा चुकी हैं ?

डाक्टर सीताराम--अभी इसकी कोई सूचना नहीं है।

रामपुर जिले के काश्तकारों का लगान

*३--**श्री कल्यान राय** (जिला रामपुर)--क्या सरकार को यह मालूम है कि रामपुर जिला के काश्तकारों को १० रु० से लेकर १५ रु० फी बीघा कच्चा लगान देना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या इस लगान की दर दूसरे जिलों की भाँति कम करने का विचार है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--जी नहीं। रामपुर जिले में लगान की दर उसके पास के जिलों के मुकाबले में ज्यादा जरूर है पर बहुत ज्यादा नहीं।

बढ़े हुये मूल्यों को देखते हुये रामपुर में लगान की दर को कम करने का कोई विचार नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वहाँ लगान की दर क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--रामपुर में लगान का एवरेज १० रु० फी एकड़ है।

श्री बहवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या रामपुर जिले में सर्किल रेट बना हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हाँ।

लखनऊ जुओलोजिकल गार्डन के चारों ओर पक्की दीवार का निर्माण

*४--**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहाँपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ जुओलोजिकल गार्डन के चारों ओर एक पक्की दीवार बनायी जा रही है ? यदि हाँ तो किस कीमत पर और क्यों ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--जी हाँ। इसमें लगभग एक लाख चार हजार सात सौ सत्तानवे (१,०४,७९७) रुपया लगेगा। यह दीवार इस लिये

बनाई जा रही है कि उद्यान की बाहरी भवेशियों से रक्षा की जा सके तथा जू को और प्रदेशों की भांति बनाया जा सके।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुओलाजिकल गार्डन्स के अन्दर के जानवरों का बाहर के जानवरों से कितना नुकसान हुआ है ?

श्री बनारसी दास--इस के लिये तो पहले से सूचना की जरूरत है।

तारांकित प्रश्न

नार्मल जे० टी० सी०, बी० टी० तथा एल० टी० ट्रेनिंग के लिए हरिजनों को सुविधायें।

*१--**श्री धर्म सिंह** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी मंजूरशुदा जे० टी० सी० तथा एल० टी० के लिए खुर्जा में कितने प्रार्थना-पत्र दाखिले के लिये आये ?

डाक्टर सीताराम--जे० टी० सी० .. १६५
एल० टी० .. १२८

श्री धर्म सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १६५ तथा १२८ प्रार्थना-पत्रों में कितने हरिजनों के थे ?

डाक्टर सीताराम--जे० टी० सी० के लिये हरिजनों के सिर्फ दो ही आवेदनपत्र थे।

श्री धर्म सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जे० टी० सी० में १० फीसदी का पालन क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सीताराम--क्योंकि उनकी योगयता उतनी नहीं थी कि चुनाव हो जाय, इसलिये नहीं चुने गये।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १६५ जे० टी० सी० में कितने ऐसे हैं जिनको प्राइवेट रूप से दाखिल किया गया ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जे० टी० सी० के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है ?

डाक्टर सीताराम--न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल परीक्षा होनी चाहिये।

*२--**श्री धर्म सिंह**--उपरोक्त संस्थाओं में कितने विद्यार्थियों को चुनाव में लिया गया और उनमें से कितने हरिजन विद्यार्थी हैं ?

डाक्टर सीताराम--जे० टी० सी० अन्य--६०

हरिजन	..	१
एल० टी०	..	५५
हरिजन	..	शून्य

*३--**श्री धर्म सिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा सम्बन्धी ट्रेनिंग, नार्मल जे० टी० सी०, बी० टी० तथा एल० टी० संस्थाओं में हरिजनों को दाखिले के लिए कुछ विशेष सुविधायें हैं ? यदि हाँ तो कितने प्रतिशत ?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ। १० प्रतिशत योग्य हरिजनों के लिये सरकारी संस्थाओं में सुविधायें हैं।

*४-६--श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)-- [देखिये आगे पृष्ठ ---------३५०-पर]

*७-९--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०-१२--राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३-१४--श्री भगवान सहाय--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५-१७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया ।]

*१९-२०--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये]

*२१-२२--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--[७ नवम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

आरबिट्रेशन बोर्ड, बनारस रीजन, (शिक्षा विभाग) द्वारा दरख्वास्तों के फैसले

*२३--श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत शिक्षा वर्ष सन् १९५१-५२ ई० में आरबिट्रेशन बोर्ड, बनारस रीजन (शिक्षा विभाग) में कितनी दरख्वास्तें पड़ीं और आज तक कितनी दरख्वास्तों का फैसला हुआ ?

डाक्टर सीताराम--चार दरख्वास्तें पड़ीं और दो का निर्णय हुआ ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल, जिला बनारस के प्रिंसिपल के प्रार्थनापत्र की सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हुई ?

डाक्टर सीताराम--क्यों कि वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट अभी नहीं आई है ।

*२४-२६--श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७-२९--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।)

*३०-३२--श्री नेकराम शर्मा--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*३३-३४--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--[२४ अक्तूबर १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*३५-३७--श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।)

*३८-३९--श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ -------३५१-पर]

नार्मल स्कूलों में हरिजन छात्राध्यापक

*४०--श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नार्मल स्कूल हैं ?

डाक्टर सीताराम--५१ लड़कों के और ११ लड़कियों के।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार स्त्री शिक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से ११ से अधिक गर्ल्स नार्मल स्कूल्स खोलने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ।

*४१--श्री शिवनारायण--उपरोक्त नार्मल स्कूलों में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने छात्राध्यापक हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम--लड़कों के स्कूलों में हरिजन छात्राध्यापकों की संख्या २६१ है। लड़कियों के स्कूलों की हरिजन छात्राध्यापिकाओं की संख्या अभी एकत्रित की जा रही है।

श्री शिवनारायण--क्या यह २६१ की संख्या एक आनुपातिक संख्या है ?

डाक्टर सीताराम--अभी यू० पी० की टोटल संख्या मालूम नहीं है। जब पूरी संख्या मालूम हो जायेगी उसके अनुसार तब बतलाया जा सकेगा कि यह संख्या आनुपातिक है या या नहीं।

श्री शिवनारायण--क्या हरिजन छात्राध्यापिकाओं की लिस्ट तैयार हो जाने पर सरकार सूचना देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ।

जिला बोर्ड, लखनऊ द्वारा ४३ प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने का निश्चय

*४२--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या लखनऊ जिला बोर्ड ने ४० से अधिक प्राइमरी स्कूल तोड़े जाने की आज्ञा दी है, जिससे देहात के लगभग २ हजार विद्यार्थियों की पढ़ाई में भारी क्षति पहुंचने की सम्भावना है ?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ, लखनऊ जिला बोर्ड ने इस वर्ष ४३ प्राइमरी स्कूलों के तोड़ जाने का निश्चय किया है, पर इससे पढ़ाई में क्षति पहुंचने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि प्रत्येक ग्राम के डेढ़ मील के अन्दर एक स्कूल अवश्य रहे।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह निश्चय अभी तक कार्यान्वित हुआ या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--अभी निश्चय हुआ है इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन स्कूलों में से अधिकांश स्कूल बड़े पुराने स्कूल हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--हाँ, हो सकता है, लेकिन सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन स्कूलों के तोड़े जाने से बड़ा भारी असंतोष जनता में है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--असंतोष की परिभाषा तो भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन जहाँ तक लड़कों को पढ़ाने का सम्बन्ध है उसका प्रबन्ध तो किया ही जा रहा है।

*४३--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हाँ में है, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन स्कूलों के तोड़ जाने का क्या कारण है और क्या सरकार इन स्कूलों को कायम रखने का प्रयत्न करेगी ?

डाक्टर सीताराम--विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त न होना इन स्कूलों के तोड़े जाने का कारण है। अतः इनको कायम रखने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बोर्ड, लखनऊ के अधीन प्राइमरी, जूनियर तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या

*४४--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--लखनऊ जिला बोर्ड के अधीन कितने प्राइमरी, कितने जूनियर और कितने हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं और सरकार कितना धन शिक्षा कार्य के लिए बोर्ड को देती है ?

डाक्टर सीताराम--लखनऊ जिला बोर्ड के अधीन ३६४ प्राइमरी स्कूल, २३ जूनियर हाई स्कूल और १ हायर सेकेन्डरी स्कूल है। १९५१-५२ में बोर्ड को शिक्षा के लिए ४, ७८, ४२३ रुपये सरकार ने दिए।

म्युनिसिपल बोर्ड, हाथरस के अध्यापकों के वेतन के लिये सरकारी सहायता

*४५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, हाथरस के अध्यापकों के वेतन के लिए प्रदेशीय सरकार से जो सहायता दी जाती है उसमें से कितना रुपया उन्हें सन् १९५०-५१ तथा सन् १९५२ ई० में दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--सरकार केवल अध्यापकों के वेतन के लिये नगरपालिका को सहायता नहीं देती बल्कि अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की पूरी योजना के लिये सहायता देती है, जिसमें अध्यापकों के वेतन के हेतु भी धनराशि सम्मिलित होती है। १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में अध्यापकों को वेतन देने के लिये ४८, ७८१ रुपये नियत किये गये थे और बोर्ड ने निम्नलिखित व्यय किया था--

१९५०-५१--५४,७०७ रु०
१९५१-५२ --४२, १९८ रु०

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जो धनराशि अध्यापकों के वेतन के लिये देती है उसमें म्युनिसिपल बोर्ड भी कुछ रकम वेतन देने के लिये मिलाती है ?

डाक्टर सीताराम--जी, मिलाती है।

*४६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या यह सच है कि उक्त रकम किसी दूसरी मद में खर्च कर दी गई और अध्यापकों को नहीं मिल सकी ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

गवर्नमेन्ट मॉडल स्कूल, हरदोई के अध्यापकों की वेतन वृद्धि तथा वेतन में असमानता

*४७--श्री किन्दर लाल (जिला हरदोई)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गवर्नमेन्ट मॉडल स्कूल, हरदोई के अध्यापकों को सन् १९४७ ई० से १९४९ ई० तक का इंक्रीमेन्ट का रुपया अभी तक नहीं दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--दिया जा चुका है।

*४८--श्री किन्दर लाल--यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों को उनका पिछला बकाया दिलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न नहीं उठता।

*४९--श्री किन्दर लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्कूल में एक ही आज्ञापत्र के अनुसार नियुक्त होने वाले अध्यापकों के वेतन में असमानता पाई जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दूर करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ। कुछ विशेष प्रयोजनों के कारण ऐसी असमानता है। जाँच करने के उपरान्त यदि सम्भव होगा तो यह असमानता दूर कर दी जायगी।

श्री किन्दर लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वेतन में इन अध्यापकों में असमानता है ?

डाक्टर सीताराम--कृषि और काष्ठकला को पढ़ाने के लिये जो अध्यापक रखे गये हैं उनके वेतन में जरूर असमानता पाई जाती है।

श्री किन्दर लाल--इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार कब तक प्रयत्न करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--इस पर विचार किया जायगा ।

श्री शिव नारायण--यह जो ऐग्रीकल्चर के टीचर्स हैं उनको एल० टी० से एक्जेम्ट करने का सरकार विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम--इस पर विचार निकट भविष्य में किया जायगा ।

*५०-५१--**श्री वसन्त लाल शर्मा** (जिला बहराइच)--(अनुपस्थित) [देखिये आगे पृष्ठ ३५१ पर]

*५२-५४--**श्री गंगा प्रसाद**--(जिला गोंडा) [१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*५५--**श्री केशव पांडेय**--(जिला गोरखपुर)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*५६--**श्री केशव पांडेय**--[संख्या ५१ के अन्तर्गत १७ सितम्बर, १९५२, को उत्तर दिया गया।]

*५७--**श्री केशव पांडेय**--[१५ अक्तूबर, १९५२ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*५८-६०--**श्री शिवकुमार मिश्र** (जिला शाहजहाँपुर)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*६१-६२--**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)--[१५ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३--**श्री पातीराम** (जिला फर्रुखाबाद)--[२४ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*६४--**श्री बाबू लाल मोतल** (जिला आगरा)--[२४ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*६५-६७--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

हायर सेकेन्डरी स्कूलों में एक ही विषय पर विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें

*६८--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मान्य हायर सेकेन्डरी स्कूलों में एक जिले में ही नहीं वरन् एक ही नगर में स्थापित स्कूलों में एक ही विषय की विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें चलाई जाती हैं, और एक स्कूल से नाम कटाकर उसी नगर के दूसरे स्कूल में जाने पर विद्यार्थियों को दूसरी पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ।

*६९--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या शिक्षा मंत्री इस असुविधा को देखते हुये किसी ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जिससे एक डिवीजन में या एक जिले में कम से कम पाँच वर्ष तक एक विषय की एक ही पुस्तक चलाई जाय ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुस्तकों के बार-बार बदलने के कारण पढ़ाई-लिखाई की प्रगति में बहुत बाधा पड़ रही है ?

डाक्टर सीताराम--ऐसा सम्भव हो सकता है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पाँच वर्ष तक एक जिले में एक ही तरह की पुस्तक चलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--जहाँ तक पुस्तकों का संबंध है वह बोर्ड द्वारा निश्चित होती हैं उनसे इस बात की सिफारिश की जा रही है कि किताबों को जल्दी जल्दी न बदलें।

भदैनी (बनारस) स्थित अंध विद्यालय को सरकारी सहायता की आवश्यकता

*७०--श्री झारखन्डे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भदैनी (बनारस) स्थित अंध विद्यालय को गत तीन वर्षों में कितनी कितनी सरकारी सहायता मिली है?

डाक्टर सीताराम--कुछ नहीं।

*७१--श्री झारखन्डे राय--क्या सरकार बतायेगी कि उसमें कितने मास्टर, कितने विद्यार्थी हैं और उसकी क्या वर्तमान स्थिति है?

डाक्टर सीताराम--अध्यापक ४, विद्यार्थी १०, विद्यालय की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। वह एक किराये के भवन में स्थित है और जनता द्वारा संगठित एक समिति उसका संचालन करती है।

श्री झारखन्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी उस विद्यालय की आर्थिक दशा देखते हुए सरकार की ओर से कुछ सहायता देने का विचार करेंगे?

डाक्टर सीताराम--जी हां। जब मैनेजर्स की रिटर्न आ जायगी तो १९५२-५३ में उनको १५ सौ रुपया देने का विचार किया जायगा।

सुल्तानपुर जिले में राजकीय पाठशालाओं के भवन निर्माणार्थ सहायता न देना

*७२--श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सुल्तानपुर जिले में बहुत सी राजकीय पाठशालाओं का निर्माण करने के लिये सरकार की ओर से सहायता नहीं प्रदान हुई और वे धराशायी हो गई?

डाक्टर सीताराम--कुछ भूतपूर्व सरकारी प्रारंभिक पाठशालाओं के भवन निर्माणार्थ सहायता देना संभव नहीं हो सका है, पर उनके धराशायी होने का कारण सहायता का न मिलना नहीं कहा जा सकता।

श्री रामबली मिश्र--क्या सरकार बतायेगी कि उन स्कूलों के धराशायी होने का क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम--हो सकता है कि वे मकानात कमजोर बनाये गये हों।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे स्कूल हैं जो धराशायी हो गए हैं?

डाक्टर सीताराम--दो तो ऐसे स्कूल हैं, जिनको पूरी सहायता दी गयी थी और सात ऐसे स्कूल हैं, जिनको एक हजार रूपये से कम सहायता दी गयी थी।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि राजकीय पाठशालाओं के लिये जो धन सहायता स्वरूप गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता था वह अब बन्द कर दिया गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि राजकीय पाठशालाओं के निर्माण के लिये फी स्कूल जो एक हजार रुपया देना तय किया था क्या वह जारी है।

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, सुल्तानपुर के मकान बनाने पर रोक

*७३--श्री रामबली मिश्र--क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय केश कुमारी बालिका विद्यालय, सुल्तानपुर के दक्षिण म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन का मकान बनने से क्यों रोक दिया गया है?

डाक्टर सीताराम--वह भूमि विद्यालय के प्रसार के निमित्त ली जा रही थी।

चौकिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तें

*७४--श्री रामबली मिश्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चौकिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की सब शर्तें पूरी हो गयी थीं?

डाक्टर सीताराम--मान्यता संबंधी सब शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसलिये ३१ दिसम्बर तक सब शर्तों को पूरा करने का आदेश दिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सही है कि जब इस स्कूल को मान्यता दी गयी उसके पहिले वहां के इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने उसको मान्यता देने की सिफारिश नहीं की?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना चाहिये।

इन्द्रबहादुर सिंह नेशनल इन्टर कालेज, भदोही, जिला बनारस को भवन निर्माण के लिये रुपये की आवश्यकता

*७५--श्री बेचन राम गुप्त--क्या यह सही है कि गत वर्ष में आदित्य नारायण हायर सेकेंडरी स्कूल, भदोही, जिला बनारस को तीन हजार रूपये सरकार ने मरम्मत इमारत के लिये दिये थे जब कि स्कूल किराये की इमारत में है और इन्द्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कालेज को उसी साल केवल एक हजार रुपया इमारत ग्रांट दिया गया था जिसकी निज की इमारत बन रही है।

डाक्टर सीताराम--सितम्बर, १९५१ ई० में ३,००० रुपया भवन के लिये दिया गया था। सरकार को विदित न था कि स्कूल किराये के भवन में है।

मार्च सन् १९५२ ई० में इंद्र बहारदुर सिंह नेशनल इंटर कालेज को १,००० रुपये अनुदान दिया गया।

श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इंद्रबहादुर नेशनल इंटर कालेज को केवल एक हजार रुपया क्यों सहायता दी गयी, जब आदित्यनारायण हायर सकेंडरी स्कूल को तीन हजार की सहायता दी गयी?

डाक्टर सीताराम--यह ग्रांट तो सुविधानुसार दी जाती है। तीन हजार जो ग्रांट दी गयी थी वह ५०-५१ में थी और एक हजार की जो दी गयी है वह ५१-५२ में दी गई गयी।

श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार को पता है कि इस साल भी जो सहायता इन्द्रबहादुर नेशनल इंटर कालेज को दी गयी है वह आदित्यनारायण हायर सेकेंडरी स्कूल को दी गयी सहायता से कम है?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, इस समय तो इसकी सूचना नहीं है, लेकिन संभव है ऐसा हो सकता है।

*७६--श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कामों के लिये ग्रांट देने की नीति उसकी किन नियमों पर आधारित है?

डाक्टर सीताराम--शिक्षा कोड के प्रस्तर ३६१ के अनुसार।

नैनीताल जिले की जंगलिया गांव शिल्पकार कालोनी में पीने के पानी का कष्ट तथा भूमि का वितरण

*७७--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला नैनीताल में रेंज भवाली के जंगलिया गांव शिल्पकार कालोनी में पानी के पीने का अत्यन्त कष्ट है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर सीताराम--ग्रीष्म ऋतु में शिल्पकार कालोनी के मध्य के तीन सोतों में जल कम हो जाता है, जिससे निवासियों को पानी की कठिनाई अनुभव होती है। उस समय यह लोग समीप के सोतों और नालों से पानी ले आते हैं। वर्षा ऋतु तथा उसके दो तीन मास पश्चात् तक पानी की कोई कठिनाई नहीं रहती। इस विषय पर प्लानिंग कमेटी विचार कर रही है।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है, फरलांग में या मील में?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना तो नहीं है, समय की जरूरत है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार इस पहाड़ी इलाके पर, जहां हमेशा पानी की कमी रहती है, हाईड्राम से पानी ऊपर पहुंचाने की सोच रही है?

डाक्टर सीताराम--जी हां, यह प्लानिंग कमेटी के सम्मुख है।

श्री खुशी राम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मौके की रिपोर्ट किस आफिसर ने तैयार की?

डाक्टर सीताराम--इस रिपोर्ट को तो डिप्टी कमिश्नर नैनीताल ने दिया।

*७८--श्री खुशीराम--क्या यह सच है कि इन लोगों के नाम पर ४०-४० नाली भूमि कर दी गयी है? क्या वास्तव में वह भूमि उन लोगों को मिल गयी है?

डाक्टर सीताराम--हां, चालीस-चालीस नाली के ५४ भूमि खंडों पर अधिकार दे दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री यह बतलावेंगे कि ४०-४० नाली भूमि कहां पर दी गयी है, जैसा कि बताया गया है?

डाक्टर सीताराम--उसी शिल्पकार कालोनी में दी गयी है।

श्री खुशी राम--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ४०-४० नाली भूमि जो लोगों को दी गयी है यह खाली कागजों में तो है, लेकिन उनके पास पूरी तरह पहुंच गयी या नहीं?

डाक्टर सीताराम--हां, उनको पजशन तो दे दिया गया है।

*७९-८०--श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)--[१५ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*८१-८३--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ ३५१ व ३५२ पर]

विदेशों में पढ़ने वाले प्रदेशीय छात्रों पर सरकारी व्यय

*८४--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कितने छात्र सरकारी खर्चे पर विदेशों में पढ़ रहे हैं और उन पर प्रतिवर्ष प्रतिछात्र कितना खर्च हो रहा है?

डाक्टर सीताराम--१६, इनमें से ४ अपने खर्च पर विदेशों में पढ़ रहे हैं और बाकी पर व्यय अलग अलग है, जो साल का ६०,२२० रुपया होता है।

उन छात्रों के नाम तथा प्रत्येक पर खर्च निम्न भांति दिये जा रहे हैं--

		रु०
(१)	श्री बांके बिहारी लाल	५,०००
(२)	डा० जी० पी० श्रीवास्तव	७,०००
(३)	डा० नवल किशोर	८,४००
(४)	डा० डी० एन० एस० चौधरी	८,४००
(५)	डा० ए० एन० रजदन	६,३००
(६)	डा० (कुमारी) शान्ता जयवन्त	५,३८०
(७)	डा० (कुमारी) के० सुन्नवाई	७,८००
(८)	डा० (कुमारी) ए० डब्लू० दुकले	६,३००
(९)	कुमारी बी० डी० घोष	१,४१०
(१०)	कुमारी एम० जी० एक्सनीर	१,४१०
(११)	कुमारी एस० डी० इरेट	१,४१०
(१२)	कुमारी एम० डेविड	१,४१०
	योग	६०,२२०

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह विद्यार्थी किस किस देश में किस किस विषय का अध्ययन करने के लिये भेजे गये हैं।

अध्यक्ष--हर एक विद्यार्थी के बारे में पूछना चाहते हैं?

श्री नेक राम शर्मा--जी हां।

अध्यक्ष--तो माननीय मंत्री जी ने जब नाम दे दिये हैं तो उनसे पूछ सकते हैं। यहां पर मैं इतने लम्बे सवाल की इजाजत नहीं देता।

श्री नेक राम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन विद्यार्थियों के बाहर भेजने का क्या तरीका है?

डाक्टर सीताराम--कुछ तो डिपार्टमेंटल भेजे गये हैं, कुछ स्टेडी लीव पर गये हैं और कुछ अपने खर्चे से गये हैं।

श्री नेक राम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोगों का सेलेक्शन किस आधार पर किया गया था?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी तो सूचना चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो विद्यार्थी बाहर गये हैं वे इसी प्रान्त के हैं या बाहर के हैं?

डाक्टर सीताराम--यह मैं नहीं कह सकता, इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन छात्रों में हरिजन और परिगणित जाति के कितने छात्र हैं और यदि नहीं तो क्यों और उन पर कितना खर्चा किया जा रहा है?

डाक्टर सीताराम--इनमें से कोई भी हरिजन छात्र नहीं है। जहां तक कारण का संबंध है, हो सकता है कि कोई योग्य विद्यार्थी नहीं आया होगा।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से बैक-वर्ड कम्युनिटी के कितने छात्र हैं ।

श्री हर गोविन्द सिंह--ऐसी कोई श्रेणी तो नहीं बनी है, लेकिन अब अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो बन जायगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगर इस सदन के कोई माननीय सदस्य विदेश पढ़ने जाना चाहें तो उन्हें भी वजीफा मिल सकता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*८५-८७--श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*८८--श्री भगवानदीन बाल्मीकि (जिला फतेहपुर)--[२४ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*८९-९१--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*९२-९४--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

शहीद हाई स्कूल बेवर, जिला मैनपुरी को सरकारी सहायता

*९५--श्री झारखन्डे राय--क्या सरकार को यह मालूम है कि बेवर (जिला मैनपुरी) में अगस्त, १९४२ ई० के तीन शहीदों की यादगार में एक शहीद हाई स्कूल स्थापित है ? अगर हां, तो अब तक सरकार ने इसे कितनी कुल सहायता दी है ? अगर नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

४,९६१ रुपया Punitive Tax में से दिया गया है

श्री झारखन्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया नाकाफी होने की वजह से स्कूल को सरकार कुछ और सहायता देने का विचार करती है ?

डाक्टर सीताराम--हां, भविष्य में विचार किया जायगा।

* * *

आगरा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के परिगणित जातीय छात्रों से शिक्षा शुल्क लेने का आदेश

*४--श्री पुत्तू लाल (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि म्युनिसिपल बोर्डों के अन्तर्गत प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले परिगणित जातीय छात्रों को शिक्षा शुल्क से बिलकुल मुक्त कर देने के आदेश सरकार ने म्युनिसिपल बोर्डों के अधिकारियों के पास भेज रक्खे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

*५--श्री पुत्तू लाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारीगण बोर्ड के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा पाने वाले परिगणित जातीय उन विद्यार्थियों पर, जिनकी आयु ११ वर्ष से अधिक है, जुलाई, १९५२ ई० से शिक्षा शुल्क लगाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का यह आदेश, कि उक्त विद्यार्थियों को निःशुल्क रक्खा जावे, भेजने की कृपा करेगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह--ऐसे किसी प्रस्ताव की सूचना नहीं आई है ?

*६--श्री पुत्तू लाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों में अध्ययन करने वाली परिगणित जातीय छात्राओं से फीस ली

जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा म्युनिसिपल बोर्ड की कन्या पाठशालाओं में शिक्षा पाने वाली बालिकाओं को शिक्षा शुल्क से मुक्त करने का आदेश उक्त म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों के पास भेजने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत कन्या पाठशालाओं में अध्ययन करने वाली परिगणित जातीय उन छात्राओं से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता जो उसके देने में असमर्थ हैं।

* * * *

शिक्षा संचालक के बंगले का निर्माण

*३८--श्री गौरीराम (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान शिक्षा संचालक के बंगले को तोड़-फोड़ कर नये ढंग से बनाया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

*३९--श्री गौरीराम (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मरम्मत में अब तक कितना खर्च किया जा चुका है और यह व्यय किस अनुदान से हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--दो अलग-अलग कार्य के लिये ४,४१४ रु० और ३,८९३ रु० शासन से स्वीकृत हुआ है। वास्तविक व्यय निर्माण कार्य समाप्त होने पर मालूम होगा। यह व्यय शीर्षक, "५०--सिविल वर्क्स--ओरिजनल" वर्क्स बिल्डिंग में से हो रहा है।

* * * *

राजकीय रचनात्मक शिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ से उत्तीर्ण अध्यापकों की सर्विस सम्बन्धी आदेश

*५०--श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि एक सरकारी आदेश द्वारा राजकीय रचनात्मक शिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद (अब लखनऊ) से उत्तीर्ण अध्यापक छात्रों को गवर्नमेन्ट सर्विस में प्रथम स्थान दिये जाने की व्यवस्था की गई थी और साथ ही उनकी सर्विस टरमिनेट न किये जाने का भी आदेश दिया गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

*५१--श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या यह सही है कि उक्त सरकारी आदेश के पश्चात् अब इधर कोई जी० ओ० फिर ऐसा निकाला गया है जिसके द्वारा उन अध्यापकों की सर्विस टरमिनेट की जा सकेगी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

* * * *

जिला मिर्जापुर में हरिजन चमारों से चरसा लगान की वसूली

*८१--श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह मालूम है कि मिर्जापुर जिले में गौंहा चमारों (हरिजनों) से मृतक मवेशियों को उठाने के एवज में चरसे का दाम वसूल किया जा रहा है ?

नोट--ताराकिंत प्रश्न ८१-८३ श्री ब्रजभूषण मिश्र ने पूछे।

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री राम दास रविदास--क्या सरकार को मालूम है कि मृतक पशुओं का चमड़ा निकालने के लिये कोई सरकारी जगह नियुक्त है ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये तो कोई सरकारी स्थान नहीं है और अगर होगा तो सूचना नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिये क्या दाम वसूल किया जाता है ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये सूचना चाहिये।

*८२--श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि तिनांक ४ मई, १९५२ को हुए "विराट हरिजन सम्मेलन" मिर्जापुर में चरसा लगान से सम्बन्धित एक प्रस्ताव को पास करके चरसा लगान को खत्म करने की मांगें सरकार से की गयी थीं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ हरिजनों पर पंचायतों में मुकद्दमे चलाये गये हैं वह लगान न देने के कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम--इसकी कोई सूचना नहीं है।

*८३--श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार इस चरसा लगान को जिला मिर्जापुर से समाप्त करने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--उपरोक्त प्रस्ताव विचाराधीन है।

कानपुर म्युनिसिपैलिटी के अध्यापकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--मेरे पास श्री नारायण दत्त तिवारी ने एक कामरोको प्रस्ताव को भेजा है और उसकी शायद आज खबर अखबारों में भी छपी है कि म्युनिसिपैलिटी के अध्यापक कानपुर में हड़ताल करने जा रहे हैं। इसके ऊपर विचार करने के लिये यह प्रस्ताव है। यह अनिश्चित सा है और दूसरे म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है। इसलिये मैं इसको विशेष महत्वपूर्ण नहीं समझता और इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमान् मेरा कामरोको प्रस्ताव दूसरा है विद्यार्थियों की शिक्षा स्थगित हो गई, इस पर है। यदि आप की आज्ञा हो तो मैं इसको पूरा पढ़ दूं।

अध्यक्ष--मैं पूरा पढ़ चुका हूं।

कार्य क्रम की विभिन्न मदों के लिये समय-विभाजन की प्रार्थना

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमान् मैं आज के एजेंडे पर टाइम मुकर्रर करवाना चाहता हूं कि हर एक सवाल पर समय मुकर्रर हो जाय, क्योंकि एक ही दिन मिलता है और काम बहुत ज्यादा है। इसलिये अगर समय मुकर्रर हो जाय तो अच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्ताव पेश करूं।

अध्यक्ष--चारों प्रस्तावों के संबंध में आप समय मुकर्रर करवाना चाहते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह--मेरा प्रस्ताव यह है कि यह पहला प्रस्ताव जो श्री रतन लाल जी का है, उसके लिये ५० मिनट, दूसरा श्री चंद्रपाल बाजपेई का है, उसके लिये ३० मिनट .....।

अध्यक्ष- श्री चन्द्रपाल जी का तो विधेयक है। इसके लिये उचित नहीं होगा कि कोई समय मुकर्रर करके खत्म कर दें। प्रस्ताव एक ऐसी चीज हो सकती है लेकिन यह विधेयक है और कुछ समय लेगा और अमेंडमेंट्स आयेंगे तो मैं समझता हूं कि इसको अलग करके प्रस्ताव पास कर सकते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह--पहले के लिये ५० मिनट, श्री झारखंडे राय के प्रस्ताव पर एक घंटा, श्री उमाशंकर तथा मुनीन्द्रपाल के प्रस्ताव पर ३० मिनट तथा मेरे प्रस्ताव पर एक घंटा और श्री हरि प्रसाद के प्रस्ताव पर ४५ मिनट रखे जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) --अध्यक्ष महोदय, मेरी यह राय है कि चार प्रस्ताव हैं और एक पीछे का पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ विधेयक भी है। इसलिये कोई समय मुकर्रर नहीं किया जाय। सदन के सदस्यों को अधिकार है कि यदि समय ज्यादा हो जाय तो वह क्लोजर मूव कर सकते हैं। इसलिये समय के निर्धारण के खिलाफ मैं अपनी राय देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—मैं इस पर राय लेता हूं। बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावों पर समय नियुक्त किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

जनता का नैतिक स्तर ऊंचा करने के सम्बन्ध में संकल्प†

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--यह प्रस्ताव २२ अगस्त को प्रस्तुत हो चुका है, इसलिये मैं समझता हूं कि इसको दुबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष--आप ५ मिनट बोल भी चुके हैं। २० मिनट और आप बोल सकते हैं।

श्री रतन लाल जैन--मैंने उस दिन यह रक्खा था कि हमारा प्रदेश और भारतवर्ष की नैतिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। हम जिस वर्ग को भी देखते हैं उसकी नैतिक अवस्था गिरी हुई मिलती है। व्यापारी वर्ग को देखिये, वहां पर काफी गिरावट है। एक चीज में दूसरी चीज को मिलाना वह बुरा नहीं समझता। यही हालत दूसरे महकमों की है। अभी जब कंट्रोल का मसला चला तो उसमें ग्राम सभाओं के सुपुर्द तेल, कपड़े और नमक का वितरण किया गया, वहां भी काफी गड़बड़ी रही। अदालतों में भी हम देखते हैं कि वहां भी बहुत गड़बड़ी चलती है। नीचे के कर्मचारी बिना पैसे लिये काम नहीं करते। इसी तरह से डाक्टरों को देखते हैं तो वहां पर भी सेवा की भावना नहीं है बल्कि पैसे की भावना है। जैसा कि अभी गांधी मेमोरियल कालेज के सम्बन्ध में हम देख चुके हैं कि डाक्टर अपने घरों पर निजी अस्पताल खोले हुये हैं जहां वह हजार, डेढ़ हजार रुपया फीस लेते हैं। यही हालत और पेशों की है। हर जगह रुपया कमाना ध्येय हो गया है न कि सेवावृत्ति। जब हम सरकारी वर्ग को देखते हैं। जहां तक महकमों का ताल्लुक है जितने भी छोटे कर्मचारी हैं वहां पर घूसखोरी काफी है। सूबे के सेक्रेटेरियट को छोड़ दीजिये यहां की हालत तो ऊंची है, परन्तु मुफस्सिल में जहां भी देखिये कोई भी सरकारी महकमा देखिये, बिना पैसे के काम नहीं चलता। इस तरह हमारी सारी जनता गिरी हुई है।

प्राचीन काल में भारतवर्ष की बहुत ऊंची अवस्था थी। मेगस्थनीज ने लिखा है कि यहां के आदमी सच्चे और बहादुर होते थे। घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। राजपूतों के जमाने में भी यहां की अवस्था ऊंची थी। वे अपनी जबान पर कायम रहते थे। आज हमारी अवस्था बहुत गिर गई है। इस गिरावट का कारण गुलामी है, दासता है। जहां गुलामी होती है वहां भय होता है भय से असत्य उत्पन्न होता है और जहां असत्य है वहां नैतिक गिरावट होती है। अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और गुलामी जिसके कारण हमारी गिरावट हुई थी अब दूर हो गई है। अब हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपने देश को ऊंचा उठायें। नैतिकता को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है।

---

†२२ अगस्त, १९५२ को प्रस्तुत किया गया।

[श्री रतन लाल जैन]

पहले हमारा देश तमाम संसार में ऊंचा कहलाता था। हर एक देश के वासी यहां पर आकर शिक्षा ग्रहण करते थे और यहां से शिक्षा तमाम देशों में फैली थी। यह देश संसार का गुरु था यहां से मैथिमेटिक्स का डेसिमल (गणित का दसमलव) आयुर्वेद, की विद्या, ब्रह्म विद्या आदि फैली। इस तरह से यह संसार का सब से महान् देश था। अगर आज भी हम यह चाहते हैं कि हमारा यह भारतवर्ष फिर अपने उस पुरातन गौरव को प्राप्त करे तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम देश को ऊंचा उठायें। इसके अतिरिक्त महात्मा गान्धी जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे और जिन्होंने हमारे देश को स्वतन्त्र कराया उनका सिद्धान्त सत्य और अहिन्सा था। अगर हम उस सिद्धान्त की रक्षा करना चाहते हैं, उसका प्रसार चाहते हैं, और यह चाहते हैं कि उस सिद्धान्त पर चलकर हम अपने देश को आगे बढ़ायें तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपनी नैतिकता को ऊंचे उठायें।

इसके अलावा तीसरी बात यह है कि इस स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिये मैं यह समझता हूं कि नैतिकता के स्तर को ऊंचा करना बहुत जरूरी है। जहां पर नैतिकता होती है उसके साथ ही कर्त्तव्य का भान होता है। जो आदमी सच्चे और ईमानदार होते हैं उनको अपने कर्त्तव्य की परवाह होती है और वह अपने कर्त्तव्य के अनुसार चलते हैं। इस प्रकार से जहां पर नैतिकता है वहां पर अनुशासन चलता है वहां पर कार्यक्षमता होती है। इस प्रकार से यह तीनों बातें साथ-साथ चलती हैं। जहां पर करेक्टर (चरित्र) होता है वहां पर कार्यक्षमता (एफिशियेन्सी) होती है और अनुशासन ठीक प्रकार से चलता है। इसलिये अगर हम अपने देश को ऊंचा नहीं उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह स्वतंत्रता भी स्थिर नहीं रह सकती है। जिस देश के अन्दर नैतिक अवस्था ऊंची होती है उसको कोई दूसरा देश गिरा नहीं सकता। जिस देश की नैतिक अवस्था गिर जाती है तो वह जरा से धक्के में ही गिर जाता है। सारा इतिहास इसका साक्षी है। जिस समय मरहटा शक्ति (पावर) उत्थान पर थी और शिवाजी थोड़ी सी ताकत लेकर मुगल साम्राज्य का मुकाबला कर रहा था तो उन्होंने बहुत आसानी के साथ सिंहगढ़ किले को जीत लिया था जिसको जीतना उस समय असम्भव समझा जाता था। सन् १८१४ में जब वह भावना चली गई, देश प्रेम जाता रहा, तो मध्यभारत के किले कागज की तरह गिर गये। लेफ्टिनेन्ट लेक ने लिखा है कि मध्यभारत के पहाड़ी किले अजेय थे। यदि सेना ने दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया होता तो ये जीते नहीं जा सकते थे। मगर सेना के अन्दर उस भावना की कमी थी वे किले कागज व बालू की दीवार की तरह से गिर गये। इस तरह से जहां पर चरित्र (करेक्टर) ऊंचा होता है वह देश नहीं गिर सकता है। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर बहुत से हमले किये और किसी अंश में उसको जीता भी लेकिन वह उसको कायम नहीं रख सके, क्योंकि अफगानियों के अन्दर अपने देश की रक्षा करने की भावना थी वे दासता को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिये गुलाम नहीं बन सके। हमारे भारतवर्ष में आपसी फूट थी, हमारी नैतिकता छिन्न-भिन्न हो चुकी थी, इसलिये यहां पर दासता आ गई। इस कारण मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता को, जो महात्मा गान्धी ने हमको दिलाई है अगर हम उसको कायम रखना चाहते हैं तो हमें इस दृष्टि से भी अपनी नैतिकता के स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा।

इसके अलावा चौथी बात यह है कि सरकार बहुत सी योजनायें बनाकर उन पर खर्च कर रही है। बहुत सी सड़कों की योजनायें हैं सिंचाई की योजनायें हैं, बांध की योजनायें हैं. . . .

अध्यक्ष---ऐसा मालूम होता है कि सदन में कई जगह पर बातचीत चल रही है इससे शोर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री रतन लाल जैन---सरकार बहुत सी योजनायें चला रही है और उनके लिये बहुत अधिक धन व्यय कर रही है, परन्तु हमारे नैतिक पतन के कारण उनसे उतना लाभ नहीं होता है जितना कि होना चाहिये। अगर हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट को देखें तो वहां पर जो ठेकेदार हैं, वह सिमेन्ट कम डालते हैं और रेता ज्यादा डालते हैं।

वे अपने ऊपर के ओवरसियर को एक बंधा हुआ प्रतिशत या परसेंटेज देते हैं और वह ऊपर तक पहुंच जाता है और इस तरह से ये ओवरसियर और इंजीनियर कम परवाह करते हैं। माल खराब लगने से इमारत अच्छी नहीं बनती और वह जल्द खराब हो जाती है और बाज बाज इमारत तो एक दो साल ही में जर्जरित हो जाती है। एक तरह से जितना रुपया इन कामों में खर्च होता है उसका बहुत थोड़ा अंश काम में आता है। इसलिये अगर हमारी नैतिक अवस्था ऊंची हो जाय, ईमानदारी की भावना हमारे सरकारी और गैर सरकारी आदमियों में आ जाय तो जितना हम आज खर्च करते हैं उससे दूना लाभ होगा। इन ४ कारणों से देश को ऊंचा बनाने के लिये, सत्य, अहिंसा के सिद्धान्त की रक्षा करने के लिये, स्वराज्य की स्थिरता को कायम रखने के लिये और अपनी योजनाओं को पूर्णतः सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि देश का नैतिक स्तर ऊंचा किया जाय। नैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिये मैंने कुछ चीजें सुझाई हैं।

आज हमारी सरकार जो योजनायें चला रही है वे ठीक हैं। अगर मुझसे पूछा जाय कि आज देश की आवश्यकता क्या है तो मैं दो शब्दों में कहूंगा कि एक तो उत्पादन बढ़ाना और दूसरे नैतिक स्तर को ऊंचा करना। जहां तक उत्पादन बढ़ाने का सम्बन्ध है सरकार इसके लिये काफी कोशिश कर रही है। सड़कें बनाने के लिये, नहरें बनाने के लिये, बांध बांधने के लिये और बिजली बनाने के लिये वह काफी प्रयत्नशील है और उसकी बड़ी भारी रकम इन कामों में व्यय हो रही है, परन्तु अभी तक उसने नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिये कोई खास कदम नहीं उठाया है। पहिले एन्टी-करप्शन कमेटियां अवश्य कायम हुई थीं, लेकिन उनके अधिकार कम होने के कारण वे करीब-करीब बेकार हो गई हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि नैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिये काफी जोर डाला जाय। इसके लिये मैंने ६ बातें सुझाई हैं, इसके अलावा सरकार और भी कदम उठा सकती है।

इनमें से पहली बात यह है कि नैतिकता का जोरदार प्रचार किया जाय। जिस तरह से जब कोई विशेष काम करना होता है तो उसके लिये एक विशेष रचनात्मक प्रचार करना पड़ता है तो उसके लिये एक विशेष प्रकार का प्रचार किया जाय यानी उसके लिये ड्राइव किया जाय पेम्फलेट बांटे जायं, व्याख्यान दिये जायं, समाचार-पत्रों में लिखा जाय, सरकारी अफसरों की मीटिंग की जाय और उन पर जोर दिया जाय कि देश के लाभ के लिये यह करना बहुत जरूरी है कि चरित्र को ऊंचा किया जाय। इसके लिये जो भी प्रयत्न किया जा सके वह किया जाय।

दूसरी सब से जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय। आजकल जो शिक्षा हो रही है वह शिक्षा बहुत अधूरी है, अधूरी ही नहीं बल्कि मेरी दृष्टि में वह बिलकुल ठीक तरह से नहीं हो रही है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने २१ सितम्बर को देहली के एक स्कूल का उद्घाटन करते हुये कहा था। मैं आप की आज्ञा से वह अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं कि:—

"Troubles of world, including that of India were due to the fact that education had become a mere intellectual exercise and not the acquisition of moral and spiritual values.

[भारत सहित ससस्त विश्व की कठिनाइयां इस तथ्य के कारण थीं कि शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के अर्जन के स्थान पर केवल बौद्धिक व्यायाम मात्र बन गया था।]

उन्होंने कहा था कि आज संसार भर में जिसमें भारतवर्ष भी शामिल है जो विपत्तियां हैं, जो आफतें हैं, उनका कारण यह है कि आजकल की शिक्षा में बुद्धि को तीव्र करने का काम चलाया जाता है। परन्तु उसमें नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। आज यही कारण है कि हमारी शिक्षा से उतना लाभ नहीं है जितना होना चाहिये था। मेरी दृष्टि में शिक्षा में बड़े परिवर्तन होने की आवश्यकता है। हमारे प्रान्त में जिस तरह से शिक्षा हो रही है उससे हर वर्ष १ लाख

[श्री रतन लाल जैन]

के करीब मैट्रिक और ८-७ हजार ग्रेजुएट निकलते हैं। काम न मिलने के कारण उनमें बेकारी होती है। उसका नतीजा होता है कि उनके अन्दर निराशा व निरुत्साह हो जाता है, इससे उनके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। कोई साम्यवाद की तरफ झुकता है और कहीं-कहीं यह भी हुआ है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है।

दूसरे, लड़कों में बड़ी अनुशासनहीनता और उच्छृंखलता है। पहले जमाने में गुरू को शिष्य पिता के तुल्य समझता था और आज यह दशा है कि अध्यापकों को मजाक उड़ायी जाती है और कहीं कहीं पर उन पर हाथ छोड़ा जाता है और मार भी डाला जाता है। इसके अलावा शिक्षक को भी हम देखते हैं कि आज उसमें वह भावना नहीं है जो होनी चाहिये। पहले जमाने में गुरू बच्चों को अपने पुत्र के तुल्य समझते थे और उनके लाभ के लिये काम करते थे। आज अध्यापकगण पैसे को देखते हैं, उन्हें जरा भी चिन्ता नहीं कि लड़कों का चरित्र गिरे या सुधरे, चाहे वे शिक्षा ग्रहण करें या न करें। वे केवल यह चाहते हैं कि लड़के पास हो जावें जिससे हमसे कोई जवाब तलब न कर सके। यह हमारी शिक्षा की दशा है।

इसलिये मैं समझता हूं कि शिक्षा में दो बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता है। एक तो यह कि जो कालेज या यूनीवर्सिटी शिक्षा है उसे गवर्नमेंट प्रोत्साहन न दे। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये पूरी कोशिश करे और अगर हो सके तो उसे अनिवार्य करे। माध्यमिक शिक्षा को चलने दे। विश्वविद्यालय की शिक्षा को तो डिसकरेज करना चाहिये। क्योंकि जितने लड़के निकलते हैं वे अपने काम से भी बेकार हो जाते हैं। विश्वविद्यालयों की जगह अनेक प्रकार के टेक्निकल स्कूल्स होने चाहिये जहां माध्यमिक शिक्षा के बाद हमारे विद्यार्थीगण जा सकें। दूसरी आवश्यकता नैतिकता व आध्यात्मिक शिक्षा की है। आज हमारे शिक्षकगण ठीक तरीके के नहीं हैं। जब तक शिक्षक अच्छा नहीं होगा, विद्यार्थी कैसे अच्छा हो सकता है। इसलिये शिक्षक के अन्दर भावना होनी चाहिये कि लड़कों का चरित्र ऊंचा हो और उनको शिक्षा भी अच्छी दे। आवश्यकता इस समय लड़कों की ट्रेनिंग की उतनी नहीं है जितनी शिक्षकों की ट्रेनिंग की है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है चारित्र का, न कि कहने का। एक तरफ तो हम यह कहें कि 'राम नाम जपना' और उधर से आंख के इशारे से चोरी की बातें करते जावें तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये हमारे शिक्षकों का चरित्र ज्यादा ऊंचा होना चाहिये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह यह थी कि आज जो हमारे यहां भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकारी महकमों में और नीचे, यह इस तरह से दूर होने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि जब मुकद्दमे अदालतों में जाते हैं, जिनमें रिश्वत देने का काफी सबूत होता है, नोटों पर दस्तखत हैं, वे भी अदालतों द्वारा सन्देह में छोड़ दिये जाते हैं। ऐसी हालत में यह नामुमकिन सा हो गया है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी या कर्मचारी पकड़े जा सकें। काम तो तभी चल सकता है जब शोहरत पर कार्यवाही करे वरना यह भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है। मेरी कई एस० पी० से बातें हुई हैं। मैंने रिश्वत के कई मामले पुलिस के विरुद्ध उनके सिपुर्द किये मगर वे छूट गये। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके मामले सच्चे थे, मगर रुपया देने वाले, जिन्होंने रुपया दिया था, वे लौट गये और उन्होंने पुलिस की शहादत दी, हम क्या कर सकते हैं, हम लाचार हैं। जब ऐसी दशा है तो आपको अवश्य कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरे संशोधन ये हैं, संकल्प के खंड (१) के अन्त में शब्द "के लिये योग्य व्यक्तियों को शिक्षण देकर समुचित प्रबन्ध कराना" बढ़ा दिये जावें, संकल्प के खंड (२) के अन्त में शब्द "ताकि अकारण हड़ताल न हो और विद्यार्थी कर्त्तव्यपरायण हों" बढ़ा दिये जायें और संकल्प के खंड (५) के अन्त में शब्द "उन्हें मार्ग व्यय आदि भी दिया जाय" बढ़ा दिये जायं।

मेरे पूर्ववक्ता ने अच्छी तरह से सब बातों को पेश किया है और मैं समझता हूं कि सदन के कोई भी माननीय सदस्य इस विचार के नहीं होंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। अभी तो जनरल बहस हो रही है, यह संशोधन का सवाल तो बाद को लिया जाना चाहिये था।

अध्यक्ष--यह विधेयक नहीं है, संकल्प है।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं आशा करता हूं कि हर माननीय मेम्बर इसे पसन्द करेगा और इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रस्ताव को सफल बनाने के लिये मैंने अपने संशोधनों को रखा है। सिर्फ अच्छा कह देने से ही काम नहीं चल सकता बल्कि उसे पूरा करने की भी जरूरत है मुल्क अब आजाद हो गया है। एक शेर है:--'गुलाम कौम का सिजदा हराम होता है।' उसका सलाम खुदा भी मंजूर नहीं करता। तो गुलाम रहने से हमारे अन्दर बहुत सी खराबियां आ गईं। पैसा ही सबका लक्ष्य हो गया। कलम कहता है कि मैं जंगल का खर हूं, मगर मुझको पकड़ो तो दौलत का घर हूं। यह उद्देश्य हो गया हमारी शिक्षा का, हमारे पढ़ने का।

पैसा कमाने के लिये ही लोगों ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ लिखकर बड़े धनी बनेंगे यह लोगों ने सोचा। इसका नतीजा यह हुआ कि शिक्षा बिगड़ गयी, स्वार्थपरता आयी। जिस तरफ देखिये यही कमजोरी मौजूद है। लेकिन यह बात सब पर लागू नहीं होती इसमें आपको त्यागी भी मिलेंगे, परोपकारी भी मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, लेकिन वहां आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दुश्चरित्र होंगे, खुदगर्ज होंगे। इसी तरह सरकारी अफसरों में सज्जन भी हैं, सच्चरित्र भी हैं और स्वार्थी और खुदगर्ज भी हैं जिनका उद्देश्य केवल यह है "ईट ड्रिंक ऐण्ड बी मेरी" खाना पीना और ऐश करना ही उनका ध्येय है। आम पब्लिक में जाइये वहां भी हर एक प्रकार के लोग हैं। इसके अलावा हुजूरवाला आजकल जो प्रचार हो रहा है, विभिन्न विचारधारा के लोग हैं। जैसी आम पब्लिक है वैसे ही सरकारी अफसरान भी हैं, वैसे ही विद्यार्थी भी हैं। कुछ कम्युनिस्ट विचार के हैं, कुछ सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, कुछ हिन्दू सभाई हैं और साथ में कुछ लीगी भी हैं। गो ऊपर से वे ऐसा नहीं कहते लेकिन मन में उनके वही भावनायें हैं। वेट ऐण्ड सी की पालिसी अपना रहे हैं। स्वर्गीय जिना साहब ने फरमाया था कि हमें तो थोड़ी सी जमीन चाहिये पाकिस्तान जम्प करने के लिए तो हमारी पहली मांग है, वह भूला नहीं है। इस तरह से विभिन्न विचारधारा के लोग हैं। यह चीज सिर्फ हुक्म भेज देने से, पर्चा भेज देने से ठीक नहीं हो सकती। वह आपके कानून में नहीं आयेंगे। आपके हुक्म की पाबंदी करेंगे, लेकिन आपका दिल से साथ नहीं देंगे। दिल से साथ देने के लिये प्रचार की आवश्यकता है, उनको बतलाना चाहिये कि यही रास्ता है। एक दिन था विद्यार्थी कांग्रेस के साथ थे, गोली खाते थे लेकिन कांग्रेस के बताये रास्ते पर चलते थे। लेकिन आज थोड़े से लोगों के बहकाने में आकर अपनी राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ वह प्रदर्शन करते हैं। ऐसा क्यों है? उन्हें बताया नहीं गया कि उन्हें क्या करना चाहिये, कौन सा रास्ता उनके लिये ठीक है। दूसरी ओर उनको क्लासेज लगती हैं कि कांग्रेस सरकार ऐसी है, उसमें यह ऐब है। क्लासेज लगती हैं कि हिन्दू धर्म का नाश हो रहा है। आप देखें कि गवर्नर हिन्दू हैं, प्रधान मंत्री हिन्दू है। किन्तु कहा जाता है कि हिन्दू धर्म खतरे में है, किन्तु हिन्दू धर्म कोई संकट में नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि प्रचार की आवश्यकता है। आप को यह बतलाना होगा कि कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस वाले लोग क्या कर सकते हैं, इनके पास हथियार नहीं, दूसरी तरफ बृटिश गवर्नमेंट के पास हवाई जहाज हैं, बंदूकें हैं। लेकिन आज लोग समझते हैं कांग्रेस वाले सब कुछ कर सकते हैं। सरकार चाहे तो कपड़ा दे सकती है, करप्शन दूर कर सकती है और सब कुछ कर सकती है। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत हैं। उस वक्त का भी फैसला गलत था और आज का भी फैसला गलत है। किसी भी सुधार के करने में टाइम लगता है, स्कूलों के खोलने में वक्त लगता है। लेकिन अगर प्रयत्न किया जाय और धैर्य रखा जाय तो कुछ दिन में बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग भी हिन्दू हैं। हम अपने कार्य हिन्दू दृष्टिकोण से करते हैं, राष्ट्रीयता हिन्दू धर्म अथवा इस लाभ में बाधक नहीं होती,

[श्री सीताराम शुक्ल]

हमारी पूजा, हमारे ज्ञानोपार्जन में कोई बाधा नहीं आती। किसान मजदूरों के प्रश्न को लीजिये। आज लोग किसान मजदूरों के दोस्त बनते हैं। मालूम होता है कि हमें मजदूरों की गरीबी मालूम ही नहीं है। जब हम देखते हैं कि एक आदमी मोटर पर चला जाता है और एक आदमी चिथड़ों में लिपटा हुआ है तो उसे देखकर दिल में दर्द होता है, दिल में चोट लगती है और एक परेशानी होती है। ५ साल हमारी हुकूमत को आये हुए हो गये, लेकिन उन गरीबों के लिये कुछ विशेष नहीं किया गया। यह देखकर हमें दुख होता है लेकिन दुखी होकर ही हम छोड़ कर भाग जायं तो फिर हम जानते हैं कि जो लोग आयेंगे वे क्या करेंगे, उनके कैरेक्टर को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी बंगले के अन्दर रहता है, एक आदमी मोटर पर चलता है लेकिन वहीं पर बहुत से गरीब आदमी ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। लेकिन करें क्या? अगर हम इस्तीफा देकर चले जायंगे तो जो दूसरे साहब आयेंगे वे क्या कर लेंगे। वे कांग्रेस से अच्छा काम नहीं कर पायेंगे, किन्तु यह लोग जानते नहीं हैं अगर प्रचार किया जाय तो बहुत सी गलतफहमी दूर की जा सकती है।

जनाब वाला, मेरा ख्याल है कि मेरा वक्त भी खत्म होने के करीब ही होगा। इसलिये मैं आपके सामने अपना कुछ सजेशन देकर अपने भाषण को बन्द करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि बहुत से लोग, जोकि खादी पहनने वाले हैं वे भी सरकारी अफसरों के पास जाते हैं और उनके काम में इंटरफियर करते हैं, तो जब तक यह कमजोरी हमारे अन्दर रहेगी तब तक सरकारी अफसरों में भी कमजोरी जरूर रहेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले अपनी कमजोरी दूर की जाय। दूसरा यह कि सरकारी अफसरों को अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त जनता की अन्य खिदमत करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाय। जैसे कोई सरकारी अफसर है जिसने अपनी ड्यूटी करते हुए भी कोई पाठशाला बनवा दी या और कोई काम कर दिया, उसे इनाम दिया जाय। आज भी हमारे यहां ऐसे बहुत से सरकारी अफसर मौजूद हैं। जैसे हमारे राज्यपाल महोदय श्री के० एम० मुंशी जी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती मुंशी हैं। ये लोग जब नैनीताल गये थे तो वहां पर बहुत से फंक्शंस में भाग लिया। डेवलपमेंट कमिश्नर श्री सूचा सिंह खेरा साहब की स्त्री श्रीमती मोहनी खेरा ने नैनीताल में एक ड्रामा करवाया जिसके टिकट से ३,००० की आमदनी को टी० बी० फंड में दे दिया, श्री कैलाशचन्द्र जी मित्तल जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती ने कला भवन बनवा दी। ऐसे सरकारी अफसरों तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह को प्रोत्साहन दिया जाय और प्रयत्न किया जाय कि अन्य अफसर भी उनका अनुसरण करें। इसके लिये अच्छा तरीका यह है कि ईमानदार सरकारी अफसर कुछ कांग्रेस के अच्छे और ईमानदार आदमी, आम पब्लिक के ईमानदार और अच्छे आदमी इकट्ठा हों और सोचें कि स्वदेश के उत्थान का काम किस प्रकार किया जा सकता है। लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि अच्छे बंगले हों, अच्छे बगीचे हों, बैंक में रुपये कैसे जमा हों, के साथ साथ लोग यह भी सोचें कि अपने देश से गरीबी, अशिक्षा, स्वार्थ-परता कैसे दूर हो, वे अपने बुजुर्गों की बातों को याद रखें कि .....

श्रोत्रं श्रुतेनैव नच कुन्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन।

कानों में सिर्फ सोने का कुंडल पहनने से उसकी शोभा नहीं होती है बल्कि वेद सुनने से होती है। हाथों की शोभा सिर्फ सोने के कंकन पहनने से नहीं होती बल्कि दान देने से होती है। काया की शोभा करुणा से होती है और चेहरे की शोभा केवल चन्दन से नहीं है बल्कि परोपकार से होती है। इस प्रकार अपने कर्त्तव्य का निश्चय करके यदि ठीक प्रकार से संगठन और प्रचार किया जायगा तो न केवल ऊंचे श्रेणी के लोगों में बल्कि मजदूरों में बहुत से ऐसे देशभक्त मिल सकते हैं जो साधारण किसानों और अपने मुल्क की खिदमत करने में दिल-चस्पी लेंगे। उनको केवल रास्ता दिखलाने की जरूरत है।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का, जो इस समय सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, समर्थन करने के लिये आया हूं। जो कुछ हम यहां पर कहते हैं बाहर पब्लिक बड़ी बेचैनी से उसको पढ़ती है और इस संकल्प का अर्थ सिर्फ यही हो सकता है कि हम एक तरह का वादा, एक तरह का प्रामिज अपने प्रान्त वालों से करते हैं कि हम यह मौजूदा भ्रष्टाचार जो इस प्रान्त में प्रचलित है उसको हटाने के लिये कुछ प्रयत्न करना चाहते हैं। यद्यपि इस संकल्प को और भी अधिक अच्छा बनाया जा सकता था परन्तु फिर भी मैं इस बात के लिये अपने मित्र श्री रतनलाल जैन जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जो बहुत ही आवश्यक था। अब इस पर जोर न देते हुए कि भ्रष्टाचार देश में है, मैं इस हिस्से पर आता हूं कि हर बीमारी का कोई कारण होता है और उस कारण को जानने के बाद ही उसका इलाज सोचा जा सकता है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आन ए प्वाइंट आफ एक्स्प्लेनेशन यह पूछना चाहता हूं कि ये प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या संशोधन का।

अध्यक्ष--यह प्रस्ताव के लिये कह रहे हैं।

श्री नौरंगलाल--मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं और उसके साथ ही साथ जो संशोधन उपस्थित है उसका भी कुछ अंश में समर्थन हो सकता है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हर केस में पहले उसका कारण देखना चाहिये और तब उसका इलाज। हम लम्बे चौड़े दृष्टान्त देते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है परन्तु मैं इस पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हमें तो यह देखना है कि यदि यह सही है तो इसका कारण क्या है। आज जब से अंग्रेज गये हैं तब से भ्रष्टाचार में कुछ कमी नहीं हुई है। हमें देखना है कि क्या वजह है और ऐसा क्यों अर्थात् जब हम भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी शिकायत करते हैं तो उसका कारण क्या है यह भी हमें देखना है और जब तक हम यह नहीं बता सकते कि इसका कारण क्या है तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। पहले डाइग्नोसिस होनी चाहिये और जब डाइग्नोसिस ठीक होगी तब दवा भी दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि सर्वप्रथम हमें सीमा निर्धारित कर लेना चाहिये। हम लेजिस्लेटर्स को बहैसियत रिफार्मर्स के बहुत से प्रस्तावों को आपके सामने रखकर नहीं बैठ जाना चाहिये। हमें तो यह देखना है कि हमको कहां तक ऐसे कानून बनाने चाहिये जो नैतिकता को बल दे सकते हैं। इसी पर हमको बहस करना है और इसके आगे नहीं। हमें यह देखना है किस प्रकार हम ऐसे एनवायरनमेंट्स पैदा कर सकते हैं, कैसे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कोई कौम कोई जाति अच्छी बन सके। हमने यदि कोई पाजीटिव तरह का ला बना दिया या कोई ऐसा कानून बना दिया जो नैतिकता को प्रजा पर लादता है तो क्या उससे हम अपनी जाति या कौम की उन्नति कर सकते हैं। हमको देखना पड़ता है कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है अंग्रेजों के जाने के बाद सिर्फ दो ही तरीके यहां हो सकते हैं एक तो हो सकता है कुयरसन जिसका अर्थ है फोर्स या शक्ति और दूसरा हो सकता है विल, यानी कंसेन्ट आफ दि पीपुल अर्थात् प्रजा की सम्मति। यही दो तरीके हैं जिनको आधार मानकर कानून मनवाये जा सकते हैं। पहला तरीका चीन का है जिसे चीन ने मनवाया। चीन में गोलियां मार--मार कर जनता से कानून मनवाये गये। उन्होंने हुकुम दिया कि जो भ्रष्टाचारी अफसरान हैं उनको पब्लिक के सामने रखा जाये और कहा जाये कि यह अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं इनको शूट कर दो और फिर बिना इस बात का खयाल किये हुए कि उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं, उन्हें शूट कर दिया जाता था। तो फोर्स के जरिये से डर के जरिये से उन्होंने ला को चालू किया, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये बन्दूकों के जरिये से बेयोनेट के जरिये से उन्होंने मुल्क के स्तर को ऊंचा करना चाहा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा तरीका नहीं है और उसे हम अपनाना नहीं चाहते। दूसरा तरीका अब क्या रह जाता है। हम बल का प्रयोग नहीं करना चाहते और कानून के जरिये से हम काम करना चाहते हैं, पब्लिक के कंसेन्ट के जरिये से हम काम करना चाहते

[श्री गौरंगलाल]

हैं तो दूसरा तरीका क्या है? अस्तु हमें दूसरे तरीके को बिलांते जनरल के तरीके को, कन्सेंट के तरीके को, डिमोक्रेसी के तरीके को अपनाना पड़ेगा। आज अंग्रेजों के जाने के बाद जो उनकी बेआनेटें थीं, जो फोर्स था और जो पोलीटिकल आबलीगेशन का आधार था उनके साथ चला गया। किन्तु उसका कोई सब्सटीट्यूट देश में नहीं रह गया। डिक्टेटरशिप का आधार फोर्स होता है उसके हटने के बाद जो डेमोक्रेसी आई उसकी शक्ति होती है कंसेंट, लोगों की विलिंगनेस, लोगों की यह शक्ति देश के अन्दर है नहीं। दूसरे शब्दों में देश के अन्दर रिसपांसिबिल पब्लिक ओपीनियन है नहीं और उसके बिना डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। हमारे यहां से बेआनेट का आधार गया, फोर्स का आधार गया और हमारे देश और प्रदेश में जो हम डेमोक्रेसी को आधार रखना चाहते हैं उसके लिये जरूरत है रिसपांसिबिल पब्लिक ओपीनीयन की। वह हमारे देश में नहीं है और यही बड़ी मुसीबत है और यही वजह है कि हम कानून तो पास करते चले जाते हैं, किन्तु व्यर्थ हमने ब्लैक मार्केट के खिलाफ कानून पास कर दिया, हमने गैम्बलिंग के खिलाफ कानून पास किया, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पास किया लेकिन गैम्बलिंग बन्द नहीं हुई, चोरी बंद नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, इन सब पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग हताश हो जाते हैं कि कानून तो बनाते चले जा रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं होती। इसका केवल एकमात्र कारण यह है कि अभी तक जो पब्लिक है वह रिसपांसिबिल नहीं है और हमारे कानून में जनरल कन्सेंट अथवा प्रजा की अनुमति शामिल नहीं है इसलिये हमको कम से कम उस चीज को ठीक करना पड़ेगा, सोए हुए जनमत को जागृत करना पड़ेगा और जब तक हम रिसपांसिबिल पब्लिक ओपीनीयन को जागृत नहीं कर लेते तब तक हम कोई भी कानून बनाकर उन्नति नहीं कर सकते हैं। अब इन सोते हुए जन-जीवन को जागृत करने के लिये सिर्फ तीन या चार तरीके हैं जो और डेमोक्रेसीज ने तथा और डेमोक्रेटिक मुल्कों ने अपनाये हैं वह हमें भी अपनाने पड़ेंगे। हम इन तीन या चार तरीकों से सोती हुई पब्लिक विल को उसकी अनुमति से उसकी कन्सेंट को जगा सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा में सुधार होना चाहिए। क्रान्तिकारी सुधार होना चाहिए। हमने शिक्षा के एक अंग को लिया है। जिस तरह से एक फूल का विकास होता है तो ऐसा नहीं होता कि उसकी एक पंखड़ी विकसित हो, और न यह होना हीक चाहिए कि उसकी एक पंखड़ी विकसित हो और दूसरी मुरझाई पड़ी रहे, उसकी सारी पंखड़ियां विकसित होना चाहिए नहीं तो फूल अधूरा ही रह जायेगा और ठीक यही हमारी आज की शिक्षा में कमी है। हमने एक साइड तो ले लिया है और उसकी दो साइड को बिल्कुल छोड़ दिया है। हमने मेंटल डेवेलपमेंट (मानसिक उन्नति) की ओर तो ध्यान दिया है, दिमागी उन्नति को बढ़ा भी दिया है लेकिन और चीजों को बिल्कुल छोड़ दिया है, अर्थात फिजिकल साइड (शरीरिक विकास) को बिल्कुल छोड़ दिया है। अपने नैतिक विकास को भी बिल्कुल छोड़ दिया है, एजूकेशन के अन्दर केवल एक साइड को लिया गया है इससे हुआ क्या कि मस्तिष्क की शक्ति तो विकसित हुई परन्तु पूरा विकास नहीं हो सका। हम भूल जाते हैं हमने एक्जामिनेशन तो लिया लेकिन केवल बुद्धि का, साथ ही साथ दिल का भी एक्जामिनेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य का भी एक्जामिनेशन होना चाहिए, जैसे किसी जमाने में हमारे हिन्दुस्तान में हुआ करता था और उन तीनों एक्जामिनेशन्स को दे करके और इनमें उत्तीर्ण हो करके ही लोग ऋषि हुआ करते थे। हमारे यहां नैतिकता की परीक्षा होती थी, बल का इम्तहान होता था और बुद्धि का इम्तहान होता था। और जब ये तीनों परीक्षायें देकर विद्यार्थी सफल हो जाता था तभी वह आचार्य कहलाने का मुस्तहक हुआ करता था। आज दिमाग तो उन्नतिशील होता है लेकिन न दिल होता है, और न नैतिकता होती है और इसीलिये एजूकेशन का जो उद्देश्य होता है वह पूरा नहीं हो पाता यदि वह उद्देश्य पूरा हो जाये तो हमारी जनता विचारशील होने के साथ-साथ सदाचारी और स्वस्थ होकर खुद ही अपनी निहित आत्मा को जाग्रत कर सकती है। दूसरा सजेशन यह है कि हमको प्रचार सम्बन्धित तीन चीजों पर खास तौर से ध्यान देना है। सबसे पहले तो पब्लिक मीटिंग्स, दूसरा सिनेमा और तीसरे प्रेस। इन तीनों चीजों को

हमें अपने हाथ में लेना है और इन्हें हाथ में लेकर इनमें एक क्रांति पैदा कर सकते हैं, एक रिवोलूशन पैदा कर सकते हैं। जब तक हम इनमें रिवोलूशन नहीं पैदा कर सकते तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि पब्लिक मीटिंग्ज में इर्रिसपांसिबिल स्पीचेज दे दी जाती हैं। हम जितने यहां पर बोलते हैं हम नहीं देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, आपस में गाली-गलौज करते हैं और इसका नतीजा होता है अनुशासनहीनता जो देश भर में फैली हुई है। हम गालियां देते हैं उसका नतीजा यह होता है कि अनुशासनहीनता फैलती जाती है। हम आवेश में आते हैं और मनमाना कह जाते हैं और उसके कारण देश की सारी पब्लिक, स्पीकर्स-समाज और भिन्न-भिन्न दल सबके सब अनुशासनहीन होते चले जा रहे हैं। इसलिये इसका ख्याल करना है कि पब्लिक मीटिंग में इस चीज के लिये जितना भी हो सके, प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी चीज सिनेमा है जिसमें बढ़ती हुई अनैतिकता की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के नौजवान इसको देखने जाते हैं, सारे लड़के और लड़कियां आज सिनेमा देखने जाते हैं। उनमें कतई इस बात का ख्याल नहीं किया जाता कि किस टाइप के पिक्चर्स हमारे नौजवानों को दिखाये जाने चाहिए। वहां लव स्टोरीज, प्रेम कथायें, लैला-मजनू की दास्तानें इस तरह के किस्से इसमें चित्रित किये जाते हैं जिनको देखकर हमारे नवयुवक हीरो और हमारी नवयुवती बहिनें हीरोइन बनने का स्वप्न देखने लगती हैं। उनको यह स्वप्न में नहीं आता कि जापान के लोग हमारे हिमालय के पर्वत पर चढ़ने आते हैं और हिन्दुस्तान के बच्चों को पता भी नहीं है कि उनके पर्वत पर कौन चढ़ता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय सदस्य जरा धीमे से बोलें ताकि हम लोग समझ सकें।

अध्यक्ष--माननीय सदस्यों को काफी दिलचस्पी है। मैं समझता हूं कि आप अपनी गति जरा धीमी रखें तो समझ में आ जाय।

श्री नौरंगलाल---धन्यवाद। तो मैं आपसे कह रहा था कि जहां तक हमारे सिनेमाओं का ताल्लुक है सिनेमाघरों से जब हमारे लड़के और लड़कियां सिनेमा देखकर निकलते हैं तो बजाय इसके कि कोई सीख लेकर निकलें, हीरो और हीरोइन बनने के ख्वाब देखते हैं।

तीसरा प्रेस है, जनतन्त्र में प्रेस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कितने ही अखबार आज निकल रहे हैं, अच्छे-बुरे सब तरह के अखबार निकल रहे हैं। दो-दो, चार-चार पैसे के कितने ही अखबार निकल रहे हैं। बहुत से अखबार तो कोई पोलिटिकल इवेन्ट होने पर ही चल पड़ते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं। यह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। प्रेस को भी कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट द्वारा बिना प्रेस को कन्ट्रोल किये हुए हमारा नैतिक स्तर ऊंचा होने में बड़ी बाधा पड़ेगी क्योंकि प्रेस का हमारी नैतिकता पर बहुत असर पड़ता है। ऐसा लिटरेचर जैसे 'माया' और 'मनोहर' कहानियां हैं, आज हर जगह लड़के और लड़कियां उनको पढ़ते हैं। कालेज छोड़कर आये हैं, लेकिन 'माया' का अध्ययन हो रहा है। बजाय इसके कि इतिहास देखें, साइंस देखें, हिसाब की किताब देखें, पालिटिक्स देखें, जब भी मौका मिला तो 'माया' और 'मनोहर' कहानियां पढ़ रहे हैं। ऐसे लिटरेचर को बन्द करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिटरेचर से देश खत्म हो जाता है और उसकी आगे बढ़ने की गति रुक जाती है।

इसके बाद मैं एक बात यह कहूंगा कि देश का उद्धार तब तक नहीं हो सकता, प्रान्त के अन्दर से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता, जब तक हम एक बात का ख्याल नहीं करते। उदाहरण जरिये से जितना हम असर डाल सकते हैं वह हम कानून से नहीं कर सकते हैं precept is better than principle मनुष्य स्वयं अपना उदाहरण पेश करे इससे बढ़कर कोई असर डालने वाली चीज नहीं हो सकती। एक आदमी हीरो बनकर दिखलाए, अपनी कौम के लिये जान दे दे तो सारे लोग उसका अनुकरण करने के लिये तैयार हो जायंगे। हम लेजिसलेटर्स

[श्री नौरंगलाल]

पर आज कानून बनाने की जिम्मेदारी है। हमारी तरफ लोग निगाहें लगाए हुए हैं। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि हुकूमत पर और हुकूमत के मिनिस्टरों पर हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें भी देश के सामने अपना उदाहरण रखना है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम किस प्रकार अपना उदाहरण रख सकते हैं। सिनेमा देखने हम जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि खिड़की पर बहुत भीड़ है, या जहां भी भीड़ हो, हम अपना उदाहरण रख सकते हैं। हमारा फर्ज है कि हम लोगों से कहें कि क्यू बनाकर खड़े हों, और स्वयं सबसे पीछे जाकर खड़े हो जायं। लोग जब यह देखेंगे कि हमारे लीडर्स, हमारे नेता लोग आज इस तरह से हर जगह अनुशासन बनाये रखने की कोशिश करते हैं तो उन पर बहुत असर पड़ेगा। जब राशन लेने के लिये राशन की दूकान पर जायं तो सबसे पहले बच्चों को फिर औरतों को फिर बुड्ढों को और फिर नौजवानों को और सबसे बाद में हम खड़े हों। इसका जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमको हमेशा इस बात का खयाल करना चाहिए कि जैसे जहां पर कोई किश्ती डूब रही हो तो उसमें मल्लाह को बाद को फायदा उठाना है और किश्ती में सफर करने वाले मुसाफिरों को पहले फायदा उठाना है। इस प्रस्ताव पर भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उनको एक कंसालिडेटेड रूप में हाउस के सामने रखना मुश्किल चीज हो जाती है।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो प्रस्ताव श्री जैन जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ था। उसका मैंने समर्थन किया है और हाउस का ध्यान इस ओर जोर देकर आकर्षित किया है कि देश और प्रदेश में करप्शन है और उसको दूर करना और मिटाना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे रिजोल्यूशन हम यहां लाएं या गवर्नमेंट लाए, उसमें कोई अन्तर नहीं है, कहना सिर्फ यह है हम यहां पर अपने लिये कमिट करते हैं कि यू० पी० का लेजिस्लेचर इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश में करप्शन है और इस प्रस्ताव द्वारा उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसको दूर करें।

श्री शिवनाथ काटजू--श्रीमान्, जो प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा गया है मैं उसका विरोध करने खड़ा हुआ हूं। मैं कोई नैतिकता के सिद्धान्त का विरोध करने नहीं खड़ा हुआ हूं, बल्कि इस प्रस्ताव का विरोध करने खड़ा हुआ हूं। कोई भी इसको अस्वीकार नहीं करेगा कि राष्ट्र के लिये, देश के लिये नैतिकता की परम आवश्यकता है, परन्तु अध्यक्ष महोदय, हमारा सदन विधान सभा है और इस चीज को सामने रखते हुए हमको इस पर विचार करना है।

यह प्रस्ताव जो रखा गया है यद्यपि इसका तात्पर्य एक डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स के रूप का है, फिर भी मेरे ख्याल में यह इतना विस्तृत है और इतना वेग है कि इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर इसके एक-एक भाग को लिया जाय तो अपने स्थान पर ही वह भाग बहुत ही गहन हो जाता है। जैसे, पहले प्रश्न को लीजिए। यह कोई नहीं कहेगा कि नैतिकता नहीं रहनी चाहिए, परन्तु नैतिकता के प्रचार का प्रश्न अपने स्थान पर बहुत गम्भीर है। नैतिकता, मेरा अपना विचार है, कोई प्रचार की वस्तु नहीं है। यह तो आचरण की वस्तु है और अगर नैतिकता के प्रचार के लिये आपने कुछ लोगों को नियुक्त किया तो सम्भव है कि प्रचार की जगह उसका परिणाम उसके विपरीत ही हो। मैंने एक दफा सुना था कि मालवीय जी महाराज ने मद्य-निषेध का प्रश्न उठाया था और स्वर्गीय श्री सच्चिदानन्द सिन्हा कहते थे कि उनसे मालवीय जी महाराज ने कहा कि कुछ प्रचारक दिये जायं। तो स्वर्गीय सच्चिदानन्द सिन्हा ने प्रयाग में दो प्रचारक दिये और सिन्हा साहब खुद कहते थे कि वह दिन भर प्रचार करते थे और शाम को स्वयं मद्य का सेवन करते थे। तो प्रचार अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन प्रचार कभी अगर एक मुहकमे की तरफ से होने लगेगा तो मेरा अपना अनुमान है कि उस प्रचार का लक्ष्य ही उल्टा हो जायगा।

इसी तरह से इस प्रस्ताव में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में कहा गया है। यह भी एक बहुत ही गहन समस्या है। बड़ी-बड़ी कमेटियां हुईं और आगे चल कर भी

होगी जिसमें कि शिक्षा की नीति पर विचार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे लिये कौन सी शिक्षा की पद्धति ठीक है। इसी तरह से प्रचार का रखना या स्वच्छ शासन का रखना ये इतनी व्यापक बातें हैं जो प्रस्ताव के रूप में सदन के सामने रखना मेरे अपने विचार से उचित नहीं है।

यह कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा कि इनके सिद्धांत बहुत ही उत्तम हैं लेकिन हमारी तो एक विधान सभा है और विधान सभा को देखते हुए हमको प्रस्तावों पर विचार करना है। मेरे माननीय मित्र ने अभी एक संशोधन रखा और संशोधन के द्वारा उन्होंने संकल्प के खंड (१) के अन्त में कुछ शब्द बढ़ाने के लिये कहा है। उनका कहना है कि संकल्प के खंड (१) के अन्त में शब्द "के लिये योग्य व्यक्तियों को शिक्षण देकर समुचित प्रचार कराना" बढ़ा दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रस्ताव और यह संशोधन इतने विस्तृत हैं, इतने वेग हैं कि इसकी पुष्टि यह संशोधन स्वयं करता है। अब इसी पर अगर आप दृष्टिपात करें तो संशोधन में कहा गया है कि योग्य व्यक्तियों को शिक्षण देकर समुचित प्रचार कराया जाय। वे योग्य व्यक्ति कौन होंगे? किस प्रकार से उनको शिक्षण दिया जायगा? उनको कोई स्कालरशिप दिया जायगा या उनको कोई चुनेगा? जिस वक्त उनके चुनने का प्रश्न आ जायगा तो सदन के सदस्यों को अनुभव है कि सिफारिशें चलने लगेंगी। कहा जायगा कि अमुक व्यक्ति को रख लिया जाय, अमुक व्यक्ति को न रखा जाय। प्रचार तो दूर रहेगा, इसी में हम फंस जायेंगे। तो मेरे विचार में जहां तक कि इस प्रस्ताव के सिद्धांत हैं बहुत सुन्दर हैं और प्रस्ताव में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अगर वे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में आतीं तो वहां सम्भवता उन पर अच्छी तरह से विचार होता। सदन में उनका रखना उचित नहीं मालूम होता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द की जाय।

अध्यक्ष--मैं पहले जितने संशोधन हैं उनको मूव करने के लिये कहता हूं और उसके बाद एक साथ ही बहस हो जायगी। हर एक संशोधन के लिये अगर अलग अलग समय दिया जायगा तो अधिक समय लगेगा। आपकी इच्छा है कि समय बच जाय तो उसके लिये मैं यह तरीका रखता हूं।

श्री रणञ्जय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प पर यह संशोधन है। संकल्प के खंड (६) के बाद निम्नलिखित खंड (७) बढ़ा दिया जाय :

"(७) चरित्रहीन अथवा संदिग्ध आचरण के असरकारी व्यक्तियों को किसी प्रचार कार्य अथवा समिति आदि में न रखा जाय।"

मैं चाहता हूं कि इस संकल्प में यह खंड भी बढ़ा दिया जाय और अगर यह बढ़ा दिया जायगा तो इस संकल्प का जो अभिप्राय है मेरी समझ में वह बहुत ही व्यापक और प्रभावशाली हो जायेगा। इन शब्दों के साथ संशोधन को रखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि पहली बात यह है कि वह ऐसा विषय है जिस पर मतभेद नहीं होना चाहिए और मुझे आशा है कि संकल्प करने वाले महानुभाव स्वयं इसे स्वीकार करेंगे। मैं देखता हूं कि आजकल बहुत सी समितियां बनती हैं, बहुत से प्रचार करने के कार्य किये जाते हैं परन्तु बराबर यह शिकायत की जाती है कि इन सब बातों के होते हुए पूर्ण सफलता नहीं मिल रही है। कोई कहीं नियुक्त है और यदि वह स्वयं उसके योग्य नहीं है अथवा उसके आचरण को ठीक नहीं समझा जाता है तो उसका जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे-ऐसे लोग जिनका चरित्र ठीक नहीं होता, यदि वे कहीं समितियों में पहुंच जाते हैं तो जनता यह सोचती है कि सुधार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आजकल धन का प्रश्न बहुत व्यापक हो रहा है।

[श्री रणंजय सिंह]

इसमें सन्देह नहीं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा व्यापक विषय हो गया है। यह देश का घोर दुर्भाग्य है कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कोई न कोई भ्रष्टाचार करने वाला किसी न किसी रूप में न पहुंच गया हो। ऐसी दशा में जो यह भ्रष्टाचार निवारक संकल्प यहां पर उपस्थित किया गया है, इसमें संदेह नहीं कि अत्यन्त आवश्यक है। भ्रष्टाचार निवारण के लिये यदि वास्तव में हमें पूर्ण प्रयत्न करना है तो हमें यह भी देखना है कि जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस कार्य के लिये जब कोई लोग कहीं रखे जायं तो इस पर पूरा विचार कर लिया जाय कि वे लोग ऐसे तो नहीं हैं जिनका आचरण स्वयं भ्रष्ट हो, क्योंकि 'खुदरा फ़ज़ीहत, दीगरा नसीहत' वाली कहावत से काम नहीं चलता।

पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
जे आचरहिं ते नर न घनेरे।

इस प्रकार से लोग जाते हैं और फिर कहा जाता है कि उनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो आखिर इसमें किसका दोष है। पहले ही विचार कर लेना चाहिये कि वे चरित्रवान हों, सदाचारी हों, उनका किसी प्रकार से नैतिक पतन न हो, वे आदर्श पुरुष हों। तभी उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है। लेकिन यदि इसका विचार न कर के बहुतमत से अथवा यह सोच करके कि वे कुछ असर डालेंगे तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा। चरित्रहीनता का बड़ा दुष्प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और लोग भी यह समझेंगे कि वे दूसरों को ठीक नहीं कर सकेंगे। मैंने भी मद्य-निषेध के संबंध में देखा है कि जितनी कमेटियां बनीं उनमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं नशीली चीजों का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी आपत्ति की थी कि ऐसे लोगों के रहने से कभी भी नशाबन्दी नहीं हो सकती और यही कारण है कि समिति में बैठ कर तो बड़ी लम्बी चौड़ी बातें वे लोग करते हैं परन्तु स्वयं उसी रोग में ग्रस्त रहते हैं। तो चाहे जितने ही अच्छे कार्य के लिये प्रचार क्यों न हो परन्तु जब ऐसे ऐसे लोग अगुआ बन कर पहुंचते हैं तो जनता के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसीलिये मैंने सोचा कि जो संशोधन मेरा है वह यहां पर उपस्थित करूं क्योंकि इस संकल्प के जो और ६ खंड हैं उनमें इस बात की कमी है और संदिग्ध आचरण के असरकारी व्यक्तियों के लिये भी अगर यह कर दिया जाय कि वे भी किसी समिति में न रखें जायं तो बहुत अच्छा हो जायगा। ये असरकारी सदस्य यद्यपि असरकारी का अर्थ यहां गैर-सरकारी है परन्तु समितियों में जाने पर ये अधिक असरकारी अर्थात् अधिक प्रभावकारी हो जाते हैं और चरित्रहीन असरकारी का असर अच्छा नहीं पड़ता। इसलिये मैं सदन का अधिक समय न ले कर इन शब्दों के साथ अपने संशोधन को रखता हूं और संकल्पकर्ता महानुभाव से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहें और कहीं वापस लेने की बात न आये क्योंकि मैं देखता हूं कि अक्सर लोग अच्छे अच्छे संकल्प उपस्थित करते हैं परन्तु बाद में उन्हें वापस ले लेते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि उनका यह संकल्प बहुत अच्छा है जिसका समर्थन करते हुये मैं अपने इस संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प के भाग २ के अंत में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं "समस्त प्रांत में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दी जाय"।

अध्यक्ष महोदय, भवन की गत बैठकों में मुझे याद है कि हमारे इलाहाबाद के एक मित्र ने कहा था कि इलाहाबाद नगर १८५४--५५ से एक मेडिकल कालेज के खुलने के स्वप्न देख रहा है। यह उनका कथन सत्य है। यह वास्तव में इस प्रांत की प्रारंभिक शिक्षा के लिये लागू होता है। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था या समस्या जो है वह आर्थिक कठिनाइयों के कारण हमेशा से पीड़ित होती रही है। यह सुन्दर योजना हमारे सामने रखी गई है। यह कोई नई योजना नहीं है। हालांकि यह ठीक है और सत्य है कि सरकार अपनी यथा-शक्ति इसमें प्रयत्न कर रही है। लेकिन शिक्षा के इतिहास के ऊपर जब हम दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि सन् १८५४--५५ के क़रीब नार्थ-वैस्ट फ्रंटियर का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर

था उसके समय में एक योजना बनाई गई थी कि हमें प्रत्येक गाँव में डेढ़ मील की दूरी पर प्रारंभिक शिक्षा की पाठशालायें स्थापित कर देना है। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ही इस योजना को हटा देना पड़ा। यह हालत १९०४ के इतिहास के पन्ने में पढ़ते हैं।

इसके बाद हमारे देश के गोखले जैसे महान व्यक्ति ने शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव रखा। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि १९१९ से १९२६ तथा २८ में हमारे देश के बहुत से प्रांतों में प्राइमरी एजूकेशन ऐक्ट बने। वास्तव में उनका उद्देश्य यही था कि हमारे देश के देहातों में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाय। लेकिन अपने सूबे में जो सन् १९२६ ई० का ऐक्ट है उसमें देखते हैं कि इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दे दी गई कि देहातों में शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दी जाय।

हम देखते हैं कि हमारी सरकार से जहाँ तक हो सका वह सरकार ने किया लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इसमें पूरी तरह से असफल रहे। असफल रहने का तो सवाल ही क्या मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की वजह से हमारी शिक्षा को क्षति तक पहुंची है। पिछले तीन चार साल का जिलों का इतिहास बतलाता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने स्कूलों की फीस चौगुनी, पचगुनी और छगुनी कर दी थी, इससे बहुत से लड़के पढ़ने से वंचित हो गये। आज जो प्रश्नावली थी उसमें देखते हैं कि लखनऊ के जिला बोर्ड का इतिहास दोहराया गया है। एक प्रश्न में सूचना माँगी गई थी कि क्या यह ठीक है कि लखनऊ जिला बोर्ड ने ४५ स्कूलों को बंद कर देने का आदेश दे दिया है। यह गलत हो सकता है और सत्य भी हो सकता है लेकिन प्रश्न वही है आर्थिक कठिनाई का।

इसके बाद हम देखते हैं कि १९३७ में वर्धा एजूकेशन काँफ्रेंस हुई जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। अब हमें देखना है कि सरकार जो प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च कर रही ह यानी जनता का रुपया जो खर्च हो रहा ह वह जनता के हित में हो रहा है या नहीं। गाँधी जी ने इस काँफ्रेंस में कुछ शब्द कहे थे कि—

"The expenditure on primary education is a waste of the public exchequer inasmuch as whatever little is taught is clean forgotten."

[प्राथमिक शिक्षा पर व्यय सार्वजनिक धन की बर्बादी है क्योंकि जो कुछ थोड़ा सा पढ़ाया जाता है वह बिल्कुल भुला दिया जाता है।]

जो शब्द कहे गये हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी सरकार को इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। महात्मा गाँधी जी का कहना है कि शिक्षा जिस हालत में आजकल चल रही है उससे हम लोगों को कुछ ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। पिछले आँकड़ें जो हम इतिहास के पन्ने पर पाते हैं तो पता चलता है कि पहली क्लास में १०० लड़के पढ़ते हैं तो दूसरी क्लास में उनकी संख्या ४५–४६ रह जाती है। जब तीसरे दर्जे में विद्यार्थी पहुंचते हैं तो उन १०० में केवल ३६ या ३७ प्रतिशत रह जाते हैं। जब चौथी क्लास में वे पहुंचते हैं तो १०० में २७ या २८ रह जाते हैं। यह मुमकिन हो सकता है कि २७, २८ के स्थान पर अब ३० या ३५ प्रतिशत संख्या हो गई हो लेकिन इससे ज्यदा नहीं हो सकती। जब साढ़े ३ करोड़ रुपया हमारी सरकार प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च कर रही है तो इन आँकड़ों के अनुसार जो शब्द हमारे पूज्य बापू जी ने वरधा एजूकेशनल काँफ्रेंस के समय कहे थे उसके यही अर्थ लगाये जा सकते हैं कि वह रुपया फिजूलखर्ची में जाता है। वह इसलिये कि जब घटते–घटते विद्यार्थियों की संख्या इतनी कम रह जाती है चौथी क्लास में तो उसके बाद वे अपने घर पर बैठे रहते हैं और चार, छः साल बाद वे विद्यार्थी जो चौथी क्लास में पढ़ चुके हैं उनकी हालत वही हो जाती है जो पहली क्लास के विद्यार्थी की होती है और १४, १५ वर्ष की उम्र होने पर भी वह निरक्षर रह जाते हैं जैसे प्रारम्भ में जब वह ६ वर्ष के पहली क्लास में थे उस वक्त उनकी स्थिति होती थी। तो वास्तव में हमको देखना यह है कि जनता का जो रुपया व्यय हो रहा है वह किस तरह से सदुपयोग में व्यय हो।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

इसके बाद हम देखते हैं कि सन् ४७-४८ में आल इंडिया एजूकेशनल कान्फ्रेंसेज हुईं जिनमें हमारे केन्द्र के माननीय मंत्री ने भी हिस्सा लिया और उनको सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा की समस्या ऐसी है जिसको अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। ये बातें हैं जिनसे हम नतीजा निकाल सकते हैं कि अब समय आ गया है कि इस प्रान्त में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाय। वैसे तो हम देखते हैं कि विधान की ४३ वीं धारा कहती है कि हर प्रान्तीय सरकार १० साल के अन्दर इस बात का प्रयत्न करेगी कि वहाँ विद्यार्थियों के लिये शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाय। लेकिन जहाँ तक विधान के शब्द हैं मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार इस चीज को कार्यरूप में परिणत कर सकेगी। तीन साल तो विधान को लागू हुए हो चुके हैं। ६-७ साल बाकी हैं। इस योजना को चलाने के लिये और उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिये तीन साल का समय तो तैयारी में लग जायगा। जहाँ तक आर्थिक समस्या का प्रश्न है मैं समझता हूं कि आर्थिक समस्या तो हल हो सकती है। शिक्षा के ऊपर रुपया व्यय करना सबसे बड़े महत्व का व्यय होगा। जब हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जैसी योजनाओं के लिये १५-१६ करोड़ रुपये का प्रबन्ध कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम तीन चार करोड़ रुपये इस काम के लिये एकत्रित न कर सकें। मुझे याद है कि हमारे स्कूलों में ही केवल विद्यार्थियों ने टी० बी० क्लिनिक्स खोलने के लिये पारसाल १८ लाख रुपये एकत्रित किये थे। जब हमारे विद्यार्थी जिनमें जनता सम्मिलित नहीं है वह १८ लाख रुपये एकत्रित कर सकते हैं तो क्या शिक्षा जैसी योजना को चलाने के लिये विद्यार्थी और जनता ६, ७ या १० करोड़ रुपये का इन्तजाम नहीं कर सकती ?

आप अमेरिका को ले लीजिये। वहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिये एजूकेशनल टैक्स लगाया जाता है और उससे करोड़ों रुपया मिलता है जो शिक्षा पर व्यय किया जाता है। अगर आप एजूकेशनल टैक्स लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई भी ग्रामीण ऐसा न होगा कि वह इस टैक्स के रुपये को देने में सकुचाये। ये टैक्स जितने मालदार आदमी हैं उनसे दान के रूप में भी लिया जा सकता है।

आपने जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजनायें चलाई हैं वे बड़ी सुन्दर और अच्छी योजनायें हैं और मैं समझता हूं कि अगर वे कार्य रूप में परिणत हो गईं तो सचमुच हमारे ग्राम एक तरह से स्वर्ग बन जायंगे लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि कोई भी योजना जो आप इस देश में लाते हैं जब तक हमारी जनता में शिक्षा नहीं है, जब तक अन्धकार और निरक्षरता छाई हुई है तब तक कोई भी योजना अच्छी तरह से लागू नहीं हो सकती। जहां तक इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नैतिकता के स्तर को ऊंचा करना जरूरी है इसके लिये शिक्षा का आश्रय अवश्य लेना पड़ेगा। इसी शिक्षा के संबंध में हमने देखा कि हमारी सरकार ने सामाजिक-शिक्षा का काफी प्रचार किया और १९५०-५१ में ६ महीने तक इस योजना को उसने चलाया लेकिन ५-६ महीने के अन्दर जिन लोगों ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और वे लिखना-पढ़ना सीख गये लेकिन मैं अपने शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनमें से कितने आदमी ऐसे हैं जो इसको भूल नहीं गये होंगे। मैं यह दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि उनमें से ५०-६० फीसदी ऐसे लोग हैं कि जो न लिख सकते हैं और न पढ़ सकते हैं। मैंने अपने जिले के अन्दर ५-७ आदमियों से इस विषय में बात की, जहाँ पर कि सामाजिक शिक्षा चालू की गई थी उन लोगों का रजिस्टर में नाम दर्ज है। मैंने उनसे तीसरी और चौथी क्लास तक की किताब पढ़ने के लिये कहा लेकिन वह लिख-पढ़ नहीं सके और दस्तखत भी नहीं कर सकते थे। आज बहुत सा सामान सोशल एजूकेशन की योजना का पड़ा हुआ है। आज हम देखते हैं कि वह सामान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तरों में डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर के अन्तर्गत हजारों रुपये का पड़ा हुआ है। क्या सरकार इस सामान को बेच नहीं सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूर चला गया आप मुझे माफ करेंगे।

जहाँ तक प्रारम्भिक शिक्षा के लिये इमारतों का प्रश्न है यह समस्या वास्तव में सामने आ जाती है और उसके लिये हमको करोड़ों रुपया चाहिये । किन्तु अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे देश के अन्दर इमारतों की जरूरत नहीं है जब तक कि हमारे पास उतना नहीं है । दूसरे देशों का इतिहास हमको बतलाता है कि वहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी । सन् १९१०–१५ तक इंग्लैंड में शिक्षा चर्च के अन्दर दी जाती थी । इसी प्रकार से कनाडा, फ्रांस में १९१० और १९१५ में उनके पास इमारतें नहीं थीं । वह एक कमरे में शिक्षा देते थे वहाँ पर कोई वैन्टीलेशन भी नहीं था एक मामूली सी जगह थी । इसी प्रकार से हमारी प्रारम्भिक शिक्षा हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिदों में दी जा सकती है और धर्मशालाओं में दी जा सकती है । हमारे यहाँ पेड़ हैं उनके नीचे शिक्षा दी जा सकती है । यही उद्देश्य मेरे इस संशोधन का है कि बगैर अनिवार्य हुये हमारी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती है और कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है हालाँकि हम उनको सफल बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश है इसकी मौलिक और बुनियादी बातों से, मैं समझता हूं किसी को कोई मतभेद नहीं हो सकता है । हम सभी चाहते हैं और कहते हैं कि बिना सदाचार के और सचाई और ईमान्दारी के बिना समाज की उन्नति नहीं हो सकती है और समाज में बल नहीं आ सकता है और सामूहिक और वैयक्तिक उन्नति के लिये नैतिकता की परमावश्यकता है । इसके सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि नैतिकता को जिस तरीके पर भी ज्यादा सुदृढ़ किया जा सके और उसको जिस तरीके पर भी विस्तृत किया जा सके उसको जितना भी बढ़ाया जा सके वह सब उसके लिये वाँछनीय बातें हैं । परन्तु हम उसके लिये क्या कर सकते हैं और क्या किसी प्रस्ताव को हम यहाँ पर पास कर दें तो उसके फलस्वरूप हमारे प्रदेश में नैतिकता फट पड़ेगी और यहाँ जो अनैतिकता कुछ अंश में है वह फिर नहीं रहेगी । इसके बारे में विचारों में भेद हो सकता है । यह समाज की उन्नति केवल क़ानूनों से नहीं हो सकती और उससे भी बहुत कम केवल प्रस्तावों के स्वीकार करने से हो सकती है । जो आखिरी बड़ी लड़ाई हुई उसके बाद सारे संसार में तमाम नैतिकता के बंधन जो थे वह ढीले पड़ गये और उनका कुछ प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उसका इतना बुरा प्रभाव नहीं हुआ जितना कि और जगहों में हुआ और कुछ वर्गों में उससे जितनी अनैतिकता कुछ घोर रूप में हुई उसमें इधर कुछ कमी भी हुई है । साथ ही हमें यह भी समझना है कि पुराने ढांचे का एक आधार था और उसमें जातिभेद था और वह चीजें उस समय के अनुसार शायद आवश्यक थीं परन्तु उस समय जो कुछ भी आदर था वह विद्या का था, धन का नहीं था, वह वीरता का था और देशप्रेम का था, परन्तु द्रव्य का नहीं था । अब वह बातें बदल गई, अब तो नया समाज बन रहा है । हम सब चाहते भी हैं कि हमारे देश में एक नया युग आये जिसमें समानता हो जिसमें सब के बीच में यथासम्भव एक ही प्रकार की रहन–सहन की शैली हो और आपस का कोई भेदभाव न रहे । जब हम एक नया समाज बना रहे हैं तो यह एक परिवर्तन और ट्रान्जिशन का जमाना है और उस जमाने में कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनको कि मनुष्य साधारणतया ठीक नहीं समझते हैं और मुमकिन है जो उस समय भी ठीक न हों परन्तु हर एक चीज के लिये एक उठने और उगने का तरीका होता है, इसलिये हर चीज को हमें अनैतिकता नहीं समझना चाहिये । हम आज के समाज को नया रूप धारण कराने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस परिवर्तन के काल में जो बहुत सी बातें अनिवार्य होती हैं, उनका होना चाहे किसी को पसन्द हो या न हो उनको हमें अवश्यम्भावी समझना है । इसलिये हम अपने देश में सबसे अधिक एक चीज चाहते हैं कि हमारे देश में जीवन हो, पुरुषार्थ हो, अपने देश में लोगों में आत्मोन्नति और समाजोन्नति की प्रबल इच्छा हो और कोई गाफिल हो कर पड़ा न रहे और हर आदमी कमर कस कर माथा ऊंचा करके और छाती फुला कर हर दिशा में बढ़ता रहे और हर जगह मनुष्योचित अधिकारों का लाभ उठाने के लिये प्रयत्नशील रहे । लोगों के दृष्टिकोण और जीवन में जब कुछ बदलाव होता है और कुछ ढंग बदलता है तब भी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि असाधारण होने के कारण ऐसी लगें कि वह नैतिकता

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

के विरुद्ध हैं, परन्तु वह सब नैतिकता के विरुद्ध नहीं होतीं । मेरा कहना यह नहीं है कि नैतिकता के प्रचार की आवश्यकता नहीं है और यह भी नहीं है कि कहीं कहीं अनैतिकता नहीं है या उसको दूर करना नहीं है, लेकिन बार बार यह कह कर कि हमारे यहां अनैतिकता बहुत बढ़ गई है और उसके लिये बड़ा उद्योग करना है, बाकी केवल शब्दों के द्वारा अनैतिकता का पाठ करके हम नैतिकता ला सकते हैं यह भी हमें नहीं समझना चाहिये । हमें जहां तक हो सके जनता की सेवा अपने चरित्र की शुद्धि करना और निर्बल होते हुये भी अपनी दुर्बलता को दूर करने का प्रयत्न करना है । नैतिकता को लाने का मार्ग हमारे शब्दों द्वारा नहीं है, वह हमारे कार्यों द्वारा है गाँधी जी ने हमें बतलाया कि नैतिकता किस तरीके से लायी जा सकती है लेकिन नैतिकता की व्याख्या गाँधी जी ने कभी नहीं की, परन्तु हमारे देश में ऐसा कोई पुरुषार्थी नहीं हुआ जिसका मान इस बिजली चमकाने वाली नैतिकता के आधार पर इतना हुआ हो जैसा कि गाँधी जी का । वह इसलिये कि उन्होंने दूसरे से नहीं कहा, परन्तु स्वयं करके दिखाया । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कहना ठीक नहीं है मगर हमें ज्यादा जोर करने पर देना है और करने में मैं समझता हूं एक बात हमें दूसरी भी समझनी है और वह यह है कि अपने कर्तव्य को करते हुये हमारे हृदय में उदारता भी आनी चाहिये । यह समझना कि वह जो हमसे भिन्न प्रकार से बसर कर रहे हैं वे अनैतिकता कर रहे हैं, यह भी उचित नहीं है । हमने स्वतंत्रता दे रखी है । हमने विचार की, कार्य की और अमल की आजादी दी है । उससे यह स्वभावतः परिणाम निकलता है कि हमारे कर्त्तव्यों और विचारों में भिन्नता हो । हमारे देश में इस संबंध में वैचित्र्य है । यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश धनी हो, एकता के होते हुए भी जो हमारे यहां डायवर्सिटीज रही हैं वे बनी रहें, तो हमें आवश्यक है कि हम एक दूसरे को बुरा केवल इसलिये न समझें कि जैसा हम समझते हैं रहन-सहन होना चाहिये वैसा ही वह नहीं कर रहे हैं तो हम उनको दूसरी तरह समझने लगें ऐसा नहीं होना चाहिये । दूसरे यह कि हमें मनुष्यों की कमजोरियों को समझना है और उनको समझते हुए हमें आगे की भूलों और पीछे की भूलों को भी देखना है और उन सबको देखकर ही हमें कुछ राय कायम करनी है । अगर हम इस तरीके पर देखें और कार्य करें तो समाज से कठोरता निकल जाय, माधुर्य आ जाय और माधुर्य आ जाने से तथा इस कठोरता के निकल जाने से हम अपने यहां नैतिकता ला सकते हैं । इसके लिए मैं समझता हूं हमें इस वक्त एक बात की बहुत आवश्यकता है और वह आवश्यकता विनय की है । एक जमाना था जब बड़े से बड़े धनी, बड़े से बड़े विद्वान भी अपने को साधारण मनुष्य, बहुत छोटा मनुष्य समझते थे । लेकिन आज हम देखते हैं यह जो उच्छृंखलता आ गयी है वह कुछ तो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से और कुछ जमाने के बदलने के असर से यह विनय कम हो गयी है । विनय एक बड़ी भारी चीज है जिसके द्वारा जीवन में एक दूसरे पर प्रभाव डालने में और नैतिकता का भी प्रचार करने में सबसे अधिक सहायता मिल सकती है और इसके साथ ही साथ हम अभी अभी अपने देश में स्वतंत्रता लाने में सफल हुए हैं । मैं समझता हूं किसी भी मुल्क में जिसने स्वतंत्रता और आजादी को पाया है इस तरीके पर जनता का अपना कार्यक्रम जारी नहीं रहा है, जैसा कि यहां रहा । उसके कारण संभव है कि हमारे रास्ते में कुछ रुकावटें भी पड़ीं हों परन्तु वह हमारे देश की प्राकृतिक, पुरातन और नैतिकता तथा मर्यादा के कारण है कि हम सब संगठित हैं । स्वराज्य के आने पर भी ऐसे ही बने रहे और समाज में विशृंखलता न आने पायी । हमारे यहां फिर भी समाज का संगठन इसी तरह होता रहा । उसमें परिवर्तन भी बड़े बड़े होते रहे । जमींन्दारी विलिनीकरण का विषय चाहे छोटा सा ही मालूम होता हो मगर हमारे समाज के लिये यह एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न करने वाली बात भी हो सकती थी । स्वराज्य के आने के बाद जो हमारे यहां गणराज्य की स्थापना हुई, जो हमने नये नये सिद्धांतों को अंगीकार किया उनसे भी समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता था । परन्तु फिर भी शान्तिपूर्ण तरीके से हमारे यहां सब बातें होती रहीं । और जो देश शान्ति के साथ इस तरीके पर अपने परिवर्तन को कर सकता है वहां नैतिकता में यदि कुछ कमी भी हुई हो तो वह पूरी हो जायेगी, यह हमें भरोसा होना चाहिए । जो

हमारे यहां त्याग और तपस्या की जगह पहले थी, वह फिर हमारे यहां हो जाय, कुछ लोग ऐसे हो जायं जो देश के प्रति सेवा करने में अपना धर्म समझें तो बड़ी ऊंची बात हो सकती है। पहले धर्म का बड़ा बंधन था, वह बन्धन अब शिथिल हो गया है। धर्म उसे कहते हैं जो समाज द्वारा धारण किया जाता है। आज तो इस विषय में कि ईश्वर से हमारा क्या सम्बन्ध है, ईश्वर का क्या स्थान इस सृष्टि में है उसके बारे में भिन्न विचार रखने वाले भी काफी हममें से हैं। तो ऐसी अवस्था में वह पुराना बन्धन जो था वह नहीं रहा। जाति और वर्ण भेद को हम स्वयं अलग रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब एक होकर रहें, सब में समानता हो। ऐसी अवस्था में कोई घबराने की बात नहीं है। हमें देखना है कि हम यथा संभव हर अपने अपने क्षेत्र में ठीक तरह से जहां तक भगवान ने हमें बल दिया है, अच्छी तरह व्यवहार करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम नैतिकता को सबसे अधिक उठावेंगे। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब डेमोक्रेसी आती है, जब लोकतन्त्र का कार्य होता है तो एक बड़ी चीज जो समाज को ठीक रखती है वह है पोलीटिकल डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक कान्शंस। उसके बनाने में कुछ समय लगाने से वह चीज होती है। समाज में जहां धर्म का बन्धन नहीं रहता वहां शान्ति नहीं रहती लेकिन हमने शान्ति की रक्षा की है। जहां तक डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन और पोलोटिक्स कान्शंस की बात है वह पूर्ण रूप से हो जाय तो ठीक है। यदि वह पूरा नहीं हुआ तो इसमें भी कोई व्याकुलता की बात नहीं है, उसको तो हमें पूरा करना है। आज हमने समाज के पुराने बन्धन को, धर्म को निर्बल कर दिया है, शिथिल कर दिया है चाहे उसके कारण जो भी हों। परन्तु वे हों या न हों, जब हमने लोकतन्त्र की पद्धति को मान लिया तो हमारे यहां डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, लोकतंत्रामक अनुशासन और संगठन की भी बड़ी आवश्यकता है और उसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को समाज का एक अंग समझे और अपने हित को समाज के ही हित में विलीन कर दे। यह भावना अगर आ जाय तो फिर नैतिकता के जरिये चाहे वह राजनीतिक दृष्किोण से कुछ सम्बन्ध रखे, वह फिर दृढ़ हो सकता है और मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। चाहे हमारा राजनैतिक विचार आधुनिक विषयों के बारे में, जो भी हों, जहां तक मौलिक विषयों की बात है उसमें हम सब को एक होकर चलना है और अगर यह न होगा तो हमारे समाज के लिये खतरा हो सकता है। आखिर में तो समाज सही जगह ही खड़ा रहेगा परन्तु कार्यकर्त्ताओं को अवसर है कि वे शान्तिपूर्ण मार्ग से नये समाज का संगठन करें। इस तरह से असरात पैदा हों कि नैतिकता के ह्रास से फिर समाज में उथल-पुथल पैदा हो जाय। उथल-पुथल पैदा होने के कारण अगर समाज में शान्ति और सजीवता रहे तो कोई-बड़ी हानि नहीं है। परन्तु इसको साबित करना कठिन होता है। और अन्त में हम अपने नैतिकता के पुराने सिद्धांतों को सामने रखते हुए, अपनी मर्यादा की सीमा, अपनी संस्कृति और सभ्यता को, जो भारतीय हैं, उसके आधार पर अगर हम खड़े रहें तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कमी हुई है वह पूरी हो जायेगी। उसी के साथ साथ हमें आर्थिक उन्नति का भी खयाल करना है। जब तक प्रत्येक मनुष्य का पेट अच्छी तरह से न भरे तब तक पूरे तरीके से उस बात को नहीं देख सकता जिसको देखकर नैतिकता की ज्योति आती है और इसलिये उसकी तरफ भी हमें काम करना है और एक दूसरे के प्रति सद्भावों को रखकर यह समझकर कि विचारों में भेद हो सकता है स्वयं को हमें अपनाना है, उसमें कार्य और विचारों की ही गुंजाइश है, यह देखना है कि दूसरे भी जो कुछ करते हों जब तक हमारे सामने कोई प्रमाण न हों उसकी नेकनीयती और उसकी सद्भावना पर हमको कोई शक नहीं करना है और हमको संयम को सब जगह करना चाहिए। हमें नवयुवकों में, विद्यार्थियों में और भिन्न-भिन्न प्रकार के सरकारी कर्मचारियों में इसे करना है और सबसे पहले अपने में करना है क्योंकि अपने में करना ही सब के लिये अधिक उपयोगी हो सकता है और वह चीज हमारे बस की है बमुकाबिले इसके कि हम औरों पर करें और करायें। उस तरीके को हमें छोड़ना नहीं है मगर जहां तक हो हमें व्यवहार और अमल में दिखलाना है। यहां सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ कहा गया। हम सब चाहते हैं कि रिश्वतखोरी खत्म हो। आखिर स्वतन्त्र देश के आजाद मुल्क में वह भी रहते हैं। जो भी आज सरकारी कर्मचारी है उसको यह तो समझना है कि वह भी इसी देश का नागरिक है और यह जो

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

ऊंचा स्थान है उसे सेवा का मिला उससे ऊंचा कोई मिल नहीं सकता। पैसे के कारण वह आज उस स्थान को दूषित तो नहीं कर रहा है। आज तो अपने देश की सेवा का अवसर हर एक को मिल रहा है और इसलिये आज अपने उच्च आदर्श को छोड़कर उसे अपने हाथों को गन्दा करता है तो वह अपने जीवन को लज्जाजनक बनाता है। उसमें ऐसी स्फूर्ति होनी चाहिए कि पहले जो भी रहा हो आज हमें ऊंचे आदर्श को रख कर इस स्वतन्त्र मुल्क की जो सेवा का अवसर मिला है उसमें अपने को ऊंचा रखते हुए देश को अच्छा बनाना है और जो थोड़े से अपने फायदे के लिये कानून के, नीति के और नैतिकता के विरुद्ध काम करते हैं उनको भी यह सोचना चाहिए कि अपने लघु स्वार्थ के लिये वह ऐसी बात न करें। हर आदमी अगर यह करना चाहे कि सबसे आखीर में आए और सबसे पहले टिकट लेना चाहे तो फिर यह बात तो नहीं चल सकती। हमें तो संयम करना है और अपने बीच में हमको खुद एक वालन्टरी आर्डर पैदा करना है ताकि उस ढंग से हम काम करें तो दूसरों को जो बुरे भी विचारों के हों उनको भी कुछ सीखने का अवसर मिले और हर एक को यह हो जाय 'फर्स्ट कम सर्व फर्स्ट'। इस सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना हमारे यहां होनी है और अगर हम इस भावना को अपने में खपा सकें और वह गहरी जड़ें पकड़ सकें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा सारा समाज शुद्ध और पवित्र हो सकता है। आप जानते हैं कि जिले में ऐन्टी करप्शन कमेटीज हैं और आपको मालूम होगा कि एक कमेटी हमने खुद बनाई है कुछ अरसा हुआ और वह कमेटी इस पर काम कर रही है कि किस तरीके पर सरकारी अधिकारियों में जो ऐसी कमियां हैं वह दूर की जा सकें। एक तो हमें आर्थिक दृष्टिकोण बतलाया गया कि छोटे अधिकारियों का वेतन बढ़ना चाहिये, ठीक बात है, परन्तु वह बहुत सी बातों पर निर्भर है और देश में वेतन देने की कितनी कैपेसिटी है। हमें अपने कार्य-कर्त्ताओं के वेतन को लेकर ही उस विषय को नहीं तय करना है। किसी विषय को लेकर ही हम उस विषय पर कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं तो जिस कन्ट्रेक्ट में फैसला करना होता है उसको देखकर ही करते हैं। इसलिये एक एवरेज सिटीजन को क्या हालत है उसको देख करके भी और और बातें भी हो सकती हैं कि उसको देने की कितनी शक्ति है उसको देखकर ही हो सकता है, परन्तु और बातें हैं। वह बातें यह हैं कि सरकारी कर्मचारी अगर आज थोड़ी तनख्वाह लेकर भी काम करने को तैयार है तो उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए और अगर वह उसको नाकाफी समझता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि सैकड़ों और हजारों ऐसे आदमी इस समय हैं जो कि उसी पर काम करने के लिये तड़प रहे हैं। इसलिये जब तक कि उस स्थान को वह रखते हैं चाहे उसको अच्छी तरह से आराम न मिले तब भी उसे समझना है कि हजारों और इस देश में ऐसे हैं जो इस वक्त भी उससे अधिक कम में अपना जीवन बिता रहे हैं इसलिये अपने आराम का लिहाज न करके उसे देश सेवा का जो अवसर मिला है उसे सबसे आगे रखना है और इस तरह से काम करना है जिससे जनता में श्रद्धा उस पर बढ़े और सबसे मिलकर अपने देश के स्टैन्डर्ड का विचार करना है और उसे ऊंचा करना है जिससे सरकारी कर्मचारियों का भी और औरों का भी उनसे सुधार हो सके। इसलिये हमें सार्वजनिक समुन्नत करने के लिये सबका हित करने में अपनी सारी शक्ति को लगाना है और उसमें हमें रचनात्मक कार्यों के इस युग में सारा अपना बल देना है जिससे उनका भी हित हो और औरों का भी। जो कमेटी बैठी हुई है उसने इस आधार पर कुछ फैसले कर दिये हैं। मसलन यह कि हर सरकारी अहलकार के लिये जो ऐनुअल रिपोर्ट दी जाती है उसमें खास खास बातें इंटेग्रिटी की, मेरिट की और कुछ विशेष तफसील की बातें होंगी जिनका उनको जवाब देना होगा और हर बड़े अहलकार को अलावा और बातों के तसदीक करके यह डिक्लेरेशन भेजना होगा अपने अधिकारियों के बारे में कि मैं यह तसदीक करता हूं कि यह ईमानदार है और यही नहीं बल्कि यह भी कहना होगा कि मैं यह भी तसदीक करता हूं कि यह ईमानदारी और सुन्दर तरीके पर उस काम को करता है। इसके अलावा हमें यह भी सोचना है कि पांच पांच वर्ष में एफीशियन्सी बार हो। इस वक्त एफीशियन्सी बार सिर्फ एक या दो बार सर्विस में होता है, लेकिन अब हर पांच साल के बाद यह कहना होगा कि इसकी इंटेग्रिटी सुन्दर रही

और अगर उसको दन्ड देने के लिये प्रमाण न पा सकें तो उसके ग्रेड की तरक्की रोक दी जा सके यदि वह कोई ऐसा काम करे। और वह बार हर पांच वर्ष में बारदार देखने का फिर फिर देखने का मौका मिले और गुंजाईश हो। फिर तरक्की के बारे में यह बात है कि जो इंक्रीमेन्ट्स मिलते हैं, जो सालाना तरक्कियां मिलती हैं वह दूसरी बात है लेकिन एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जैसे नायब तहसीलदार से तहसीलदार या तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर में जाने के लिये कोई कितने ही दिन काम कर चुका हो इस बात का लिहाज न किया जाय बल्कि सिर्फ इस बात का, मेरिट और इंटेग्रिटी का विचार कर तरक्की दी जाय और उनकी सीनियारिटी या टर्म आफ सर्विस के विचार से नहीं बल्कि ईमानदारी और गुण के विचार से उनको तरक्की मिले चाहे कम वक्त की ही उनकी सर्विस रही हो और जिनके बारे में शक हो वह न बढ़े। यह हम कर रहे हैं कि गुणवान और ईमानदार आदमी आगे बढ़े। मुझे यह सूचना देनी थी। इसके अतिरिक्त जो कोई रेपुटेशन में अच्छा नहीं है, अगर एक मर्तबा रिपोर्ट आये कि इसका रिपुटेशन खराब है गो उसका उसी समय विचार किया जाय और अगर दो मर्तबे आये तो दो सालों की रिपोर्टों में तो उसको अलग करना चाहिए और या उसके वेतन में जो वृद्धि होती है वह रोक देना चाहिए और उसके खराब रिपुटेशन की जो बात है उस पर विचार किया जाय। और अगर रिपुटेशन के साथ कोई मुफस्सिल शिकायतें मिलें तो उन पर जांच हो कर जो कार्यवाही हो वह की जाय। हम यह भी चाहते ह कि जो नियम इस वक्त हैं इस बात के लिये कि जिन सरकारी अहलकारों के बारे में इस किस्म की शिकायतें हों उन पर फौरन ही कार्यवाही की जाय, उन नियमों में भी संशोधन ऐसे हों जिनसे कम वक्त में और आसानी से सही नतीजे पर पहुंच सकें। यह कुछ बातें मैंने बतलाईं। और भी हम उसमें विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक इस प्रश्न का सवाल है हम सब एक ही विचार रखते हैं और मैं आशा करता हूं कि हम सब अपनी तरफ से जो उद्देश्य इसमें बतलाये गये हैं उनको पूरा करने का यत्न करेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रतनलाल जैन--माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार प्रगट किये हैं उनको ध्यान में रखकर मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश अवैतनिक जन-सेवक (ग्रामीण) संरक्षण विधेयक, १९५२

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)--श्रीमान्, डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अवैतनिक जन सेवक (ग्रामीण) संरक्षण विधेयक पुरःस्थापित करने की श्रीमान् से अनुज्ञा की प्रार्थना करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रपाल वाजपेयी जी द्वारा इस प्रस्तुत विधेयक के पुरःस्थापन पर विरोध करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें विधान का और यू० पी० लेजिस्लेटिव एसेम्बली के रूल्स आफ प्रोसीजर के नियमों का उल्लंघन होता है। जहां तक कि मेरिट का सवाल है, यह तो बाद की चीज है कि यह ठीक है या गलत है, लेकिन जहां तक लीगल एस्पेक्ट इसके हैं वह रूल्स और विधान के खिलाफ जाता है। क्योंकि विधान की लिस्ट तीन में धारा २४८ के अनुसार है, जो कांकरेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि --

"Criminal law including all matters included in the Indian Penal Code at the commencement of this Constitution but excluding offences

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II."

[दन्ड विधि जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत दन्ड संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को छोड़ कर।]

तो लिस्ट १ और लिस्ट २ के जो आर्टिकिल्स हैं और जो क़ानून के खिलाफ हैं उनके ऊपर कोई भी स्टेट लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, लेकिन जो विधेयक माननीय चन्द्रपाल जी ने प्रस्तुत किया है जिसकी धारा ८ इस प्रकार है--"किसी अवैतनिक जन सेवक के विरुद्ध कोई मुक़द्दमा संचालक पंचायत राज से आज्ञा लिये हुए बिना नहीं चलाया जायेगा" तो इसमें "कोई मुक़द्दमा" यह एक बहुत ही व्यापक टर्म है। जितने सेंट्रल और प्राविंशियल ऐक्ट हैं उनके मातहत कोई भी मुक़द्दमा बिना पंचायत राज के संचालक की आज्ञा के नहीं चलाया जाय इतना बड़ा अधिकार देना कहाँ तक संभव है और उचित है। नियम ९३ में लिखा हुआ है कि "जब विधेयक ऐसे विधान निर्माण का आरम्भ करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता के बाहर है तब अध्यक्ष उस पर विस्तारपूर्ण चर्चा करने की अनुज्ञा दे सकता है" तो चूंकि लिस्ट थ्री की कांकरेंट लिस्ट में यह चीज नहीं आती और इससे सेंट्रल ऐक्ट और प्राविंशियल ऐक्टों का उल्लंघन करने पर भी डायरेक्टर, पंचायत राज से पूछा जाय, इतना बड़ा अधिकार विधेयक से देने जा रहे हैं तो यह भवन की अधिकार की सीमा से बाहर है।

अगर मान लिया जाय, किसी प्रकार इसको हम विधान के अन्दर मान भी लें कि हम इस पर विचार कर सकते हैं, फिर भी यह विधेयक अनियमित है नियम ९१ के अनुसार [नियम ९१ के उपनियम (२) के अनुसार] कि "यदि किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित करने या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने की सूचना दी जाय जो अध्यक्ष की राय में, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो अध्यक्ष सूचना की प्राप्ति के उपरान्त यथाशीघ्र उस विधेयक अथवा संशोधन को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को यथास्थिति निर्दिष्ट करेगा" तो इसमें श्रीमन् ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें बिना राज्यपाल की सिफारिश के यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे, मिसाल के रूप में मैं ३ उदाहरण देना चाहता हूं कि क्यों बिना गवर्नर महोदय की सिफारिश के यह पुरःस्थापित नहीं हो सकता। पहला तो यह है कि इसमें इंडियन पीनल कोड की ५ धाराओं को कहा जा रहा है कि इस प्रान्त की सीमा के अन्दर जहाँ तक अवैतनिक जनसेवक ग्रामीणों का सवाल है, लागू न होंगी। यह धारा ७ में लिखा हुआ है कि "किसी अवैतनिक जनसेवक के विरुद्ध दंडविधान संग्रह की धारा १५१, १०७, १०९, ११०, ११७ के अनुसार कार्रवाई नहीं की जायगी।" तो यह इतना व्यापक बिल है कि बिना गवर्नर महोदय की सिफारिश के इसका पुरःस्थापन नहीं होना चाहिये। इसके अलावा दूसरा अधिकार जो हम इसमें देते हैं वह यह है कि जो बिना गवर्नर महोदय की सिफारिश के नहीं हो सकता। वह नवीं धारा है। इसमें लिखा हुआ है, "अवैतनिक जन सेवकों पर जन सेवकों (सरकारी) के चरित्र नियम लागू होंगे और उन्हें सारी वही सामान्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जो जनसेवकों को प्राप्त होती है।" यानी जितने गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स हैं वह सब जनसेवकों पर लागू हों। यह भी एक ऐसी बात है जिस पर गवर्नर महोदय की सिफारिश होना और सरकार का पूर्ण रूप से विचार करना आवश्यक है और उनकी सिफारिश पर इसका पुरःस्थापन होना आवश्यक है।

तीसरी बात वही डायरेक्टर से अनुमति लेने की है जो धारा ८ में दिया हुआ है कि "किसी अवैतनिक जनसेवक के विरुद्ध कोई मुक़द्दमा संचालक पंचायत राज से आज्ञा लिये हुए बिना नहीं चलाया जायगा।"। तो श्रीमन्, सरपंच, सभापति, उपसभापति, पंच ये जितने हैं, मैं समझता हूं कुल मिलाकर के ५०,००० इस स्टेट में जरूर होंगे, तो ५०,००० जो

अवैतनिक जनसेवक होंगे या उससे कम, उन सब के बारे में इतना बड़ा अधिकार डाइरेक्टर को दे दिया जाय बिना गवर्नर महोदय की सिफारिश के यह मैं समझता हूं नियमों की अवहेलना होगी।

अतएव पहला तो मेरा निवेदन यह है कि चूंकि इस विधान के, इस लेजिस्लेचर के अधिकारों के बाहर है इस पर विचार करना, तो हम इस पर विचार ही नहीं कर सकते। और अगर माननीय बाजपेयी जी चाहते हैं कि कोई अधिकार दिये जायं तो वे ऐसा अधिनियम बनावें जो इस सदन के अधिकारों की सीमा के अन्दर हो। मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि आप अपनी रूलिंग दे भी दें कि यह अधिकार के अन्दर है तब भी गवर्नर महोदय की स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप विधानानुसार और नियमावली के नियमानुसार उचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---प्वाइंट आफ आर्डर सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं तो यह कहता हूं कि अगर इसके प्रिएम्बिल• को देखा जाय तो माननीय सदस्य जिन्होंने इसको हाउस के सामने पेश करने की अनुमति माँगी है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे आखिर क्या चाह रहे हैं और वह इससे स्पष्ट हो जाता है।

"चूंकि राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना के कारण बहुत से व्यक्तियों के जिनमें शासन और न्याय सम्बन्धी गुरुतर दायित्व सुपुर्द हैं और प्रायः उनके कार्यों में बाधा देने और उन पर आक्रमण होने की शिकायतें आती रहती है और उनका अवैतनिक जन सेवा कार्य कठिन हो जाता है, अतः उन्हें उचित क़ानूनी संरक्षण देने की आवश्यकता के हेतु एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।"

जहाँ तक श्रीमन् इस बिल के प्रिएम्बिल पर निगाह डाली जा सकती है उससे यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य पंचायत के जितने पदाधिकारी हैं उनको पब्लिक सर्वेंट करार देना चाहते हैं और उसके बाद उनको वही सुविधायें और संरक्षण देना चाहते हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट को प्राप्त हैं। आगे चलकर यदि बिल के हर क्लाज़ पर ध्यान दिया जाय तो इस बिल का महज़ मतलब यह निकलता है कि पंचायत के अधीन जितने कर्मचारी हों या जितने पदाधिकारी हों उनको पूर्णरूप से संरक्षण प्राप्त हो। इसके सम्बन्ध में मैं श्रीमन्, पंचायत राज ऐक्ट का हवाला देना चाहता हूं। पंचायत राज ऐक्ट सेक्शन २ :

"Public servant means a public servant as defined under section 21 of the Indian Penal Code, 1860."

['सरकारी कर्मचारी' का तात्पर्य भारत दण्ड संहिता, १८६० की धारा २१ में परिभाषित सरकारी कर्मचारी से है।]

इसी से सम्बन्धित अब श्रीमन्, पंचायत राज ऐक्ट की धारा २८ पर ध्यान देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य कौन सी वैधानिक आपत्ति उपस्थित करना चाहते हैं ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मैं यह कहता हूं कि जितनी चीजें वे चाहते हैं वे पंचायत राज ऐक्ट में मौजूद हैं। उसके रहते हुये यह महज रेपिटीशन है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज जो बिल सदन के सामने आया हुआ है और जिसके पेश करने की अनुमति माननीय सदस्य चाहते हैं यह महज मल्टिप्लीसिटी आफ ऐक्ट्स है और इससे कोई लाभ जनता को या पब्लिक सर्वेन्ट्स को नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष---अनावश्यक है ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--जी हाँ, अनावश्यक है। (इंट्रप्शन) बोलने दीजिये साहब। आप परेशान मत होइये, देखते रहिये। सेक्शन २८ पंचायत राज ऐक्ट का देखिये श्रीमन् :--

"Every member or servant of the Panchayati Adalat or Gaon Panchayat or General Committee or any other committee constituted under this Act shall be deemed to be a 'public servant' within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."

[इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित पंचायती अदालत या गाँव पंचायत या सामान्य समिति या अन्य किसी समिति का प्रत्येक सदस्य तथा कर्मचारी भारत दंड संहिता की धारा २१ के अभिप्राय के अन्दर 'सरकारी कर्मचारी' समझा जायेगा।]

श्रीमन्, आप यह देख सकते हैं कि जहाँ पर एक पंचायती अदालत का प्रश्न उठता है या गाँव पंचायत का प्रश्न उठता है वह पब्लिक सर्वेंट इस पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार माने गये हैं। श्रीमन्, पंचायत राज ऐक्ट के सेक्शन २८ के अनुसार उनको यह अधिकार दे दिया जाता है और जहाँ तक इंडियन पेनल कोड का ताल्लुक है उसके सेक्शन २१ के अनुसार पब्लिक सर्वेन्ट माने जायं। फिर उसके बाद इस बात की क्या जरूरत रह जाती है कि ऐसा विधेयक लाया जाय। आप इस विधेयक की धारा ४ (ख) को देखिये। इसमें लिखा हुआ है --

"सरपंच, सभापति, उप सभापति, पंच पंचायत, पंचायत राज अधिकारी, संचालक, पंचायत राज, जिला मैजिस्ट्रेट का अर्थ वही माना जायगा जो पंचायत राज अधिनियम, १९४९ में दिया हुआ है।"

श्रीमन्, ऐसी परिस्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह से अगर बिल्स आते रहेंगे तो यह बहुत ही अनहैपी प्रीसीडेंट होगा।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर माननीय सदस्य का नहीं है। वह तो बिल की मेरिट पर जा रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक कोई क़ानूनी बात न हो तब तक मेरिट का कोई सवाल उठता नहीं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि यह मल्टीप्लीसिटी आफ़ ऐक्ट्स है। इसकी अनुमति आप न दें। वही चीज़ जो एक ऐक्ट में मौजूद है फिर उसके लिये एक बिल लाना कहाँ तक उचित है ?

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह आपत्ति जो जब इस बिल को पेश करने की इजाजत मिल जायगी तब आप उठा सकते हैं। इस वक्त तो यह आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस रूप में पेश किया गया है और भाई नारायण दत्त जी ने जैसी इसकी मुखालिफत की है और दूसरे सज्जन अभी जो वैधानिक आपत्ति उठा रहे थे मैं भी उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूं और यह समझता हूं कि इसकी जितनी धारायें हैं वे जो पहले ऐक्ट आ चुके हैं उनमें कहीं न कहीं पर जरूर मौजूद हैं और उनका पुनः लाना मैं समझता हूं कि अनावश्यक है और इस सदन के समय को बर्बाद करना है।

उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह कह देता हूं कि अभी तो सदन ने इसको अनुमति दी नहीं दी है। जो आपत्ति आप अभी उठा रहे हैं वह इस समय उचित नहीं है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो श्री नारायण दत्त जी ने वैधानिक आपत्ति उठायी है बजाहिर वह बहुत हद तक सही मालूम होती है। इसमें क्रिमिनल लाज में संशोधन करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रेसीडेंट की पहले से स्वीकृति प्राप्त हो जाय। परन्तु इसकी तह में जाये बिना और यह कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है इसकी बाबत मैं अपनी कोई निश्चित राय इस वक्त जाहिर नहीं कर सकता। इतनी बात जरूर है कि जो सेक्शन २८ और २९ पंचायत राज ऐक्ट के हैं उनके देखते हुए इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। जो माननीय सदस्य का उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है और जब इस ऐक्ट में सेक्शन

है तो मैं समझता हूं कि विधेयक गैर जरूरी है और जो प्रस्तावक महोदय हैं उनसे दरख्वास्त है कि वह इस बिल को आगे प्रोसीड न करें और वापस ले लें।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी---श्रीमन्, मैंने जब इस बिल का नोटिस दिया था उस वक्त मेरी निगाह के सामने पंचायत राज ऐक्ट की दफ़ा २८ थी और मैं यह जानता था कि पंच, सरपंच वगैरा यह सब जनसेवक माने जाते हैं। लेकिन मैं यह देखता हूं कि दफ़ा २८ इस काम के लिये काफ़ी नहीं है, जिसका जिक्र मैंने अपने विधेयक में किया है। चूंकि दफ़ा २८ इस क़िस्म की मौजूद है इसलिये विधान संबंधी दिक्कत तो मालूम नहीं होती। लेकिन इस सिलसिले में मेरी बातचीत स्वशासन मंत्री से हो चुकी है और मैंने उनको यह दिक्कत बतलाई है कि इस दफ़ा का कोई अमल पंचायतों में नहीं हो रहा है और उनके रास्ते में अड़चनें पड़ती हैं। इनको दूर करने के लिये स्वशासन मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है। इसलिये मैं इसे पेश करने के लिये ज़िद नहीं करना चाहता। यदि भविष्य में इस पर ठीक-ठीक अमल नहीं हुआ और दिक्कत पड़ी तो गवर्नमेंट के सामने फिर रखूंगा, इसलिये मैं इस समय प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य ने विधेयक को पेश करने की अनुमति का जो प्रस्ताव रखा था उसे वापस लेना चाहते हैं। अगर सदन की इजाजत हो तो यह वापस हो सकता है।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

खेत मजदूरों की मजदूरी निश्चित करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं अपना संकल्प पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के इस सदन की राय में प्रदेश के खेत मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी जाय, जो एक रुपये से कम प्रदेश के किसी भाग में न हो। इसके लिये कि कोई निश्चित मजदूरी से कम न दे, सरकार क़ानूनी व्यवस्था करके खेत मजदूरों की रक्षा करे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---प्वाइंट आफ आर्डर सर, श्रीमन्, मुझे इस पर वैधानिक आपत्ति है और वह यह है कि कॉंस्टीट्यूशन का शिड्यूल ७, लिस्ट ३ में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कॉंकरेंट सबजेक्ट्स दिये हुये हैं, नम्बर २४ यहाँ पर :

"Welfare of labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits."

[श्रमिकों का कल्याण, जिसके अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य निधि नियोजक, उत्तर-दायित्व, कर्मकार, प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति वेतन और प्रसूति-सुविधाएं भी हैं]

अब आप देख सकते हैं कि इस जगह तक इन चीजों पर अधिनियम स्टेट या प्रांविंशियल गवर्नमेंट्स का बन सकता है। कांकरेन्ट लिस्ट के मानी यही हैं कि यह दोनों सेंट्रल और स्टेट सबजेक्ट्स है। अब श्रीमन्, आप देखें कि इस पर एक सेंट्रल ऐक्ट मिनिमम वेजेज ऐक्ट मौजूद है। लिहाज़ा अब इसकी कोई जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं यह पूछना चाहता हूं कि मद २४ का जो उन्होंने हवाला दिया है उसमें यह है--

"Welfare of labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits."

[श्रमिकों का कल्याण, जिसके अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य निधि नियोजक, उत्तर-दायित्व, कर्मकार-प्रतिकार असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति वेतन और प्रसूति सुविधाएं भी है]

[उपाध्यक्ष]

अगर यह जो संकल्प पेश किया गया है उसमें केवल मजदूरी की दर निश्चित करने के लिये प्रश्न उठाया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मद २४ इसको कैसे कवर करती है जो माननीय सदस्य कहते हैं कि इसको पेश न होना चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहाँ पर यह एम्प्लायर्स लायबिलिटीज है यह इसको कवर करती है और इसके बाद जहाँ पर वर्कमेन्स कम्पेनसेशन है वह भी इसको कवर करता है। जहाँ तक वेजेज का ताल्लुक है मिनियम वेजेज ऐक्ट में इस बात को दिखलाया गया है एम्प्लायमेंट इन एग्रिकल्चर पार्ट टू में :

"A schedule must be incorporated, that is to say, in any form of farming including the cultivation and tillage of soil, cultivation. . . . agriculture, horticuture, the raising of livestock, etc. . . . . ."

[एक अनुसूची सम्मिलित की जानी चाहिए, अर्थात् खेती के किसी भी रूप में जिसमें कृषि और मिट्टी की जुताई, कृषि.....खेती, उद्यानीकरण, पशु-पालन इत्यादि सम्मिलित हैं।]

इसके मानी यह हैं कि जो सेंट्रल ऐक्ट मिनिमम वेजेज ऐक्ट है वह इस पर लागू होता है। इस तरह का क़ानून मौजूद है लिहाजा उसके रहते हुए अब मैं आपके सामने इंडियन संविधान का अनुच्छेद २५४ पढ़ना चाहता हूं उसमें यह है कि ---

"If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause 2), the law made by Parliament whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy be void."

"(2) Where a law made by the Legislature of a State specified in Part A or Part B of the first Schedule with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earliar law made by Parliament or an existing Law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:

Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State."

[यदि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध संसद द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद, अधिनियमित करने के लिये सक्षम है किसी उपबन्ध अथवा समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान विधि के किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद द्वारा निर्मित विधि चाहे वह ऐसे राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो या वर्तमान विधि अभिभावी होगी तथा उस राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।

जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि में जो समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में है कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो, जो संसद द्वारा पहले निर्मित की गई विधि के अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्त्तमान विधि के विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस राज्य में अभिभावी होगी, यदि उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल चुकी है।

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद को किसी समय उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अन्तर्गत ऐसी विधि भी है, जो राज्य के विधान मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्त्तन या निरसन करती है, अधिनियमित करने से न रोकेगी।]

श्रीमन्, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने सिर्फ यह इस वजह से बतलाया कि जिससे सदन के सब माननीय सदस्यों की निगाह में यह बात आ जाय और वह इसको देख सकें। मैं यह कहता हूं कि यह सेंट्रल सब्जेक्ट होता था और संविधान के बनने के बाद यह प्राविंशियल सब्जेक्ट भी माना गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक मिनिमम वेजेज ऐक्ट इसके लिये बन चुका है उसमें इस प्रकार से दिया हुआ है.....

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य उन्हीं बातों को दोबारा न दोहरायें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---इस ऐक्ट के अन्दर वह सब एग्रीकल्चरल लेबर वाले आ जाते हैं, जिनका माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में जिक्र किया है, इस लिये यह प्रस्ताव यहां पर नहीं आना चाहिए।

उपाध्यक्ष---श्रम और कृषि दोनों प्रादेशिक विषय हैं। प्रस्ताव में खेती की मजदूरी की दर निश्चित करने की बात है क्योंकि दोनों विषय प्रादेशिक विधान सभा के अधिकार के अन्दर माने जाते हैं। जो मद २४ बतलाई गई है उसका भी मैंने अध्ययन किया। उसका कोई भी प्राविजन इसके विरुद्ध नहीं जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह वैधानिक आपत्ति ठीक नहीं है और यह संकल्प यहां पर पेश किया जा सकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। हमारे नियमों के नियम ७९ को यदि आप देखें तो उसमें यह है कि किसी संकल्प के ग्राह्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे, अर्थात् (१) उसकी भाषा स्पष्ट और निश्चित होगी। तो मैं चाहता हूं कि इस संकल्प की भाषा स्पष्ट कर दी जाय। इसमें यह लिखा है कि उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के इस सदन की राय में प्रदेश के खेत मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी जाय, जो १ रुपये से कम प्रदेश के किसी भाग में न हो। इससे यह साफ नहीं है कि एक रुपया एक दिन या साल या महीने की मजदूरी हो।

उपाध्यक्ष---इस समय यह आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है।

श्री झारखंडे राय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पहिले दो बातें साफ कर देना चाहता हुं। मैंने इस संकल्प में कम से कम १ रुपया मजदूरी की मांग की है। मैं समझता हूं कि माननीय शुक्ल जी को कुछ भ्रम हो गया है। मैं देहाती क्षेत्रों में रहने के नाते जानता हूं कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी आम तौर पर कभी साल में या महीने में नहीं दी जाती है। वह रोजाना की रोजाना मिला करती है। ऐसी ही परम्परा और नियम चला आ रहा है।

दूसरी बात यह है कि पूर्वी और पश्चिमी यू० पी० में इस विषय में बहुत मदभेद है। पूर्वी यू० पी० में जहां एक या दो आना रोज आज भी दिया जा रहा है मेरी राय में एक रुपया अभी फिलहाल काफी होगा। लेकिन पश्चिमी यू० पी० के लिये यह बहुत ही नाकाफी है। इस चीज को दृष्टि में रखकर मैंने यह मांग की कि कम से कम १ रुपया दिया जाय और प्रान्त के किसी भी भाग में इससे कम मजदूरी हर्गिज न दी जाय। इस लिये अगर सरकार की

[श्री झारखन्डे राय]

या किसी माननीय सदस्य की ओर से यह संशोधन आयेगा कि १ रुपये से अधिक मजदूरी दी जाय तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैंने तो सारे प्रदेश की दशा को ध्यान में रखकर यह संकल्प इस रूप में रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश और प्रदेश में अनेक गम्भीर समस्यायें १५ अगस्त, १९४७ के बाद हैं और पहले भी रही हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या मेरी समझ में खेतिहर मजदूरों की है, कृषि की है। कृषि कार्य में एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतिहर मजदूरों का है। हमारे देश में या प्रान्त में खेतिहर मजदूरों की संख्या के बारे में कोई बहुत अधिकृत आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। लेकिन हमारे देहाती जीवन में रहने वाले लोगों में मोटे तौर पर देखा जाय तो लगभग ३३ फी सदी खेतिहर मजदूर बसते हैं। यों तो ३० फीसदी से लेकर ४५ फी सदी तक हिन्दुस्तान की जनता में खेत मजदूर रहते हैं। खेत मजदूर भी दो तरह के हैं--पहले वे हैं, जिनके पास १ धूर भी जमीन नहीं है, जो बिलकुल भूमिहीन किसान हैं। सदियों से उनके परिवार में कभी जमीन नहीं रही। दूसरे ऐसे लोग हैं, जिनके पास अलाभकर खेत हैं, जिसकी वजह से उस भूमि में पैदा हुआ अनाज उनके लिये, उनके परिवार के भरण-पोषण के लिये काफी नहीं हो पाता। वे मजबूर होकर किसी ऐसे किसान या जमींदार के यहां जाते हैं, जो भूमिधर के नाम से नये चोले में हमारे सामने आ गए हैं, या किसी और दूसरे खेत पर काम करने वाले लोगों के यहां जाकर काम करते हैं। इस तरह से अपनी आय को पूरा करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं। इन दोनों तरह के खेत मजदूरों को मिलाकर ३० फीसदी से लेकर ४५ फीसदी तक हमारे देश में भिन्न-भिन्न मात्रा में, भिन्न भिन्न-हिस्सों में खेत मजदूर हैं। मद्रास, बंगाल में, हमारे प्रान्त में और सरहदी सूबे में, सब जगह एक ही फीसदी में खेत मजदूर नहीं बसते। जहां तक कि भूमि व्यवस्था का प्रश्न है वर्त्तमान सरकार ने जमींदारी का खात्मा करने का जो कानून बनाया है उसे अगर पूरा पढ़ा जाय तो सबसे बड़ी आश्चर्य और दुख की बात यह है कि इतनी मोटी पुस्तिका में इस हमारी देहाती जनता के एक-तिहाई भाग के लिये एक शब्द भी नहीं लिखा है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, खेत मजदूर की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही गयी है। जब अंग्रेजों की हुकूमत भारत में आई थी, कम्पनी का राज्य हुआ था, तब हजारों और लाखों बुनकर बेकार कर दिये गये, जो भाग कर अपने भाइयों या रिश्तेदारों के पास या और दूसरी जगह देहात में जाकर खेत मजदूरी का काम करने के लिये मजबूर हुए। इससे खेतों के ऊपर बोझ भी बढ़ा, खेतों के टुकड़े होने शुरु होगये और धीरेधीरे कर्ज हुआ जिसकी वजह से जो छोटे-छोटे टुकड़े लोगों के हाथों में थे वे उनके हाथ से निकल गये। नतीजा यह हुआ कि भूमिहीन किसानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गयी। उत्तर प्रदेशीय सरकार की ओर से जो पुस्तिका जमींदारी उन्मूलन कानून के सम्बन्ध में छपी है उसे देखने से ही मालूम होता है कि दक्षिणी भारत का सर्वे करने पर १९१७ ई० के लगभग ज्ञात हुआ कि सन् १७७१ ई० में एक साधारण किसान की खेती का औसत रकबा ४० एकड़ था। १९१५ ई० में यह घट कर ७ एकड़ रह गया। इसके मानी साफ हैं कि खेती की पैदावार के ऊपर और खेतों के ऊपर बोझ बढ़ा। इसका कारण यह भी हुआ कि अंग्रेजों की नीति के कारण कि उनके देशों में बने माल और विदेशीय पूंजी की खपत हमारे देश में हो सके, शहरों में जो लोग कुटीर उद्योगों में लगे थे उन्हें बेकार कर दिया। उन्होंने हमारे उद्योगों को चौपट कर दिया। इस तरह से काफी बड़ी जन-संख्या देहातों की ओर गई और खेत मजदूरों की संख्या बढ़ी, जिससे देहातों के ऊपर बोझ बढ़ता ही गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १८८२ ई० की सेंसस के मुताबिक खेतिहर मजदूरों की संख्या ७५ लाख थी। १९३१ के सेंसस के मुताबिक ३ करोड़ ३० लाख थी, सन् १९३७ में ३ करोड़ ५० लाख, सन् १९४४ में ६ करोड़ ८० लाख खेतिहर मजदूर हो गये थे। लेकिन यह ६ करोड़ ८० लाख उस समय हो गये थे जब तमाम हिन्दुस्तान एक था। पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान बनने के बाद मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने अपनी एक

पुस्तिका में सन् १९४८ में इस बात का अन्दाजा किया है कि अब हिन्दोस्तान में कितनी एग्रीकल्चर लेबर है। (हैदराबाद के लेबर को मिलाकर) उन्होंने उसमें बताया है कि वह ३,३९,८६,००० है। यदि इस संख्या को ठीक भी मान लिया जाय तो हमारे प्रदेश के देहातों में रहने वाली जनता का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नितान्त भूमिहीन है, जिसके पास बिलकुल भूमि नहीं है। अंग्रेजों के आने के बाद और उसके जाने के बाद भी जबकि हिन्दोस्तान में वर्त्तमान आजादी हमें हासिल हुई, तथा उसके बाद देहाती क्षेत्र में बहुत सी बेदखलियां हुई हैं। नतीजा यह हुआ कि बहुत सी खेती जो पहिले किसानों के हाथ में थी उनके हाथ से निकल गयी और वे दिनों दिन भूमि-हीन होते गये। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में खेतिहर मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या है और वह संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इतनी बड़ी बहुसंख्या के लिये जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट में एक शब्द भी न होना बड़े ताज्जुब की बात है। यह सही है कि जो नयी व्यवस्था की गयी है वह अंग्रेजी व्यवस्था से देखने में भिन्न है। पहिले भी खेतिहर चार प्रकार के होते थे और आज भी दूसरे प्रकार के चार खेतिहर देहातों में रहेंगे, परन्तु खेतिहर मजदूरों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई सुधार नहीं हुआ है, जो जमीन परती पड़ी हुई है, जो थोड़ी सी मेहनत से ही उपजाऊ बनायी जा सकती है तथा इन गरीबों की दशा उसके द्वारा सुधारी जा सकती है, उसका जिक्र इस कानून में नहीं है।

दूसरे उनकी कोई मजदूरी निश्चित कर दी जाय। कम से कम इतनी मजदूरी कर दी जाय कि जिससे वे भी जी सकें, उनके परिवार वाले भी जी सकें, उनके बच्चे लिख-पढ़ सकें तथा उनके सांस्कृतिक उत्थान का कोई उपाय हो सके उसके लिये कोई व्यवस्था इस मोटी कानून की किताब में नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे देश की देहाती जनता का इतना बड़ा हिस्सा आज तक उपेक्षित ही रहा है जिसकी कोई भी चर्चा आमतौर पर की भी नहीं जाती है। हम देखते हैं कि सरकारी बेंचों की ओर से हरिजन उत्थान की बातें कहीं जाती हैं और उसके लिये आंकड़े भी पेश किये जाते हैं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश मे जो खेतिहर मजदूर हैं उनमें आमतौर पर हरिजन लोग ही हैं उनके लिये कोई उपाय नहीं किया जाता है। थोड़े से पढ़े-लिखे लोगों को जीविका दिला देना ही काफी समझा जाता है। अतः मैं इतनी बड़ी भारी जन-संख्या की ओर माननीय मन्त्री और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हजार नहीं, १० हजार नहीं, केवल १, २ आदमी को नौकरी दिला देने से, उनको जीविका दिला देने से उन करोड़ों की जन-संख्या का कोई भला नहीं हो सकता है और न इससे उनकी समस्या हल ही होगी।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार इस चीज को हमारे अपने प्रदेश में हो, अगर अभी सारे हिन्दुस्तान में नहीं हुआ है तो भी करे। जहां तक अखबारों से मालूम हुआ है केन्द्रीय सरकार ने इस विषय को अपने हाथ में लिया था। माननीय जगजीवन राम जी तो इसके लिये पिछले ५ वर्ष से बराबर प्रचार करते आ रहे हैं। जहां भी वे जाते हैं इस पर बोलते भी हैं। मुझे इस प्रकार की रिपोर्ट भी मिली कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ गाँवों के सर्वे भी किये गये हैं और उन आँकड़ों के बल पर यह तय किया जायगा कि सारे देश को देखते हुए कम से कम कितनी मजदूरी खेहितर मजदूरों के लिये निश्चित की जाय। लेकिन अब तक की तमाम कोशिशों के कोई फल हमारे सामने नहीं आये। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लिये, इस सदन के लिये यह एक गौरव की वस्तु होगी, यदि हम इसमें इनीशियेटिव लें कि इसकी एक निश्चित मजदूरी तय कर दें ताकि यहां की देखादेखी और प्रान्त वाले भी अपने प्रदेश की स्थिति के मुताबिक खेतिहर मजदूरों के लिये मजदूरी निश्चित करें।

अभी अभी शेख अब्दुल्ला साहब ने काश्मीर की विधान परिषद् में इस बात को कहा था जबकि उन्होंने बिना मुआवजा के जमींदारी खातमे की बात कही और उसका विधेयक वहां की कांस्टिटूएंट असेम्बली के सामने पेश किया तो कुछ लोगों ने प्रजा परिषद् की ओर से इसका विरोध किया। तब उन्होंने इस बात को साफ कहा था कि हम अपने काश्मीर में चीन के च्याँग-काई-शेक का इतिहास नहीं दुहराना चाहते हैं। उस समय उन्होंने कहा कि

[श्री झारखण्डे राय]

चीन के च्याँग-काई-शेक की असफलता का एकमात्र कारण साफ तौर पर यही रहा कि उन्होंने वहाँ की कृषि समस्या और खेतिहर मजदूरों के मसले को क़तई हल नहीं किया। जब वे लाखों करोड़ों किसान जो सदियों से इस प्रकार पिसे और पददलित रहे हैं संगठित होकर खड़े हुए तो च्याँग-काई-शेक की सरकार के पैर उखड़ गये। तो शेख साहब ने कहा कि हम इसको काश्मीर के इतिहास में नहीं दुहराना चाहते हैं। और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ, हिन्दुस्तान के ही एक टुकड़े में, इसी हिन्दुस्तान के एक राज्य में, बिना मुआविजा के जमींदारी का खात्मा किया। यह तो मैं नहीं कह सकता हूं कि बहुत ही न्यायपूर्ण बटवारा हुआ, लेकिन हमारे प्रदेश में, जिस तरह से माननीय मंत्रियों की ओर से, सरकार की ओर से खेतिहर मजदूरों की समस्या हल करने की कोशिश की गयी है, उससे वह बेहतर है।

सन् १९३७ ई० से, जब से कि कांग्रेस मिनिस्टरी इस प्रदेश में बनी उस समय से इसकी बड़ी चर्चा सुनी जा रही है कि ३० एकड़ से अधिक जमीन किसी जमींदार के पास रहने नहीं पायेगी। लेकिन इस बार इस पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा जिसका नतीजा यह है कि आज भी हजारों लोग ऐसे हैं, जिनके पास हजारों बीघे जमीन सीर, खुदकाश्त और बाग मालिकान के रूप में हैं। और लाखों आदमी ऐसे हैं, जिनके पास एक धूर भी खेत नहीं है। इसलिये खेतिहर मजदूरों की समस्या को हल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसी मसले को लेकर हिन्दुस्तान में समय-समय पर विद्रोह हुए हैं। कांग्रेस के राज्य में भी इस मसले को लेकर या इससे मिले-जुले मसले को लेकर, खेतिहर मजदूर और नितान्त गरीब किसानों के मसले को लेकर, जो एक प्रकार से सर्वहारा हैं, हिन्दुस्तान के विभिन्न हिस्सों में आन्दोलन हुए। क्योंकि यह तो निश्चित है कि जब तक हमारे इतने बड़े देश में यह बुनियादी समस्या हल नहीं होती तब तक शान्ति नहीं हो सकती है, चाहे कोई भी सरकार हो। वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में सन्यासी विद्रोह हुआ, अंग्रेजों के जमाने में हो बूका विद्रोह हुआ, आन्ध्र में रामराजू आन्दोलन हुआ, काश्मीर में 'काश्मीर छोडो आन्दोलन हुआ, हैदराबाद के तेलंगाना में विद्रोह हुआ, बंगाल में तिभागा आन्दोलन हुआ, मेदिनीपुर में हाजंग आन्दोलन हुआ। यह तमाम आन्दोलन खेतिहर मजदूर और गरीब किसानों के मसले को लेकर ही हुए। इसलिये मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और यह सदन इसके जरिये से, हिन्दुस्तान के लिये एक प्रकार से प्रकाश स्तम्भ का काम करे, एक प्रकार से लाइट हाउस का काम करे और उनके लिए हम एक रास्ता दिखलाएं जिस पर चल कर हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है।

पंच वर्षीय योजना की बात भी, उम्मीद है, यहाँ उठायी जायगी। पंच वर्षीय योजना में भी भूमिहीन किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो मुख पत्र जंतर-मंतर रोड, दिल्ली से निकलता है, उसने पंच वर्षीय योजना को जहाँ तक खेतिहर मजदूरों का संबंध है, साफ साफ कहा है "निगेशन आफ लैंड टू दि टिलर्स" "जमीन जोतने वालों की होनी चाहिए" का एकदम नकार। हिन्दुस्तान बहुत पुराना देश है। इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। अंग्रेजों के आने से पहले, जमीन जोतने वालों के हाथ में रही है। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने बदला। उस सरकार के बदलने के बाद, आज यह उम्मीद थी कि हिन्दुस्तान में या हमारे प्रदेश में जमीन जोतने वालों के हाथ में दी जायगी, वह नहीं पूरा हुआ। इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, "जमीन जोतने वालों की ही होनी चाहिए" का इसे नकारात्मक रूप ही माना है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी खेत-मजदूरों के लिये कुछ नहीं है। अतः वह भी सदन के सामने काफी आँख खोलने वाली होनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस संकल्प को हाउस के माननीय सदस्य निर्विवाद, बिना किसी बहस के स्वीकार कर के सारे हिन्दुस्तान के लिए, एक आगे ले चलने वाला क़दम समझ कर इसे अवश्य उठाएंगे।

हमारे देश में हर साल बेदखलियों के कारण भी काफ़ी से काफ़ी किसान जो अपने खेतों से बेदखल किये गये उससे भी खेत मजदूरों की संख्या बढ़ी। आज जो नया क़ानून बना है

इसमें भी खेत मजदूर रहेंगे। बड़े-बड़े मैकेनाइज्ड फार्म्स आज भी हैं। बड़े-बड़े भूमिधर आज भी रहेंगे जो पुराने तरीके से खेती करेंगे। तो नये क़ानून के लागू होने के बाद भी, हमारे प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या, अब भी रहेगी। तो इसके लिए एक रुपया कम से कम मजदूरी की बात मानने में मैं समझता हूं हाउस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नहीं तो नतीजा यही होगा कि खेतिहर मजदूरों में असंतोष फैलेगा। वे समाज की पूरी व्यवस्था के खिलाफ उठ सकते हैं, उबल सकते हैं और उसका परिणाम एक विशुद्ध खेतिहर क्रांति हो कर रहेगा। जैसा कि हमको चीन में दिखाई पड़ा। इसलिये हम समझते हैं कि हमारे सदन के माननीय सदस्य इस विषय पर, इस दृष्टिकोण से, केवल नहीं देखेंगे कि विरोध करने के लिये विरोधी पक्ष की ओर से एक बात आयी है। उसका विरोध करना ही है। चाहे वह अच्छी ही हो। इसको न सोच कर करोड़ों किसान, जो हमारे देश में रहते हैं, उनकी भलाई के दृष्टिकोण से, इस पर विचार करेंगे। इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस संकल्प के ऊपर हाउस सर्वसम्मति से अपना मत देकर पूरे प्रदेश के लिये एक खुशहाली का दिन लाये और सरकार को मौका दें कि वह इस संकल्प को कानून के रूप में पेश करके, हमसे अनुमति लेकर हमसे पास करवा कर प्रदेश में लागू करे। इस तरह से एक मौका मिलेगा कि और प्रदेशों में भी ऐसी चीजें हों और हमारे देश के करोड़ों आदमियों को सही मानी में आजादी की सांस लेने का मौका मिले।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को माननीय उपाध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा संशोधन है कि संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "की" के बाद शब्द "उचित" बढ़ा दिया जाय तथा शब्द "जो एक रुपये से कम प्रदेश के किसी भाग में न हो" निकाल दिये जायं।

कारण यह है कि इस तरह जो हमारे माननीय मित्र श्री झारखंडे राय जी ने यह प्रस्ताव पेश किया है और जिस खूबी से उसको हाउस के सामने रखा है उसको सुनकर ही नहीं बल्कि मजदूरों की गरीबी को देखकर जी चाहता है कि एक रुपया नहीं बल्कि दो रुपया कम से कम मजदूरी निश्चित कर दी जाय। मैं देहात का रहने वाला हूं और इन कम्बख्त आंखों से मैंने गरीब मजदूरों की हालत को देखा है। इसमें कोई शुबहा नहीं कि कोई दिल रखने वाला आदमी यही कहेगा कि दो रुपया भी आजकल कम है। लेकिन उस का एक पहलू है। लेकिन सवाल उठता है कि कहीं इस प्रस्ताव के पास करने से उन्हीं मजदूरों का नुकसान न हो जाय। हमारे लायक मित्र ने सिर्फ एक पहलू रखा है। इसका असर क्या होगा, इस पर शायद गौर नहीं किया है या गौर करके भुला गये हैं। आपने बयान किया है कि कम से कम एक रुपया दिया जाय। अगर यह मतलब है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव मजदूरों की भलाई को मद्देनजर रख कर नहीं है बल्कि राजनीतिक भलाई के लिये पेश किया गया है। अगर यह पास हो गया तो कहा जायगा कि मैंने पास करा दिया। क्योंकि मैं अभी अलमोड़ा गया था तो वहां एक सरकारी अस्पताल खुल रहा है। मेरे एक दोस्त ने वहां यह कहा कि अस्पताल मैंने खुलवा दिया, हालांकि गवर्नमेंट खुलवा रही है। इसी तरह से पास हो गया तो यह मैंने पास करवाया और अगर नहीं पास हुआ तो मैं तो बहुत लड़ता रहा, कोशिश करता रहा लेकिन नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है, यह कह दिया जायगा। असली बात तो यह है, लेकिन जब बात सामने आ गयी है तो कम शब्दों में उसका जवाब देना तो जरूरी ही है। खेती हो या, व्यापार, ऐसा व्यापार कोई नहीं करता जिसमें घाटा हो। अगर देहात के रहने वालों के लिये एक रुपया देकर भी मुनाफा होगा तो बड़ी खुशी से लोग देंगे, उसमें एतराज हो सकता है। जब मुनाफा होता है तो एक नहीं दो रुपया हम देंगे। लेकिन अगर मजदूरी ज्यादा हुई और पैदावार कम हुई तो इसका नतीजा यह होगा कि मजदूरों को लोग नहीं रखेंगे।

[श्री सीताराम शुक्ल]

कानून बन गया है, उसके अनुसार १ रुपये से कम पर वह रख नहीं सकते, खेती में मुनाफा होता नहीं तो लोग मजदूरों को निकाल देंगे, काम नहीं लेंगे। इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि अगर वह काम नहीं लेंगे तो खेत खाली हो जायेंगे और मजदूर खती करेंगे। लेकिन यह भी नहीं होगा। वह कुछ हल ले करके थोड़ा बहुत जोत कर धान वगैरह बो देंगे और इस प्रकार उन पर अपना कब्जा रखेंगे। पैदावार नहीं होगी, मुल्क का नुक्सान होगा एक तरफ और मजदूर बेकार होगा दूसरी तरफ। यह मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं। हमारे ड्राइवर भाइयों ने कहा कि हमारा गुजारा नहीं होता, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जायं। आपने देखा कि बहुत से मिडिल क्लास के लोगों ने ड्राइवर्स को निकाल दिया और अपने मोटरों को खुद चला रहे हैं। मुनाफा कम होगा और पैसा देने को लोगों के पास नहीं होगा तो वह कहां से देंगे, देहात की हालत यह है कि बहुत से, ब्राह्मण, क्षत्री, जिन्होंने कभी हल नहीं जोता मजदूरी बढ़ने के कारण आज उन्होंने खुद हल जोतना शुरू कर दिया। मिडिल क्लास के घर की औरतों ने बरतन मांजने शुरू कर दिये। तो जहां एक पहलू यह है कि मजदूरों को पैसा मिलना चाहिये लेकिन दूसरा साथ में यह भी है कि जब पैसा नहीं है तो कोई कहां से देगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मजदूरों की भलाई को मद्देनजर रखकर, भगवान के लिये उनका नुकसान न किया जाय, और जरा उनकी गरीबी पर ध्यान दिया जाय। जबान से देखें तो अच्छी बात कही जाय लेकिन उनका नुकसान हो जाय, यह ठीक नहीं। पोलिटिकल शह कांग्रेस को दीजिए, लेकिन गरीबों का नुकसान मत कीजिए। ऐसा काम न किया जाय कि बेकारी बढ़ जाय, काम न रह जाय और लाल झंडा उठा करके यह कह दिया जाय कि कांग्रेस सरकार के समय में बेकारी बढ़ गयी है। कांग्रेस सरकार प्रैक्टिकल सरकार है और उसके दिल में किसानों और मजदूरों के लिये काफी दर्द है। वह खुद ऐसे कानून बना ही है और वह खुद चाहती है कि मजदूरों की हालत सुधरे, उनका सुधार हो, उनकी तरक्की हो और उनको खाना कपड़ा और मकान अच्छे से अच्छा मिल सके। आज प्रातः के समय में एक प्रस्ताव भ्रष्टाचार रोकने के लिये आया था और उसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि उसको जब हम खुद रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं तो प्रस्ताव पेश करने की क्या आवश्यकता है। तदनुसार मैं समझता हूं कि कांग्रेस खुद चाहती है कि मजदूरों की दशा में सुधार किया जाय। लिहाजा मैं कहता हूं कि इसे कांग्रेस सरकार पर छोड़ दिजिए ताकि वह ऐसी उचित व्यवस्था कर सके जिससे मजदूरों का नुकसान न हो।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—शुक्ल जी ने जो संशोधन दिया है उस पर मेरा एक संशोधन है और वह इस प्रकार है। जहां पर शुक्ल जी ने 'उचित' शब्द रखा है उसको निकाल दिया जाय। दूसरे शुक्ल जी ने जहां पर शब्द "जो १ रुपये से कम प्रदेश के किसी भाग में न हो" के निकाल देने की बात कही है, उसके लिय मैंने कहा है कि इसको निकाल दिया जाय और शब्द "एक रुपये" की जगह "दो रुपये" रख दिये जायं।

मेरे संशोधन का मंशा यह है कि शुक्ल जी ने एक रुपया निर्धारित करने के ऊपर जो बात उठायी है कि एक रुपया भी निर्धारित न हो, यह मंशा गलत है। मैं यह खेद के साथ कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक तरीके से, क्रांतिकारी संस्था रही है, उसने देश को स्वतंत्रता दिलाने में सब से बड़ा कदम उठाया है और देश को स्वतंत्र कराया है और जैसा शुक्ल जी ने कहा कि कांग्रेस इन मामलों में काफी अग्रसर रहना चाहती है लेकिन इतना अग्रसर होने पर भी हमारे शुक्ल जी कहते हैं कि एक रुपया न रखा जाय क्योंकि यह मजदूरों के हित में नहीं होगा। मैं यह कह देना चाहता हूं, कि सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट जो हमारे यहां सन् १९४७ में पास हुआ था उसकी धारा ३ में और धारा ४ में यह लिखा हुआ है कि कम मजदूरी देने

पर या बेगार लेने पर उसको दंड दिया जा सकता है। तो उसमें भी कम मजदूरी की व्यवस्था है मगर वह कितनी हो, यह नहीं कहा गया है। अगर यह किसी तरीके से तय हो जाता है कि कम से कम कितनी मजदूरी उचित हो सकती है तो मैं समझता हूं कि वह ऐक्ट भी लागू हो जाय और उसकी धारायें भी लागू हो जायं। जब तक कि यह पता न लगे कि कितनी उचित मजदूरी हो तब तक यह चीज हल नहीं हो सकती। अब मैं कांग्रेस का जो उद्देश्य है वह भी बता देना चाहता हूं। मेरे पास कांग्रेस ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है जिसको डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने सन् १९४७ में नियुक्त किया था जब वह कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे और डाक्टर कुमारप्पा जिसके चेयरमैन थे। उसकी रिपोर्ट के सफा ११२ पर यह लिखा हुआ है --

"It is a happy sign that the Indian National Congress and the Government are alive to the urgency of the problem. The resolution on 'Labour' in the Jaipur Plenary Session of the Congress called upon "the provincial governments to pursue with vigour and complete within the shortest possible time the programme of improving the lot of the agricultural labour already initiated by the Central Government through the Minimum Wages Act"

[यह एक शुभ चिन्ह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा सरकार समस्या की तीव्रता के प्रति जागरुक है। कांग्रेस के जयपुर के सामान्य अधिवेशन में श्रम पर संकल्प द्वारा यह मांग की गयी थी कि प्रान्तीय सरकारें खेतिहर मजदूर की दशा सुधारने के कार्य-क्रम को जो निम्नतम मजदूरी अधिनियम के द्वारा पहिले ही केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है, उत्साहपूर्वक अपनायें तथा न्यूनतम संभव समय में पूरा करें।]

इसके अलावा पार्लियामेंट में अपने भाषण को जारी करते हुए श्री जगजीवनराम जी ने यह कहा था --

"Shri Jagjiwan Ram, the Labour Minister, in the course of the debate on Minimum Wages in the Indian Parliament, in February 1948, observed: 'We are losing millions of tons of foodgrains every year because the ill-paid agricultural labourer, who has no stake in land does not put his heart into work."

[भारतीय संसद में निम्नतम मजूरी पर वाद-विवाद के मध्य में श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम ने यह मत प्रकट किया "हम लाखों टन खाद्यान्न प्रति वर्ष नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि कम वेतन पाने वाला खेतिहर मजदूर जिसका भूमि में कोई स्वार्थ नहीं है काम में अपना पूरा दिल नहीं लगाता"]

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमान् जी, क्या अंग्रेजी में पढ़ा जा सकता है ?

उपाध्यक्ष--जी हां, वह कोटेशन दे सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह--तो जो प्रस्ताव है वह कितना व्यापक है, कितना महत्वपूर्ण है, जिसकी महत्ता इस बात से साबित होती है कि हमारा सूबा अधिकतर खेतिहर मजदूरों से बसा हुआ है। अगर इस समस्या पर इतनी जल्दबाजी से काम लिया गया तो मैं समझता हूं कि इसका सही हल नहीं हो सकेगा। हमें इस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। इस कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वह पेज १२० पर इस प्रकार है:--

"We therefore recommend that the relevant portions of the Minimum Wages Act should be given effect to as early as possible for agricultural labourers."

[अतः हम सिफारिश करते हैं कि निम्नतम मजूरी अधिनियम के सुसंगत भागों को खेतिहर मजदूरों के लिये यथासंभव शीघ्र सप्रभाव किया जाय।]

[श्री जयपाल सिंह]

तो कांग्रेस के जो उसूल हैं वे जो मैंने कांग्रेस द्वारा नियुक्त की गयी कमेटी कि रिपोर्ट के दो चार वाक्य सुनाये हैं उनसे साफ मालूम हो जाते हैं कि वह अपने विचारों में कितनी अग्रसर रही। उसका यह ध्येय रहा कि हमें लोगों के स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करना है। हमारे संविधान के अनुच्छेद ४३ में भी यह दिया हुआ है कि--

"The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas."

[उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों का काम, निर्वाह-मजूरी शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों की वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।]

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि विधान यह बतलाता है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिये जिससे एक मजदूर अपने बाल-बच्चों के साथ अच्छी तरह से गुजर औकात कर सके। मैं समझता हूं कि मजदूरों की समस्या इसी तरह से हल हो सकती है। जब तक हम मजदूरी का स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं करेंगे, यह तय नहीं करेंगे कि क्या मजदूरी होनी चाहिये और किस किस चीज को ध्यान में रख कर तय होनी चाहिये तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती है।

अब मैं यह कह देना चाहता हूं कि एक फैमिली को ले लीजिए तो उसमें एक धर्मपत्नी होती और दो-तीन बच्चे माने जाते हैं तो इस तरह से ५ आदमियों की एक फैमिली होती है। दो पूरी खुराक वाले हैं और तीन बच्चे आधी खुराक वाले हैं तो इस तरह से एक मजदूर की फैमिली में साढ़े तीन आदमी बैठते हैं। इनके खाने-पीने, पहनने के लिये, कपड़ा तथा दवा-दारू का खर्चा देखा जाय कि कितना होगा। कितने पैसे एक इंसान की गुजर औकात को चाहिये इसको अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि एक आदमी का कम से कम एक रुपया रोज का खर्चा होना चाहिये। तो इस फैमिली को जिसमें कि साढ़े तीन आदमी हैं किस तरह से एक रुपये रोज में गुजर हो सकती है। अगर एक व्यक्ति के ऊपर एक रुपया खर्च होता है तो साढ़े तीन आदमियों की एक फैमिली पर साढ़े तीन रुपये रोज खर्च होते हैं। इस तरह से १०५ रुपये माहवार पड़ता है। ३० रुपये महीने एक आदमी के ऊपर खर्च होना चाहिये। अगर ५ आदमी की फैमिली देखा जाय तो साढ़े तीन रुपया पड़ता है और खेतिहर मजदूर की मजदूरी रोजाना के हिसाब से होती है। इसलिये उसकी मजदूरी साढ़े तीन रुपये रोज पड़ती है इसी प्रकार से सोचा जाय और ५ आदमियों के कुटुम्ब का खर्चा देखा जाय। मैं समझता हूं कि आपके पास बहुत से बेसिज होंगे, डाक्टर्स होंगे उनसे दिखवाइये कि एक आदमी के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिये अच्छी तरह से जिन्दगी बसर करने के लिये। एक आदमी को कितने रुपये के कपड़े, खाने-पीने तथा दवा-दारू की जरूरत होती है और बच्चों की शिक्षा के लिये जरूरत है उनके लिये कितने पैसे की आवश्यकता है। एक फैमिली के लिये, जिसमें ५ आदमी हों। तो कितनी मजदूरी मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि साढ़े तीन रुपये रोज से कम नहीं होनी चाहिये।

अब मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस तरह से अगर लिविंग वेजेज पर विचार किया जाय तो एक मजदूर की मजदूरी तीन रुपये ८ आने से कम नहीं होनी चाहिये। एक रुपये के लिये मुखालिफत करना ठीक नहीं है। हमारे यहां एक लेबर इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। उसकी रिपोर्ट आई है। मैं नहीं जानता कि उसकी क्या रिकमेंडेशन्स हैं और वह सदन में पेश होंगी या नहीं। मैं इस पर आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस बात को मानता हूं कि जिस तरीके से वह कमेटी बनी, कैसे बनी और कौन कौन लोग डिसीशन देंगे, अगर उसमें एग्रीकल्चरल लेबर का रिप्रेजेंटेशन होता तो मैं समझ लेता कि इस कमेटी की रिपोर्ट सही होगी लेकिन जब म यह देखता हूं कि उसमें ज्यादा तर आदमी, सिवा दो बार के जो लेबरस से संबंध रखते थे, जमींदारों के प्रतिनिधि हैं और बहुमत ऐसे आदमियों का है जिनकी आवाज खेतिहर मजदूरों के खिलाफ हो सकती है तो ऐसी अवस्था में मैं नहीं समझता कि उस कमेटी की रिपोर्ट कैसी होगी यह कह देना चाहता हूं कि इस तरह से काम नहीं चलने का।

अब एक बात मैं फाइव ईयर्स स्कीम के बारे में कह देना चाहता हूं। इसमें पेज १०७ में कहा गया है:—

"The Minimum Wages Act which was passed in 1948 has to be enforced in the first instance in the areas in which the level of rural wages is too low on account of the presence of certain exploiting factors."

[निम्नतम मजूरी अधिनियम जो १९४८ में पारित हुआ था सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में लागू किया जाना है जहां ग्रामीण मजूरी का स्तर कुछ शोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण अत्यधिक नीचा है।]

यह सिफारिश है। इस तरह से फाइव ईयर्स प्लान में यह कह दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, प्राविंशियल बोर्ड्स बनाये जायं। मैं समझता हूं कि इन बातों को लेकर मजदूरों की मजदूरी के बारे में कहा जाता है तो उनके खिलाफ बताया जाता है। मैंने देखा कि पिछले दिनों में हमारे सूबे में कितने झगड़े-फिसाद मिर्जापुर में हुए और कोर्ट के डिसीजन के बाद यह तय हुआ कि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था। जब मजदूरों की पर-चेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो कैसे वह जिन्दा रह सकते ह। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि हाउस उसे मंजूर करेगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री झारखंडेराय के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी जाय और १ रुपये से कम प्रदेश के किसी भाग में न हो। जिस वक्त हमारी सरकार की ओर से बजट पेश हुआ था और उसमें जिसमें ग्रामीण जनता और ग्रामीण समस्याओं के लिये २० करोड़ रुपये रक्खे हुए थे तो श्री झारखंडेराय ने कहा था कि यह बजट किसानों से युद्ध की घोषणा है। फिर जब रिलीजस एंडोमेंट बिल आया तो माननीय झारखंडे राय ने कहा था कि सरकार की ओर से षडयन्त्र है। जब माननीय झार-खंडे राय खड़े होते हैं तो मुझे भी षडयन्त्र और संघर्ष का वातावरण नजर आता है। मैं नहीं जानता कि इस संकल्प से उनका उद्देश्य खेतिहर मजदूरों की उन्नति ह या एक विशेष प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना है जिसमें कि आपस में संघर्ष हो और तरह तरह के षडयन्त्र इसके द्वारा उत्पन्न किये जायं जिससे मुमकिन है लोग विचलित हो जायं। मुझे खेद हुआ जब मैंने देखा कि माननीय जयपाल सिंह जी उससे विचलित हो गये और उन्होंने संशोधन पर संशोधन रक्खा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी धन में वृद्धि न हो, उनकी स्थिति अच्छी न हो। सब जानते हैं कि उनकी दशा शोचनीय है। जहाँ तक काग्रेस सरकार का सम्बन्ध है बराबर आज से नहीं बरसों से काँग्रेस सरकार की यह इच्छा रही है कि किसानों और मजदूरों की दशा अच्छी की

[श्री शिवनाथ काटजू]

जाय लेकिन प्रश्न यह है कि इस प्रकार के संकल्प से उनकी दशा ठीक हो सकती है या नहीं मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के संकल्प प्रचार के लिये यहाँ पर लाये जाते हैं और देखा जाय तो इस संकल्प का कोई महत्व नहीं है। अगर इस संकल्प में यह कहा जाय कि सरकार का कोई स्टेट फार्म है और उनमें मजदूरों को एक रूपया या दो रुपया मजदूरी न हो तो समझा जा सकता है और इस प्रकार के नियम और कानून बनाये जा सकते हैं, लेकिन जहाँ एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिये कहे और उनमें आपस में समझौता हो और उसके लिये आप चाहें कि नियम बनाया जाय तो ऐसा नियम केवल तोड़ा जायगा और इस प्रकार का कानून एक प्रकार से तोड़ने पर हास्यप्रद बन जायगा और उस कानून का कोई महत्व नहीं रहेगा। यह अभी हमारे मित्र जयपाल सिंह जी ने कहा कि एक रूपया जो आजकल दिया जाता है और उसके पास परिवार है तो उसका पेट नहीं भर सकता है यह स्वाभाविक है, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिये लगाता है तो उसके लिये आवश्यक नहीं है कि वह ३ रुपया उसको दे सके। यह सोचने की बात है वह कहाँ से देगा। अगर आप नियम ऐसा बनायें कि एक किसान किसी मजदूर को ३ रुपया से कम पर न रखे तो उसका कहाँ तक पालन होगा। हाँ, यदि आपके किसान आपके देश में इतने समर्थ हो जायं और उनके पास इतना धन आजाय तो वे अपने आप इस प्रकार की बात करेंगे और उतना ही वेतन मजदूरों को देना शुरू कर देंगे लेकिन सरकार से यह कहना कि नियम बनाया जाय तो वह सही नहीं है। अगर सरकार इस तरह का कानून बनायेगी और आप चाहें कि देहात के किसान आपस के व्यवहार में उसका पालन करें तो यह बड़ी कठिन समस्या हो जायगी और यह कानून ज्यादा संख्या में तोड़ा जायगा और उसका पालन कम होगा। तो माननीय झारखंडे राय जी से मेरा निवेदन यह है कि उनका जो संकल्प है उसके सिद्धान्त से मुझे पूरी सहानुभूति है और हममें बहुत किसान और मजदूरों के बल पर यहाँ आये हैं जिस प्रकार से वह प्रतिनिधि उनके हैं उसी प्रकार से हम भी उनके प्रतिनिधि हैं और हमारे अन्दर भी उनका प्रेम है और यह हम भी चाहते हैं कि वे ज्यादा सम्पन्न हों, लेकिन उसकी स्थिति तो उन योजनाओं से अच्छी होगी जो आज सरकार चला रही है और जो इस प्रकार के संकल्प करते हैं वह इसके लिये केवल प्रचार करना चाहते हैं। माननीय झारखंडे राय जी गाँवों में जाकर किसानों से यह कहेंगे कि हमने तुम्हारे लिये बहुत किया लेकिन वहाँ पर बहुत सारे एक ऐसे दल के लोग हैं जो तुम्हारे हितैषी नहीं हैं और उन लोगों ने ही इसका विरोध किया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री गदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय झारखंडे राय जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। मेरे जी में आता है कि मैं माननीय जयपालसिंह जी के भी संशोधन का समर्थन करूं, लेकिन कुछ कारण हैं जिनके कारण मैं उनके संशोधन का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकता।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और सबसे पहिले माननीय सीताराम जी शुक्ल का जो संशोधन है उसका विरोध करना चाहता हूं, माननीय सीताराम जी शुक्ल को मैं बड़े गौर से सुनता रहा और मैंने उनको जितना सुना उससे मालूम हुआ कि जो भावना उनके संशोधन करने की प्रकट होती है उससे उन्होंने जो बात कहीं उसमें बहुत बड़ा अंतर मालूम होता है। उन्होंने लिखा यह है कि एक रुपया की जगह पर उचित शब्द रख दिया जाय, लेकिन उन्होंने कहा यह कि एक रुपया तो काम मालूम पड़ता है और माननीय झारखंडे राय जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह मजदूरों के हक में अच्छा नहीं होगा उसके बजाय २ रुपया रख दिया जाय। एक तरफ तो वे दो रुपये की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे कहते हैं कि किसानों की हालत ऐसी है कि अगर कोई मजदूरी तय कर दी गयी तो किसान मजदूर रखना छोड़ देंगे और

मजूदर बेकार हो जायंगे । अब मैं इस बात को माननीय सदस्यों के विवेक के ऊपर छोड़ देता हूं कि वह उसका अर्थ लगाये कि माननीय सीताराम जी शुक्ल का इससे क्या आशय है । उनके इस संशोधन से मुझे बचपन की एक कहावत याद आ जाती है जो हमारे घर के लोग कहा करते थे । एक पुजारी था जिसके पास एक छोटा सा शंख था । जब वह कुछ माँगता था तो उस छोटे से शंख से उसको मिल जाया करता था । लोगों की यह इच्छा हुई कि अगर इस शंख को इससे ले लिया जाय तो बड़ी भारी संपति मिल सकती है क्योंकि इससे जो कुछ माँगा जाता है वह मिल जाता है । वह पुजारी जरा सीधा-सादा आदमी था । लोगों ने एक बहुत लंबा-चौड़ा शंख लिया और उसके सामने रख कर कहा भाई देखो, यह छोटा सा शंख तो बहुत माँगने पर थोड़ी सी संपत्ति देता है । इस बड़े शंख से बहुत बड़ी संपत्ति मिलेगी और अंत में अदलाबदली हो गयी । पुजारी ने छोटा शंख दे दिया और बड़ा शंख ले लिया । दूसरे दिन उसने पूजा करके एक रुपया माँगा । बड़े शंख की तरफ से आवाज आई एक रुपया क्या मांग रहे हो दो रुपया लो । लेकिन जब उसने दो रुपया माँगा तो आवाज आई दो रुपया क्या माँग रहे हो ४ रुपया लो । हमें आज वही पुरानी कहावत याद आ गयी जब माननीय सीताराम जी ने कहा कि एक रुपया का नहीं दो रुपये का प्रस्ताव रखना चाहिये था । दो रुपये का प्रस्ताव कैसे रखते जब हम यह समझते हैं कि एक रुपया का प्रस्ताव ही स्वीकार करने में सदन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो दो रुपया का प्रस्ताव लाया जाता तो क्या हालत होती और इसीलिये मैं माननीय जयपाल सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं । हम जानते हैं कि हम खेतिहर मजदूरों की समस्या को लेकर इस सदन की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते । हमारे सामने हमारे सारे देश की समस्याएं हैं और हमें उनको सुलझाना है । हमें सोचना है कि अगर उनको सुलझाना है तो किस तरह । मैं आपसे कहूं कि केवल ऐसी बातों को करने से काम नहीं चलेगा ।

मैं समझता हूं कि जो किसान हैं वे भी परेशानी में हैं । मैं समझता हूं कि आज जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनकी बीबियाँ घर से बाहर फटे कपड़े पहन कर पानी भरने के लिये भी नहीं निकल सकती हैं, लेकिन एक खेतिहर मजदूरिन जो है वह फटे कपड़े को भी, मैले कपड़े को भी लेकर घर से बाहर जाती है और काम करती है । मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है । मैं समझता हूं कि जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं वे मध्यय वर्ग के लोगों को अधिक परेशान कर रही हैं । अब रही यह बात कि उन खेतिहर मजदूरों की मजदूरी निश्चित की जाय । हमारे माननीय शिवनाथ काटजू जैसे कानून पेशा आदमी बीच में आये और उन्होंने जो दलीलें दीं उससे मैं तो हैरत में पड़ गया । क्या माननीय शिवनाथ काटजू साहब को मालूम नहीं है कि इस प्रदेश की हुकूमत जो है वह इस पक्ष में है कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी तय कर दी जाय ? मैं समझता हूं कि माननीय शिवनाथ काटजू जी पुराने लेजिस्लेचर्स में से होंगे, (आवाजें .... पुराने नहीं हैं ।) अगर नहीं हैं तो भी मैं उनके स्मरण दिलाने की कोशिश करूंगा कि वे जिस परिवार से हैं उस परिवार को हमसे ज्यादा कांग्रेस की बातें याद रखनी चाहिये यदि मैं गलत न समझूं तो कांग्रेस की हुकूमत आज इस पक्ष में है । कुछ ही दिनों के बाद यह चीज सामने आयेगी और वह कानून पास होने वाला है कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी निश्चित की जाय और वह निश्चित होगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब गवर्नमेन्ट ने यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर इनक्वायरी सब-कमेटी बनायी थी तो उस जमाने में भी इसकी ज्यादा चर्चा हुई और अगर मैं भूला नहीं हूं तो वह यह है कि उस कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेन्ट से सिफारिश की थी कि सब जगह के लिये डेढ़ रुपये मजदूरी रख दी जाय । तो श्री झारखंडे राय जी ने जो प्रस्ताव आप के सामने रखा है वह तो बहुत ही मुलायम प्रस्ताव है । वे विचार के जितने कड़े आदमी हैं उतनी कड़ाई का प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा है बल्कि हम सब लोगों के मिले-जुले विचार के साथ वे इस प्रस्ताव को लाये हैं और मैं कहता हूं कि आजकल के जमाने में एक रुपया मजदूरी तय कर देना कोई बेजा बात नहीं है । हमारे सामने कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं । मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज

[श्री गेंदा सिंह]

सारे प्रदेश में जो सरकारी कृषि फार्म्स हैं वहाँ पर मजदूरों को क्या मजदूरी दी जाती है ? मैं समझता हूं कि एक ही कृषि फार्म इस प्रदेश भर में रजिस्टर्ड है और खुशकिस्मती की बात यह है कि वह हमारे ही निर्वाचन क्षत्र में है। वहाँ पर आज से ५ वर्ष पहले ३१ रुपये माहवारी प्रत्येक मजदूर की मजदूरी तय की गयी थी। तो इस समय अगर सारे प्रदेश के लिये एक रुपया मजदूरी तय कर दी जाय तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं श्री जयपाल सिंह जी से कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को जानता हूं कि वे इस प्रदेश के जिस हिस्से से आते हैं वहाँ पर मजदूरी एक रुपया नहीं है बल्कि आमतौर पर वहाँ खेतिहर मजदूरों को दो रुपये मजदूरी दी जाती है। अगर कम से कम एक रुपया मजदूरी का कानून पास हो गया तो उनके सामने कठिनाई होगी और सरकार को भी इसे इनफोर्स करने में कठिनाई होगी। श्री जयपाल सिंह कहते हैं कि हर जगह यह नहीं है। मैं कहता हूं कि वहाँ की हालत दूसरी है लेकिन हमारे यहाँ की हालत ऐसी है कि अगर दो रुपये मजदूरी का कानून बन गया तो हमारे लिये फिर बड़ी कठिनाई हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस चीज को रीजनल बैसिस पर ही तय किया जाय तो ठीक होगा। जैसा कि श्री झारखंडे राय जी ने कहा कि पूर्वी जिलों में कई जगह ऐसी हैं जहाँ अभी भी चार चार आने तक खेतिहर मजदूरों को मजदूरी दी जाती है जहाँ पर चार चार आने मजदूरी दी जाती है वहाँ पर अगर एक रुपया मजदूरी दी जायगी तो एक कदम तो हम आगे को बढ़ेंगे। जहाँ हमारे यहाँ अभी तक एक रुपया मजदूरी नहीं मिलती है वहाँ दो रुपये की मजदूरी वाला कानून लागू करने में सरकार को भी दिक्कत होगी।

अगर सारे प्रदेश में एक रुपये की मजदूरी करा ले तो उसके बाद फिर सवाल उठ सकता है कि डेढ़ रुपया, दो रुपया मजदूरी की जाय। इन बातों को कह कर मैं समझता हूं कि मैं शिवनाथ काहजू जी की परेशानी को भी दूर कर दूं कि मुकदमेबाजी बहुत बढ़ेगी और कुछ लोग हाईकोर्ट तक भी पहुंचेंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुकदमेबाजी बढ़ेगी रीजनल बेसिस पर कुछ ऐसी काउंसिलें मुकर्रर की जायं जो वहाँ की मजदूरी को तय किया करें। मैं ऐसा कोई संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं। लेकिन अगर इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकले तो यह अच्छा होगा कि रीजनल बेसिस पर मजदूरी तय करने के लिए काउंसिलें बना दी जायं और कम से कम एक रुपया की शर्त तो मान ली जाय, इसके बाद जहाँ पर एक रुपये से ज्यादा रखने की जरूरत हो वह उस पर विचार करे और सरकार उस पर मजदूरी को चलाने की कोशिश करे।

मैं समझता हूं कि जब तक देश में लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक जो सवेरे प्रस्ताव आया था कि मारल को ऊंचा किया जाय, तब तक हमारा नैतिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। सब से बड़ी बात यह है कि हम आर्थिक स्तर को ऊंचा करें और अगर आर्थिक स्तर ऊंचा होगा तो मैं समझता हूं कि नैतिक स्तर आप से आप ऊंचा होता चला जायगा। यदि सरकार को कोई कठिनाई मालूम होती हो तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यह कानून आने ही वाला है। तो अगर आने वाला है, दो महीने में या चार महीने में, कभी आने वाला है तो उसको एक माननीय सदस्य ने आपके सामने रखा है उस पर विचार कर लें। उसकी खामियों को देख लें जो खूबियाँ जोड़नी हों जोड़ दें बड़ी उदारता होगी।

इस ख्याल से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी राय जाहिर करें।

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहाँ तक इस प्रस्ताव का संबंध है इसकी आत्मा से तो सहमत हूं। लेकिन जिस प्रकार से आया है और जो आज इस प्रान्त की स्थिति है और सरकार ने जो कदम इस ओर उठाया है उसको देखने के बाद हम इस

नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह प्रस्ताव बिलकुल व्यर्थ सा है और आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, अपने माननीय मित्र श्री झारखंडे राय जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। चूंकि वह अगर इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जिस प्रकार से कोई एक निश्चित तौर पर योजना के साथ एक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अगर चला जाता हो और कोई ऐसा सलाहकार पहुंच जाय जिसके सामने न कोई योजना हो न स्थिति को भलीभांति समझता हो देश और प्रान्त की समस्याओं को और फिर उस चलने वाले को यह कहे कि तुम इस रास्ते को छोड़कर अब चारों तरफ दौड़ने-धूपने लगो तो न वह लक्ष्य पर पहुंचेगा न उससे काय ही सिद्ध होगा।

मैं आपके द्वारा अपने माननीय मित्र को बतलाना चाहता हूं यद्यपि मुझे इसकी आशा नहीं कि मेरे बताने से कोई अधिक प्रभाव उन पर हो सकता है। क्योंकि उनके दिमाग में मैंने जहां तक समझा है अभी तक तेलगाना के उपद्रव की गर्मी बाकी है और जब तक वह गरमी रहेगी तब तक कोई सही और नेक सलाह शायद समझने में दिक्कत होगी। तो जहां तक तेलंगाना की बात है वह इस विषय से सम्बन्ध नहीं रखता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। मैं तो उन्हें इतना बताना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह नहीं मालूम है कि गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि यह सरकार कोई कानून लाने वाली है जिससे खेतिहर मजदूरों की मजदूरी निश्चित हो जायगी। मैं उनको आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि इसी दिशा में १२ जिलों में सरकारी हुक्म से यह निश्चय किया गया है कि कम से कम मजदूरी एक रुपया तक बड़ों की हो और जो बालक हैं, छोटे हैं उनकी १० आने प्रति दिन हो और महीने में २६ रुपया बड़ों को और छोटे जो हों उनको १६ रुपया ४ आने। यह जिस बात के लिये है यह भी साफ करना जरूरी है। यह उन फारमों के लिये है जहां ५० एकड़ से ज्यादा खेती हुआ करती है। तो अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक मात्र प्रतिनिधि झारखंडे राय जी और उनके आज के साथी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य यह मिल कर सोचें। साथी से मैं कोई मद्रास का दृश्य यहां नहीं ला रहा हूं कि यह प्रस्ताव पास हो जाने के बाद क्या वह योजना जोकि बड़े फारमों के ऊपर लागू होने वाली है उसको वह ४ बीघे, ५ बीघे, ६ बीघे के किसानों के वास्ते भी लगाना चाहते हैं। मुझे भी देहात का अनुभव है अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे उन मित्रों को है जिन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में कुछ जिक्र किया है और मैंने भी देहात को समझा है। देहात में पैसे के हिसाब से मजदूरी अभी तो प्रचलित नहीं हुई है। देहात में तरीका यह है कि अनाज से मजदूरी दी जाया करती है और यह आज भी आवश्यकीय है कि उस प्राचीन प्रथा को जिसमें कि न महंगाई का असर हो सकता है न सस्ती का असर हो सकता है उस प्रथा पर कोई ऐसा चार्ज लगा करके हम दिक्कतें पैदा नहीं करेंगे जहां तक सरकारी हुक्म के द्वारा मजदूरी के निश्चय करने वाला सवाल है वह उन बड़े फारमों के लिये है जो ऐसे लोगों के फार्म हैं जिनकी सामाजिक स्थिति उन किसानों से अच्छी है जोकि छोटे-छोटे खेतों में अपनी खेती का काम किया करते हैं इसलिए जहां जिस प्रकार की आवश्यकता थी वहां सरकार ने अपने हुक्म के द्वारा इस किस्म का रिवाज चालू करने का प्रयत्न किया है और जहां आवश्यकता नहीं है वहां ऐसा करना इसमें मुझे तो षड्यन्त्र झलक सा रहा है जैसा कि मेरे मित्र काटजू साहब ने कहा। जिस समाज को हम बनाना चाहते हैं जिसका निर्माण करना चाहते हैं और सद्भावना और प्रेम से करना चाहते हैं उसमें एक हलचल कर देने से कोई लाभ नहीं होगा। आज छोटे किसानों में और जिन बेचारों के पास खेती नहीं है उनमें एक परस्पर का सम्बन्ध है। वह उन्हें बुलाते हैं और वह उनके खेतों पर जाते हैं काम करते हैं। शाम को जिस जिले में जिस एरिया में जो निश्चित मजदूरी है वह अनाज की मजदूरी लेकर वापस जाया करते हैं।

मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि मान लीजिए किसी एरिया में ढाई सेर मजदूरी अनाज की दी जाती है। मुझे जहां तक मालूम है डेढ़ सेर से कम अनाज की मजदूरी नहीं दी जाती है। मैं बड़े सेर की बात कर

[श्री रामनरेश शुक्ल]

रहा हूं। तो दो--ढाई सेर अगर अनाज की मजदूरी है तो जहाँ इतनी है वहां एक रुपया हम लागू करते हैं तो वह फिर कम पड़ जायगा। अलावा इसमें एक दिक्कत और होगी कि बाजार की जो दर हैं वह निश्चित नहीं है। कभी अनाज का दाम बढ़ता है कभी घटता है कभी ऊपर चढ़ता है कभी नीचे गिरता है तो यह प्रस्ताव ऐसे समय में लाया जाता जब कि बाजार का दर निश्चित सा हो जाता और देश की आर्थिक दशा एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती जिसके विषय में हम अन्दाजा कर सकते कि अब काफी दिन तक इस जगह पर रुकी रहेगी। ऐसी अनिश्चित अवस्था में जबकि बाजार की यह हलत है ऐसा खतरनाक प्रस्ताव लाना समाज के अन्दर एक गड़बड़ी पदा करने का प्रयत्न सा मालूम पड़ता है। मैं आप के द्वारा उपाध्या महोदय यह प्रार्थना करूंगा कि जिस ढंग से एक रीजन के अन्दर १२ जिलों में जिस में मेरा जिला भी शामिल है सरकार ने उस हुक्म को लागू किया है जिसमें झांसी डिवीजन के कुछ जिले हैं फैजाबाद, प्रतापगढ़ और जहाँ तक मुझे खयाल है जौनपुर भी है और रायबरेली भी है और इस परह से एक खित्ता सा है जैसा गेंदा सिंह जी ने इशारा किया कि एक एरिया के हिसाब से कोई चीज हो तो उस योजना पर सरकार पहले से कदम उठा चुकी है। जब समाज का निर्माण होता है जब समाज के बनने का समय आता है तो उसमें एकबार की कोई कार्य नहीं कर दिया जाता है जिससे फल यदि इधर हो तो बहुत नुकसान हो और यदि उधर हो तो कोई विशेष लाभ न हो। एक निश्चित क्षेत्र ले लिया गया है और उस क्षेत्र में यह देखा जा रहा है कि जो बड़े-बड़े फार्म हैं उनमें मजदूरी ज्यादा मिल जाय। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय आप के द्वारा उन मित्रों को, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है है, जिन्होंने जोरों से समर्थन किया है उनको भी और अपने साथियों को भी सचेत करना चाहता हूं वे भावनाओं की दरिया में न बहें। समाज का निर्माण भावनाओं के उखाड़ने से नहीं होता है वास्तिकता का मुकाबला करने से होता है और एक चतुर कारीगर की तरह से भवनों का निर्माण करने से होता है। भावनाओं को वहाँ उभारा जा सकता है जहां कला कौशल की जरूरत न हो। एक हुल्लड़ मचा करके इमारत को गिरा दिया जा सकता है लेकिन बनाने में एक चतुर कारीगर की जरूरत होती है उसमें भावनाओं की जरूरत नहीं होती है। भावनाओं की जरूरत वहाँ होती है जहाँ कोई चीज बिगाड़नी होती है। गिरानी होती है, मिटानी होती है। तो हमारी सरकार एक चतुर कारीगर के तरीके से एक क्षेत्र को निश्चित करके एक प्रयोगात्मक कदम उठा करके उस समस्या को हल करना चाहती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय आप के द्वारा मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव से सहानुभूति रखते हुये भी। इसको चाहते हुये भी कि यह हो मेरा यह निश्चित मत है कि प्रस्ताव व्यर्थ-सा है और आज समय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इससे समाज का निर्माण करने में बाधा होगी। इससे आपस में वैमनस्य होगा, इससे किसान-किसान में झगड़े होंगे, इससे जाति-पाँति के झगड़े होंगे। इसलिये ऐसा खतरनाक प्रस्ताव इस समय लाना मैं अनावश्यक और व्यर्थ समझता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री झारखंडे राय जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। आज १५ वर्ष के बाद यह सुन्दर अवसर खेतिहर मजदूरों की मजदूरों का प्रश्न स्पष्टरूप से इस सदन के सामने आया है। इस सदन के समक्ष हम सदा यह आवाज बुलन्द करते रहे हैं कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। हम यह भी आवाज उठाते रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है। खेतिहर मजदूरों का प्रश्न हमारे सामने प्रथम बार नहीं आया है। यह प्रश्न एक आध बार इस सदन के सामने पहले भी आया है। यहां पर गृह मंत्री जी संयोग से नहीं हैं, नहीं तो शायद वे इसका समर्थन करते कि उन्होंने इसी सदन में कहा था कि यह बहुत ही अहम प्रश्न है। यह तो एक मानी हुई बात है कि हमारा देश जैसा कि हमारे सदन के माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। साइंटिफिक तरीके से या जिस तरीके से कानपुर में, अहमदाबाद में, आप के बम्बई में, कलकत्ता में

फैक्टरीज के मजदूर रहते हैं उस तरह से तो हमारे मजदूर गांवों में नहीं हैं। जैसा कि झारखंडे जी ने कहा कि खेतिहर मजदूरों की संख्या क्या है। इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, तरह-तरह के आंकड़े आते हैं। मैं उसको ठीक तरीके से नहीं कह सकता कि कौन आंकड़ा ठीक है, कौन नहीं, लेकिन चूंकि मैं किसानों और खेतिहर मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता हूं और उनके बीच में काम करता हूं और कभी-कभी उनसे मदद भी लेता हूं तो उनकी वास्तविक स्थिति को मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज शोर रहा कि हमारे पूर्वी जिलों में अकाल है वहां पर लोग परेशान हैं। भगवान की कृपा से वहां की खरीफ फसल अच्छी हुई। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर तो बार्टर सिस्टम है। सही है। वहां पर बार्टर सिस्टम है। माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने यह कहा कि खेतिहर मजदूरों को रुपया नहीं दिया जाता है, मजदूरी के रूप में जैसे कि शहरों में दिया जाता है, लेकिन आखिरकार जो अन्न दिया जाता है उसका दाम भी तो होता है। उनको शायद मालूम नहीं है कि इस वक्त जब हमारे यहां खरीफ की फसल काटी जा रही है उस वक्त पर चूंकि उनके घर में भी थोड़ी बहुत खेती है वे भी अपनी फसल को काटते हैं और इस वक्त जो लोग मजदूरी लेते हैं उनके यहां भी कटने का वक्त है तो हमारे यहां इस वक्त पांच-पांच सेर उनको मजदूरी दी जा रही है, क्योंकि मजदूरों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि उनके घर पर भी एक-दो बीघा खेत उनके हैं और वे उसकी कटाई में लगे हैं। हर किसान यह चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी जो बिखरी हुई फसल है वह अपने घर ले आये। तो मैं उनसे अदब से पूछता हूं कि पांच सेर धान की इस वक्त क्या कीमत है? सवा रुपया और डेढ़ रुपया तक हो सकती है, क्योंकि तीन-चार सेर का धान इस वक्त बाजार में मिलता है। तो यह १५-१६ वर्ष के बाद में जो अवसर आया, चाहे टेढ़े आया हो, चाहे सीधे आया हो, किन भावनाओं को लेकर मेरे मित्र बात कहते हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि भावना से वास्तविकता नहीं आती। मैं कहता हूं कि जब तक भावनायें नहीं होंगी तब तक कोई वास्तविकता बन नहीं सकती। इसलिये अगर ईमानदारी से हम जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो सरकार के सामने सही-सही बातें हमको रखना चाहिये। हमारी सरकार सही बात इन तमाम सदस्यों से जानना चाहती है। उन खेतिहर मजदूरों की जैसी दुर्दशा है वह हमको अच्छी तरह से मालूम है। मेरे मित्र कहते हैं कि छोटे-छोटे जिलों में एक रुपये से ज्यादा मजदूरी मुकर्रर की गयी है। वह न मालूम कहां की बात करते हैं। जिस वक्त हम त्राहि-त्राहि कर रहे थे तब तो १० आने मजदूरी पर हम दिन भर काम करते थे और जब हमारे दिन कुछ अच्छे आये तो एक रुपया हमको मजदूरी कौन देने वाला है? सरकार देगी, सरकार से हम मांगेंगे। हमारी सरकार है। हम बीस मर्तबे उसको तंग करेंगे। इतनी संख्या जो हमारे खेतिहर मजदूरों की है और उनके पास खेती भी नहीं है बड़े बड़े फार्म खुल गये हैं। इस पर जब आल इंडिया कांग्रेस के सेशन में दिल्ली में एक प्रस्ताव आया कि आखिरकार जब एक तरफ यहां पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाता है और दूसरी तरफ बड़े-बड़े फार्म होते हैं तो यह कैसे काम चलेगा। तो प्रेसीडेंट साहब की तरफ से यह कहा गया कि इस किस्म का जवाब दिया जाय कि आखिरकार छोटे-छोट किसानों के पास इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं कि बड़ी मात्रा में वे खेती कर सकें और चूंकि हमारे मुल्क को इस वक्त अन्न की बड़ी जरूरत है इसलिये हम इन उलझनों में नहीं पड़ना चाहते कि बराबर बराबर जमीन का बटवारा करें। लेकिन सही बात तो यह है कि एक रुपया मजदूरी पर भी आपको शिकायत है। शायद कृषि मंत्री जी के सामने कोई योजना हो। यह प्रश्न न मालूम कितने जमाने से हमारे सामने है। न मालूम वह कौन दिन आयेगा जब पांच रुपये मजदूरी मिलेगी और फिर कहां इस प्रस्ताव में लिखा है कि एक रुपये से कम न दी जाय? माननीय सदस्य बड़े निपुण हैं, अपने अपने संशोधन रखने में बड़े पारंगत हैं। वे रखें दो रुपया और तीन रुपया। स्टेट को अगर सुधारना है और इस सरकार को ऊंचे पर ले जाना है तो 'भूखे भजन न होंय भुआला'। इतने करोड़ की जनता को भूखे रख कर खेत आपके पास देने को नहीं हैं।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

मजदूरी के बारे में आप कहते हैं कि एक रुपया मजदूरी हमारे पास नहीं है। एक संशोधन मेरे बहुत पूर्व परिचित मित्र श्री सीताराम जी ने रखा है कि जो उचित हो वह दी जाय तो मालूम नहीं उचित क्या है। किसी को उचित दो आने हैं और किसी को उचित चार आने हैं। इसलिये यह संशोधन ठीक नहीं है।

मैं श्री झारखंडे राय जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों में खेतिहर मजदूरों ने आंदोलन किया और आप जो चुनौती देना चाहते हैं उससे हम भयभीत नहीं होते हैं। लेकिन हम तो उनको खिलाना चाहते हैं। असल बात यह है कि वह भूखे हैं, नंगे हैं। वह किस से मांगेंगे और जगह तो मिनिमम वेजेज हैं। कानपुर वगैरह में छोटी छोटी गलियों में एक एक कोठरी में सात सात आदमी रहते हैं, वह दो दो और ढाई ढाई रुपये रोज पाते हैं। लेकिन हमारे यहां अभी भुखमरी के सिलसिले में दस आने रोज पर लोग गुजर करते थे। दस आने से सौलह आने तक तो ज्यादा होते हैं। मैं तूल में जाना नहीं चाहता हूं और न बहुत से हवाले ही देना चाहता हूं। दूसरे मेरे पास इतनी पुस्तकें भी नहीं हैं।

मैं तो सीधी सादी बात जानता हूं कि आखिरकार अब वह वक्त आ गया है और हम उससे अब फायदा उठा सकते हैं। कृषि मंत्री इस समय मौजूद हैं इसलिये वह संशोधन पेश करें और एक रुपये के बजाय दो रुपये रखें। आज नहीं कल रखें। लेकिन सब से मुनासिब वक्त यही है जबकि हम इनकी मजदूरी फिक्स करें।

श्री पहलवान सिंह चौधरी (जिला बांदा)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्री झारखंडे राय ने जो खेतिहर मजदूरों की मजदूरी के बारे में प्रस्ताव रखा है वह बिलकुल गलत है और श्री सीताराम जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं आपके द्वारा उनको यह बतला देना चाहता हूं कि उनको इसका अनुभव नहीं है और न उनको खेती के बारे में ही कुछ अनुभव है कि खेतिहर मजदूर को मजदूरी क्या दी जाती है और मजदूर की क्या बात है। हर काश्तकार के खेत में मजदूर को हिस्सा मिलता है। उसको दो तीन बीघा खेत दिया जाता है। उसको तीन चार सेर बुवाई दी जाती है।

अगर कोई आदमी किसी मजदूर से जबर्दस्ती काम लेना चाहता है तो वह कैसे उससे ले सकता है। खेतों का हल उसके हाथ में रहता है। वह ठीक तरह से खेत में बीज नहीं डालेगा बैलों को ठीक तरह से चलायेगा नहीं। इसलिये हर तरीके से मजदूर स्वतंत्र है। खेतिहर की मजदूरी को तय करना बिल्कुल गलत चीज है।

दूसरी बात यह है कि देहातों में सिस्टम यह है कि खेतों में जो मजदूर काम करते हैं तो उनको तो खेतों में हिस्सा मिलता है। इनके अलावा जो लोग खेती नहीं करते हैं जैसे कुम्हार तथा हरिजन वगैरह तो उनको भी बई दी जाती है जो करीब करीब चार पसेरी की जाती है। जो खेती में बेगारी की मजदूरी मुकर्रर थी वह जमींदारी प्रथा के टूट जाने से खत्म हो गई। जमींदारी टूट गई तो कोई भी काश्तकार मजदूर से जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। इस वक्त मजदूरी नियत करना गलत बात होगी, क्योंकि उनको खेत में पूरी स्वतंत्रता है। ठीक तरह से खेत नहीं जोतेंगे, बीज नहीं बोयेंगे। तो किसान क्या खायेगा। मालिक को जब कमा करके देंगे तभी मालिक हिस्सा दे सकेगा। ऐसी हालत में मजदूरी नियत कर देने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यह तो वही बात है कि 'बिच्छू का मन्तर नहीं मालूम सांप के बिल में हाथ घुसेड़े।' नेतागिरी करना दूसरी बात है। झारखन्डे राय जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसका उनको तजुर्बा नहीं। खलिहान में गल्ला काट कर मजदूर ही रखता है। उसी के विश्वास पर वह होता है। जितना वह चाहे चुरा कर ले जा सकता है। जितना लम्बा खेत होगा और जितना अधिक पैदा होगा उतना ही अधिक उसको हिस्सा मिलता है। वही सिस्टम देहातों में कायम है। जितना गल्ला पैदा

होता है वह बटाई पर होता है। मजदूरों का एक-एक बच्चा डेढ डेढ रुपया पैदा कर लेता है। जबकि देहातों में मजदूरी में कोई गड़बड़ी नहीं है तो यह कानून बनाना नियम विरुद्ध है जबकि वहां प्रेम की भावना विराजमान है। इस तरह का कानून बना कर उनको जकड़ देना है। उस प्रेम को जो वहां बह रहा है उसको नष्ट करना है। अगर कानून बना दिया जायगा तो सुबह से शाम तक मजदूर को अपनी मजदूरी से मतलब रह जायगा और वह प्रेम जिसके फलस्वरूप वहां गल्ला पैदा होता है, वह भावना मिट जायगी और गल्ला कम पैदा होगा। कानून बनाने की वहां जरूरत है जहां काम नियत है। यहां तो हर चीज मजदूर के भरोसे पर है। मालिक हर बात में मजदूर पर निर्भर करता है। गल्ला तुला तो होता नहीं खलिहान में जब तुल जाता है तब वह घर पर लाया जाता है। मजदूर के विश्वास पर ही यह सब काम होता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह कानून किस-लिये लाया जा रहा है। वहां तो प्रेम का राज्य है। किसान और मजदूर में आपस में बाप-बेटे का रिश्ता है। उन लोगों के लिये आप कानून बनाइये जो जमींदारी खत्म होने पर गुंडे हो गये हैं और जो जबरदस्ती करके मजदूरों से काम कराते हैं। मजदूर तो किसानों के कुटुम्ब का सदस्य है। वह कमा कर खिलाता है।

दूसरी बात जो झारखंडे राय जी ने कहा, मैं आपके द्वारा श्रीमान् बता देना चाहता हूं वह यह है कि जमीन का बटवारा माना कि जमीन बांट दी जाय, लेकिन वह बैल कहां से लायेगा हल कहां से लायेगा। गवर्नमेन्ट के पास इतना रुपया नहीं है कि वह इन मजदूरों को हल और बैल दे सके। अगर कोई सुझाव हो तो वह हमारी गवर्नमेन्ट के सामने रक्खें। इसके आगे में कुछ नहीं कहना चाहता। यही मेरी प्रार्थना है कि किसानों और मजदूरों के बीच कोई कानून न बनाया जाय। उनके अन्दर प्रेम की भावना मौजूद है, वे धर्मात्मा हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं। कानून ही आदमी को बेईमान बनाता है। अभी तो काश्तकार बेईमान नहीं है लेकिन कानून के द्वारा आगे चलकर आप उसको बेईमान मान बना देना चाहते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज खेतिहर मजदूरों के सवाल को लेकर यहां पर भिन्न-भिन्न तरह के विचार उपस्थित हुए हैं। एक तो प्रस्ताव हमारे मित्र झारखंडे राय जी ने रक्खा है कि एक रुपया मजदूरी नियत की जाय। भाई जयपाल सिंह जी ने २ रुपये मजदूरी नियत करने की बात रक्खी है। इसी के साथ साथ हमारे मित्र शुक्ल जी ने २ रुपये की चर्चा तो की मगर उसको उचित शब्द में ही रख कर गोल कर देने की बात कही है। अभी-अभी हमारे पुराने साथी श्री राम नरेश शुक्ल जिनको कभी कभी दिखलाई पड़ता है और कुछ न कुछ फिकरे सोशलिस्ट पार्टी पर कस दिया करते हैं, उन्होंने कहा कि आज सोशलिस्टों में कम्यूनिस्ट भी दिखलाई पड़ते हैं और उनसे मिल गये हैं मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि मुझे मालूम नहीं है कि झारखंडे राय जी कम्युनिस्ट सदस्य हैं या नहीं मगर उन्होंने जो प्रस्ताव रक्खा है उसकी हम तहेदिल से तारीफ करते हैं और सोशलिस्ट पार्टी कभी यह देखती नहीं है कि किस तरफ से यह चीज आई है अगर दलगत बात देखी जायगी तो फिर उस प्रस्ताव के मेरिट (गुण) और डिमैरिट (दोष) पर विचार नहीं हो सकता है। अच्छी बात अगर किसी के मुख से निकलती है तो सोशलिस्ट पार्टी उस पर विचार करने के लिये तैयार है। मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बतला देना चाहता हूं कि जो खेत पर मजदूर आजकल काम करते हैं वह कई तरह के हैं। एक तो चाय की खेती में काम करते हैं कुछ फलों के बागों में काम करते हैं, कुछ मजदूर पूंजीवादियों के फार्मों में काम करते हैं, कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जो साधारण खेती में काम करते हैं। कुछ बड़े किसानों के यहां रखे जाते हैं और कुछ ऐसे मजदूर हैं जो पैदावार में, उसके लाभ में साझीदार की हैसियत से काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो मौसमी मजदूर होते हैं और कहीं पर ६ महीने या ४ महीने काम पर रख लिये जाते हैं। इस तरह से अगर उनको विभक्त किया जाय तो यह कुल पांच श्रेणियों में आते हैं जो खेत-मजदूर समझे जा सकते हैं। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि खेत-मजदूरों

[श्री राजनारायण]

में और खेतिहर मजदूरों में अन्तर करना चाहिए। दोनों अलग हैं, दोनों में कुछ थोड़ा सा फर्क है वैसे मजदूरों में उनको भी लोग शामिल करते हैं क्योंकि उनका संगठन एक है। वह भी एक तरीके से खेत-मजदूरों में शामिल हो जाते हैं। परन्तु जब इनके निर्वाह का सवाल सामने आता है, तो उसको टालने की बात सरकार बार-बार किया करती है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर जो यह प्रस्ताव आया है वह किस निश्चित मत को सामने रखकर इसका विरोध करेंगे हम तो समझते हैं कि कृषि मन्त्री महोदय इसका विरोध हरगिज नहीं करेंगे बल्कि वह उसको स्वीकार करेंगे और इसका स्वागत करेंगे। अब जैसा हमारे मित्र गेन्दा सिंह ने बतलाया कि एक जिले में तहसील के फासिले पर फर्क हो जाता है। अगर किसी एक तहसील में एक मजदूरी है तो दूसरी तहसील में उसी जिले की कुछ फर्क हो जाता है और वहां पर वह दूसरी प्रथा पायी जाती है। अगर ध्यान से इस बात को देखा जाय और सब बातों को ध्यान में रखकर हम देखते हैं तो किसी हालत में भी एक रुपये से कम मजदूरी चाहे वह गल्ले की शक्ल में हो, या नकदी की शक्ल में हो हरगिज हरगिज नहीं होनी चाहिए। हमारे भाई जयपाल सिंह ने २ रुपये की जो बात कही उसको गेंदा सिंह जी ने साफ कर दिया। उनके प्रस्ताव से हमको विरोध नहीं है। उन्होंने जो साढ़े तीन रुपया हिसाब लगाकर बताया कि एक खेतिहर मजदूर के परिवार के लिये जरूरी है, उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अगर इसका हिसाब और अच्छे तरीके से लगाया जाय तो इससे भी ज्यादा मजदूरी होनी चाहिए ; तब जाकर एक परिवार का आजकल के जमाने में जीवन-निर्वाह हो सकता है। जहां पर पूंजीपतियों के फार्म में खेती हो रही है, जहां पर ५०-६० एकड़ से ज्यादा पर जोतने वाले लोग हैं और इतने इतने बड़े बड़े फार्म हैं, मैं आपसे यह स्पष्ट कहना चाहता हूं, वहां पर उन मजदूरों के लिये २ रुपये से भी ज्यादा मजदूरी होनी चाहिए। इसी तरह जहां तक चाय के या फूल के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों का सवाल है उनकी मजदूरी एक रुपया नहीं बल्कि २ या ३ रुपया होनी चाहिए। यह १ रुपया तो साधारण तरीके से खेती पर काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिये रखा है। इसलिये इस तरह विभाजन करने से इस प्रस्ताव से मैं समझता हूं कि हमारे मित्र श्री जयपाल सिंह जी का भी संशोधन समावेश कर जायगा। अगर आज हम इस संकल्प को, किसी न किसी बहाने, चाहे कोई ऐक्ट आने वाला हो जिसके द्वारा यह भाव निर्धारित हो, टालते हैं तो यह उचित नहीं होगा, यद्यपि ऐसे ऐक्ट का भी हम स्वागत करेंगे जिस समय वह आयेगा। इसलिये अब हमें वाकजाल में न फंस कर निश्चित मत से कह देना चाहिए कि १ रुपये की कम से कम मजदूरी यह सम्मानित सदन तय करता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार हमारे मित्र सीताराम जी की तस्वीर सामने आ जाया करती है। उनके उद्गार भी, जहां तक हम समझ पाये हैं, हमारे साथ हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वह उचित शब्द पर जोर न दें बल्कि मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि उन्हें फिर मौका दिया जाय कि वह उचित शब्द को साफ कर दें। कभी-कभी यह उचित शब्द निहायत अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें डैफीनिट (निश्चित ढंग) तरीके से काम करना चाहिए। मैं अपने सब सम्मानित सदस्यों से और खास तौर से उनसे जिन्होंने अपने मत यहां प्रस्तुत किये हैं यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात को न सोचें कि यह प्रस्ताव किस पार्टी या व्यक्ति की ओर से आया है या वह व्यक्ति किस पार्टी का सदस्य होने जा रहा है। वे इस प्रस्ताव के दोष और गुणों को देखें। अगर ऐसा करेंगे तो शायद ही इस सदन में कोई सदस्य होगा जो इस प्रस्ताव का विरोध करेगा।

समय की कमी है, इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपने मित्रों की जानकारी के लिये एक फारमूला बता देना चाहता हूं। उन्हें कम्युनिस्टों का हव्वा दिखाई दिया करता है। अगर हम कम्युनिस्टों का मैनीफेस्टो देखते हैं और कांग्रेस पार्टी का देखते हैं तो एक स्पष्ट बात सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी प्लस रशा इज ईक्वल टु कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों पार्टियों की चुनाव घोषणाओं को लेकर मैं हर समय यह साबित करने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य पार्टियों की ब्याख्या के ऊपर चर्चा न करें।

श्री राजनारायण--चूंकि चर्चा हुई थी, इसलिये मैंने थोड़े में यह कह दिया ताकि आगे के लिये हम अपने विचार प्रशस्त करके सदन में आवें।

अब मैं अपने मित्रों की जानकारी के लिये बता दूं कि हमारे यहां खेतिहर किसानों की संख्या, जिनके पास आधा एकड़ जमीन है, २६,४३,४३१ है और जितनी जमीन यह सब लोग रखते हैं उनका क्षेत्रफल ९,२५,४५७ एकड़ है। ये किसान भी क्या हैं? यह किसी एक न एक तरीके से खेती में काम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस तरह के एक दो आंकड़े भी मैं सरकार के सामने रखता हूं। एक आंकड़ा १९,९५,९०० मजदूरों का है और दूसरा आंकड़ा २२,०५,५९७ का है। यह संख्या खेतिहर परिवारों की है। मैं इन आंकड़ों को प्रस्तुत करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे आज एक बहुत ही दयनीय हालत में हैं और आज इस दयनीय हालत को समाप्त करने के लिये हमें स्पष्ट तरीके से यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक रुपये से कम मजदूरी किसी भी हालत में किसी को नहीं दी जायेगी। चाहे वह किसी भी खेत में काम करता हो। कहा यह जाता है कि इससे जाति द्वेष हो जायगा, आपस में झगड़ा पैदा हो जायगा। जाति द्वेष क्यों पैदा होगा। हम तो जाति को मिटाकर "विश्वबन्धुत्व बसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना पैदा करना चाहते हैं फिर जाति द्वेष कैसे पैदा होगा। जब शोषण की बात होती है तो जाति द्वेष पैदा नहीं होता फिर इससे कैसे पैदा होगा। जाति द्वेष तो होगा नहीं बल्कि व्यक्ति द्वेष होगा। आज जो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं ज्यादा काम लेकर कम पैसा दे रहे हैं उनके मन में अवश्य द्वेष पैदा होगा और वे लोग कानून तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। मैं सरकार को सचेत करने के लिये ऐसा कहता हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जबकि लोग इस कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे और एक रुपये से कम मजदूरी देकर अनुचित तरीके से जबरदस्ती खेत मजदूरों से काम लेना चाहेंगे, उसके लिये मैं समझता हूं सरकार के पास काफी मात्रा में शक्ति है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी और सदन के माननीय मेम्बरों से यह अपील करूंगा कि यह एक निर्दोष प्रस्ताव है उसको स्वीकार करें। यह न समझें कि यह प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने पेश किया है बल्कि वे यह समझें कि वह तो जनता के हृदय से निकली हुई कल्पना का मूर्तिमान स्वरूप है। यह केवल उन्हीं का प्रस्ताव नहीं है बल्कि सारे सदन का प्रस्ताव है अगर माननीय कृषि मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे तो सदन उनका बहुत अनुग्रहीत होगा।

अध्यक्ष--जब माननीय शिव नारायण जी खड़े हुआ करें तो माननीय सदस्य ताली न बजाया करें। यह उचित नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि आज जो प्राब्लम हाउस के सामने उपस्थित है उन लोगों के ऊपर सब की खाने की समस्या मुन्हसिर है। यहां पर बहुत से ठाकुर साहबान और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उन्होंने माननीय झारखंडे राय जी के प्रस्ताव को कम्युनिस्ट प्रचार का प्रस्ताव कहा और यह कहा कि यह बहुत ही घोर प्रस्ताव है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उन्हें इससे भी अधिक सख्त प्रस्ताव लाना चाहिए था। २० आना रोज की मजदूरी तो आज लोग ले रहे हैं। मैं गांवों का रहने वाला हूं, झोंपड़ियों का रहने वाला हूं, मैं इन सब बातों को जानता हूं। आज आप देखिए कि गवर्नमेंट के फार्मों पर भी एक रुपया से अधिक मजदूरी दी जा रही है। आपने सिर्फ प्रोपेगेन्डा मात्र के लिये यह रिज्योलूशन रखा है। झारखंडे राय जी को ऐसा प्रस्ताव रखना चाहिए था कि जिससे जलजला आ जाता। मैं भी उसका अनुमोदन करता।

अध्यक्ष--आप दूसरे सदस्यों से प्रत्यक्ष रूप में न बोलें।

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, यूं बता देना चाहता हूं कि मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है एक मैथेटिक अपील है। आज मुल्क के अन्दर यह नारा लगाया जाता है कि 'कमाने वाला खायेगा' लेकिन आप केवल यहां कहते हैं क्यों नहीं किसानों से जाकर कहते हो और वहां एजीटेशन करते हो कि कमाने वाला खायेगा। आप उनको इस बात के लिये तैयार

[श्री शिवनारायण]

करें। अगर आप ऐसा करें तो मैं उसको वेलकम करूंगा। हमारी तो गवर्नमेंट से कहने की और ऐसी बातों की ओर उसका ध्यान दिलाने की प्राइम ड्यूटी है, गवर्नमेंट को हमेशा ही सचेत करने की हम अपनी प्राइम ड्यूटी समझते हैं। जब जब हमें कोई कमी मालूम होगी हम सरकार के सामने रखेंगे। बाम पक्षियों की ओर से कहा जाता है कि हमारे यहां बोलने पर, अपने विचार प्रगट करने पर बैन लगी हुई है लेकिन यह बात नहीं है.....।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपया प्रस्ताव पर बोलें।

श्री शिवनारायण--उसका प्रबन्ध रिज्योलूशन से नहीं होता। खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान होना चाहिए। मैं सन् १४ की लड़ाई का जर्मनी का एक शिगूफा सुनाना चाहता हूं। जब सुलहनामा तय होने लगा तो जर्मनी वालों ने अंग्रेजों से कहा कि हमें खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान दो, हम सरेंडर करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात को नहीं माने।

राजा वीरेन्द्र शाह--अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात का प्रस्ताव से क्या संबन्ध है?

श्री शिवनारायण--यह भी गरीबों की ही बात ह राजा साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं तो राजा साहब को बतलाना चाहता हूं कि मैं तो मजदूर ही हूं।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस तरह से उनको जवाब न दें।

श्री शिवनारायण--उनके खाने कपड़े का प्रबन्ध हो, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध हो, उनके पढ़ाने-लिखाने के साथ ही उनकी डाक्टरी दवा-दारू का प्रबन्ध हो, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। एक रुपये की मजदूरी में ये सारी बातें कैसे हो सकती हैं। आज तो एक आदमी एक रुपया रोज खा लेता है फिर भी पेट नहीं भरता है। मुझे दुःख है कि मेरे दोस्त ने एक रुपया का ही प्रस्ताव रखा। उनको तो और बेशी रखना चाहिए था और वह भी कम्बाइन के रूप में नहीं बल्कि गल्ले के रूप में रखना चाहिए था। मान लीजिए कि किसी ने आपके यहां दिन भर काम किया, हल जोता और आपने शाम को उसे एक रुपया दे दिया, तो फिर वह अनाज कहां से लावेगा। प्रैक्टिकली जो कठिनाइयां सामने आई हैं वह मैं बतला रहा हूं कि दिन भर उस शख्स ने किसी बाबू के यहां काम किया और उन्होंने शाम को उसे दो आने पैसे दे दिये लेकिन उसे गल्ला कहीं नहीं मिला। तो फिर वह गल्ला कहां से लावेगा। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ अपने माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने-अपने क्षेत्रों में जाय और वहां इत्मीनान से इस बात का प्रचार करें कि भाई, खेतिहर मजदूरों के खाने, कपड़े और रहने के लिये मकान का प्रबन्ध किया जाय और उन्हें उचित मजदूरी दी जाय। पंडित सीताराम शुक्ल जी ने जो उचित मजदूरी का नाम लिया उसका मतलब यही है कि आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो आपकी समझ में उचित आवे, चार-पांच सेर, तीन सेर गल्ला ही उन्हें मजदूरी में देने का प्रबन्ध हो जाय तो बड़ा अच्छा हो। यह कोई मिल मजदूरों का क्वेश्चन नहीं है बल्कि खेतिहर मजदूरों का क्वेश्चन है जोकि सीजनल होता है। मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि हम लोग जानते हैं कि खेती का काम तीन महीना इधर होता है और तीन महीना उधर, साल भर नहीं होता है। उसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर इतना प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि जिस दिन हमें कहीं पर ५ सेर या ८ सेर या १० सेर मजदूरी मिलती हो उस दिन हमें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया जाय और वही तीन-चार सेर मजदूरी दी जाय। क्योंकि कुवार के महीने में धान की फसल के वक्त मजदूरी में ८-१० सेर तक धान मजदूरी के रूप में मिल जाता है। तो मेरा कहना यह है कि जिस ढंग से, जिस रवैये से हमारी सरकार चल रही है उसी ढंग से उसको चलने देना चाहिये। आज कुछ पोलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो अपना स्वार्थ साधने के लिये, केवल मजदूरों को मिसयूज करने के लिये इस तरह का नारा लगाती फिरती हैं। मुझे याद है, मैं भी खेतिहर मजदूर का ही बच्चा हूं और मैं

जानता हूं कि आप ही बाद में कहने लगेंगे कि अजी, यह तो चमारों, हरिजनों और मजदूरों की समस्या है, इसमें क्या रखा है। मैं श्री झारखंडे राय जी को बतलाना चाहता हूं कि आपको शुकदेव, भगत सिंह और राजगुरू का वह नारा याद रखना चाहिए कि गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान शान्ति है।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस तरह से नाम लेकर जिक्र न करें। यही कारण है कि जिससे गरमा-गरमी हो जाया करती है और मैं उचित नहीं समझता कि सदन के अन्दर गरमा-गरमी हो।

श्री शिवनारायण--अगर अध्यक्ष महोदय उसे अनुचित समझते हैं तो मैं उसे वापस लेता हूं। मैं आपके द्वारा निहायत ठंडे दिल से इत्मीनान से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मजदूर के बच्चे हैं, मजदूरों के घर से आये हैं और जो इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है। श्री झारखंडे राय जी ने जो एक रुपया मजदूरी का प्रस्ताव रखा है मैं उसकी ताईद करता हूं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा और वजन होता तो मैं उसका स्वागत करता। मैं उनके रिजोल्यूशन की दिल से ताईद कर रहा हूं। लेकिन जरा देहात का नक्शा बयान कर रहा हूं। मेरे बहुत से भाई समझते हैं कि शिवनारायण हरिजन प्राब्लम पर नहीं बोलते। मैं उनका नुमाइन्दा हूं और उनकी कठिनाईयों को समझता हूं। हम सरकार से लड़ेंगे, नंगई करेंगे, रोकर-चिल्ला कर उनकी समस्यायों को हल करायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

बैठक का कार्य-काल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आध घंटा और बैठे।

एक सदस्य--मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरा सदस्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर अभी बहस जारी रहे।

अध्यक्ष--माननीय वीरेन्द्र शाह क्या आप अपने प्रस्ताव पर जोर देते हैं?

राजा वीरेन्द्र शाह--जी हां।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन आधा घंटा के लिए इस पर और वाद-विवाद जारी रखे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में श्री देवकीनन्दन विभव द्वारा २४ सितम्बर, १९५२ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, २४ सितम्बर को मैंने चीजों की मिलावट और प्योर फूड ऐक्ट के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न इस सदन में किये थे। मुझे अफसोस है कि जो जवाब मुझे मिला उससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उस प्रश्न को माननीय मन्त्री जी ने उतना महत्व नहीं दिया जितना कि वास्तव में देना चाहिए था। मैं जानता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री इस प्रान्त के स्वास्थ्य के लिये जितने उद्योग-शील हैं वह आज किसी से छिपा नहीं है और इस प्रश्न को उठाने का मेरा आशय यही था कि मैं मन्त्री जी को इस प्रश्न की गहनता बताऊं और उनसे निवेदन करूं कि यह समस्या ऐसी है जिस पर प्रान्त की सरकार की शक्तियां केन्द्रित होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वस्थ्य मन्त्री जी ने ही अपने एक भाषण में इस बात को स्वीकार किया था कि प्रान्त में मिलावट तेजी से बढ़ गयी है और उसका कारण उन्होंने खाद्य पदार्थों की कमी बतलाई थी। मैं जानता हूं कि यह बात सही है कि चीजों की कमी है और कमी होने पर ऐसा

[श्री देवकीनन्दन विभव]

होता है। लेकिन मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि दूसरे देशों में भी ऐसी समस्यायें हुई हैं।

जर्मनी में आपको याद होगा युद्ध के दिनों में खाद्य पदार्थों का कितना संकट था। लेकिन वहां शुद्ध पदार्थ शुद्ध कह कर बिकते थे और बनावटी पदार्थ जो बनते थे वे बनावटी कह कर बिकते थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस देश में शुद्ध चीजें कह करके अशुद्ध चीजें दी जा रही हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि फूड के जो संपिल्स लिये गये, यानी सन् ४३ में ६१८३ सैम्पिल्स लिये गये और ४७.४ फी सदी उसमें से मिलावट के पाये गये। इससे पूर्व सन् १९४६ में ४५.६९ और सन् ४५ में ४०.४९ फी सदी मिलावट पाई गई थी। इससे हमें मालूम पड़ता है कि यही हालत मक्खन की है। मक्खन के भी जब सैम्पिल्स लिये गये तो उनमें सन् ४५ में ३० फीसदी मिश्रित पाये गये, सन् ४७ में ३७.६ मिश्रित सैम्पिल्स मिले और आटे की जो स्थिति है वह भी गम्भीर है कि जहां सन् ४५ में ८.१५ फीसदी सैम्पिल्स मिश्रित पाये गये वहां सन् ४७ में ३४.१ फी सदी यानी एक तिहाई से ज्यादा आटा मिश्रित मिलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सैम्पिल्स की बात है और इस सम्बन्ध में मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि मैंने जितनी भी रिपोर्ट और अंक देखे इस सम्बन्ध में मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह सही नहीं है। पहले तो सन् ४७ के बात की मेडीकल हेल्थ की रिपोर्ट सन् १९५० में जाकर प्रकाशित हुई और उसके बाद कोई रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं हुई है, जिससे हमको यह सही सही अंक मालूम हो। उसके बाद मैं यह समझता हूं कि इसमें स्वास्थ्य विभाग से सही सूचना नहीं मिलती। इसमें मैं जिम्मेदार नहीं ठहराता लेकिन रिपोर्ट को देर से प्रकाशित करने में तो उनकी जिम्मेदारी है। आज देश की परिस्थिति क्या है? मैंने तो कोशिश इस बात की जानने की की कि ऐबडामिनल डिजीजेज पेट के रोगों से कितने लोग मरते हैं और उनकी किस तरह से बढ़ती हो रही है। मेरा विश्वास यह है कि ऐबडामिनल डिजीजेज की संख्या देश में बढ़ रही है और यह मुझे अंकों के देखने से मालूम हुआ। लेकिन इस देश में इन अंकों पर, विशेषकर स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निर्भर करना बड़ा कठिन है। क्योंकि देहात में जो कारण दिखाये जाते हैं मृत्यु के वह कभी सही नहीं हो सकते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ४७ के जो मेरे पास अंक हैं वह यह हैं कि इस प्रदेश में १६,०१० मृत्यु डायरियां और डिसेंटरी से हुई और जो एक रोग ड्राप्सी, जलोदर का है जिसके बारे मे स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार किया है कि यह तेल के बीजों के साथ और कटेरी के बीज मिल जाने से जिन्हें आर्जिमान मेक्सी करना कहते हैं जलोदर रोग बढ़ जाता हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जायं।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हो गया)

अध्यक्ष----माननीय देवकी नन्दन विभव, जरा संक्षेप में कहें।

श्री देवकीनन्दन विभव--जी हां, मैं संक्षेप में ही भाषण करूंगा। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप तीन करोड़ रुपया प्रान्त के स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य औषधियों से उस समय तक ठीक नहीं हो सकता है जब तक कि यहां आप शुद्ध खाद्य पदार्थों की अवेलिटी का प्रबन्ध न करें। हमारी योजनाओं का उपयोग होगा यदि हम अपने देश के आगे आने वाले बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकते और वह स्वच्छ भोजन की शुद्धता के वगैर नहीं हो सकता। इसलिये मैं खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यदि देश की रक्षा करनी है, देश के भावी संतानों की रक्षा करनी है तो हमें उसके लिये कड़ा कदम उठाना चाहिए। मैंने दूसरे प्रान्तों के ऐक्ट्स का अध्ययन किया है, परन्तु इस प्रान्त का जो एन्टी अडल्ट्रेशन ऐक्ट है उसको देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि वह बहुत ही अपूर्ण

है और इनडिफेक्टिव है। मैं आपसे कहना चहता हूं कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस तरह का ईविल रोग कानून से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून से सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आप कड़ा कानून बनावें। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि वे इसके लिय अपनी कांस्टीटूयंसी क्षत्र में कोशिश करें और इसके लिये आन्दोलन करें कि यह न हों। अपनी कांस्टीटूएन्सी में मैंने कुछ वालन्टियर्स बनाए हैं और मैं इस बात का प्रयत्न करने जा रहा हूं कि इसमें कुछ रोकथाम की जाय। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार सम्बद्ध मन्त्री जी को उत्तर देने के लिये उपस्थित रहना चाहिए, परन्तु वे यहां हैं नहीं।

अध्यक्ष--उपमन्त्री जी मौजूद हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसमें श्रीमान्, स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय मन्त्री जी ही उत्तर देंगे।

अध्यक्ष--मन्त्री में उपमन्त्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी शामिल हैं। जो नियम का वाक्य है उसमें सब शामिल हो जाते हैं और माननीय सदस्य भी शामिल हो सकते हैं यदि मन्त्री आपको ऐसा अधिकार दे दें।

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विभव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रान्त के एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जनता तथा सरकार का ध्यान खींचा है। इस प्रश्न की गुरुता और इसके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रान्त के स्वास्थ्य के लिये खाद्य पदार्थों की शुद्धता और उनकी पवित्रता बहुत आवश्यक है और इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस समय शुद्ध खाद्य पदार्थों की कमी केवल हमारे प्रान्त में ही नहीं, बल्कि हमारे तमाम देश के अन्दर है और इस बात के लिये प्रयत्न की जरूरत है कि जनता को शुद्ध पदार्थ काफी मात्रा में मिल सके। इस प्रदेश में कुछ समय से इस बात की कोशिश की जा रही है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा सके और सबसे पहले इस तरफ प्योर फूड ऐक्ट बना करके प्रयत्न किया गया जिसके लिये नियम भी बनाये गये और जनता से सुझाव तथा आपत्तियां मांगी गई वह तो कुछ हद तक प्राप्त भी हो गये हैं और विभाग के द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है। और बहुत जल्दी ही प्योर फूड ऐक्ट अमल के अन्दर आ जायगा। इस समय केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अनुसार मिलावट की चीजों के बारे में कोई ऐक्शन लिया जाय। अब तक सरकार की तरफ से जो कार्यवाही मिलावट की चीजों पर की जाती थी दन्ड देने के लिये वह प्रिवेन्शन आफ एडल्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत थी। यह ऐक्ट काफी पुराना है और इसी के मातहत अब तक सरकार की कार्यवाही सीमित थी। लेकिन हाल के सालों में बराबर जो नमूने सरकार की ओर से लिये गय, उनका विश्लेषण किया गया वह बराबर बढ़ता चला जाता है और हमारे प्रान्त के पब्लिक एनालिस्ट का डिपार्टमेंट यदि बढ़ता चला जाता है तो यह इस बात का द्योतक है कि सरकार पूरे तरीके से सजग है और इस मिलावट की बीमारी का सामना वह दृढता के साथ करना चाहती है। अभी कुछ समय हुआ सरसों के तेल में कटीली के बीजों की मिलावट का, जो एक प्रकार का जहर होता है, एक मुख्य प्रश्न था। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश के नतीजे के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहां तक कटीली के बीजों की मिलावट का प्रश्न है उस पर तो बहुत कुछ हद तक काबू पा लिया गया है और जनता को सरसों का तेल या अन्य तेल काफी हद तक शुद्ध मिलने लगे हैं। प्योर फूड के मातहत जो इस वक्त कार्यवाही करने का निश्चिय किया गया है उसके द्वारा तो बहुत कुछ हद तक इस प्रान्त के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के अन्दर मदद मिलेगी। इस वक्त का जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें पहले जर्म [illegible] २०० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है

[श्री बनारसी दास]

और बाद में एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है, लेकिन उसमें सजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें घी की मिलावट पर तो पहली मर्तबा ही दो हजार रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार दे दिया गया है और दूसरी मर्तबा दो हजार रुपये तक जुर्माना के साथ ही साथ दो साल की सख्त सजा तक का विधान किया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सजा और जुर्माना दोनों को लागू कर देने से मिलावट जो लोग करते हैं उनके दिलों में भय पैदा करने में काफी मदद मिलगी। इसके अतिरिक्त इस वक्त तक का जो मौजूदा स्टाफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का था वह बहुत नाकाफी था। हेल्थ आफिसर्स अपने सैनीटरी इन्स्पेक्टर्स की मदद से सैम्पुल लेते थे, उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि वे वहीं सैम्पुल ले सकते थे यदि कोई अपना परिचय गलत देता था और वह चला जाता था। उसको कोई रोकथाम नहीं थी। लेकिन प्योर फूड ऐक्ट में पुलिस के अधिकार फूड इस्पेक्टर्स को दिये जा रहे हैं कि जिसके मातहत यदि किसी व्यक्ति पर उसकी चीज के बारे में शक होता है तो पुलिस अधिकारियों की तरह उसको २४ घंटे के लिये हवालात में बन्द किया जा सकता है और बाद को उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से इस मौजूदा ऐक्ट के मातहत जो नियम बन रहे हैं उनमें सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा फूड इस्पेक्टर्स नियुक्त कर सकती है। यह इस समय सरकार के विचाराधीन है कि केवल सैनीटरी इस्पेक्टर इतने बढ़ते हुए प्रश्न को हल करने के लिये काफी नहीं है। तो इसलिये इस पर विचार किया जा रहा है कि आनरेरी फूड इन्स्पेक्टर्स नियुक्त किये जायं। इसमें म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन होंगे, डिस्टिक्ट बोर्ड के चेयरमैन होंगे, इन दोनों संस्थाओं के सेक्रेटरी होंगे, एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० तथा एस० डी० ओज होंगे। इन सब को इस बात का अधिकार दे दिया जाय कि ये लोग सैम्पुल ले सकें। एक कठिनाई और थी कि यदि इस प्रकार की मिलावट की चीजें ट्रान्जिट में होती थीं तो उनको नहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन प्योर फूड ऐक्ट के अमल में आ जाने के बाद न केवल जिस समय कोई चीज बिक्री के लिये दूकान पर होगी बल्कि वह किसी भी व्हिकिल में जिस वक्त जा रही होगी उस समय भी फूड इन्स्पेक्टर को इस बात के अधिकार होंगे कि उसका वे सैम्पुल ले सकें और उनको गिरफ्तार कर सकें। अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन एक फूड ऐक्ट है जिसमें एक बड़ा ही आवश्यक प्राविजन किया गया है कि यदि किसी चीज के बारे में शक हो तो उसके स्टाक्स को सीज किया जा सकता है और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट को अन्तिम अधिकार है कि वह इसके डिस्पोजल के सम्बन्ध में आदेश दे। आजकल के कानून में यह है कि जिस चीज का हम सैम्पुल लेते हैं तो वह चीज वैसे ही छोड़ दी जाती है और उसका मालिक उस चीज को उसी शक्ल में डिस्पोज आफ कर सकता है, केन्द्रीय सरकार के इस कानून के पास हो जाने के बाद एक बड़ा अच्छा हथियार हमारी प्रान्तीय सरकार के हाथ में आ जायगा जिससे इन चीजों की प्योरिटी अमल में लाई जा सकेगी।

आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां तक मिलावट के रोकने का प्रश्न है सरकार इस प्रश्न को कितनी गम्भीरता के साथ देखती है। इस समय जुलाई के महीने की रिपोर्ट मेरे सामने है। इसके अन्दर १७७३ सैम्पिल लिये गये और ४१८ प्रासीक्यूशन्स किये गये जिनमें से ३०० को सजा हुई और जिसके नतीजे पर २६१३० रुपया जुर्माने के शक्ल में वसूल किया गया। इन आंकड़ों के अन्दर तीन म्युनिसिपैलिटीज और पांच डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आंकड़े शामिल नहीं हैं। यदि इनको मिला लिया जायगा तो संख्या में काफी वृद्धि हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त जो हमारे यहां अब तक पब्लिक एनालिस्ट डिपार्टमेंट था उसमें केवल १९ पब्लिक एनालिस्ट थे अब २१ कर दिये गये हैं। साल भर में एक पब्लिक एनालिस्ट एक हजार सैम्पिल को एवजामिन कर सकता है। अनुमान है कि २४ हजार सैम्पिल्स होंगे इस लिये डिपार्टमेंट चार एनालिस्ट को और बढ़ाने के लिये लिखा है और गवर्नमेंट उस पर

गम्भीरतापुर्वक विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त उचित सुपरवीजन के लिये एक गजटेड आफ़िसर को भी मुकर्रर करना चाहते हैं जिससे सुपरवीजन अच्छी तरह से हो सके।

इस सरकार की ओर से जहां तक कानूनी कार्यवाही का सवाल है तो प्रयत्न किये गये हैं। लेकिन वास्तव में मिलावट को दूर करके जनता को शुद्ध चीज सप्लाई करने का मुख्य प्रश्न है। अभी हाल में लखनऊ में भटुक डेरी और कोअपरेटिव मिल्क यूनियन द्वारा तथा अलीगढ़ में गवर्नमेंट डेरी की तरफ से जनता की चीजें सप्लाई की जाती हैं और यह ऐसे प्रयत्न हैं जिनके द्वारा सरकार ने प्रयत्न किया है कि जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ काफी मात्रा में मिल सके।

यह ६ करोड़ जनता के स्वास्थ्य का सवाल है और इसको गवर्नमेंट लेविल पर ही हल करना कठिन है। सबसे पहला और मुख्य सवाल तो यह है कि मिलावट को रोकने के लिये लोकमत जागृत किया जाय। जैसा कि अभी हमारे साथी श्री विभव जी ने कहा है कि वह वालन्टियर्स बनाने के लिये तैयार हैं। वास्तव में यह कदम उनका बड़ा ही सराहनीय है। आपने वालन्टियर्स बनाने का जो इरादा जाहिर किया है, यदि वह सफल हो सके तो एक ऐसा कार्य होगा जो औरों के लिये अनुकरणीय होगा।

यह सवाल प्रासीक्यूशन के द्वारा या गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। कानून तो समाज में विधिकरण करता है, कोडीफिकेशन करता है। जिन अपराधों के बारे में लोकमत जागृत न हो तो अच्छे से अच्छा कानून भी अच्छा तरीका नहीं ला सकता है।

अध्यक्ष—माननीय सभासचिव जी संक्षेप में ही उत्तर दें क्योंकि साढ़े पांच बजे खत्म करना है।

श्री बनारसीदास—मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले हमारे यहां प्रिवेन्शन आफ एडल्ट्रेशन ऐक्ट था उसकी जगह अब प्योर फूड ऐक्ट हो जायगा। जहां तक कानून और सरकारी मशीनरी का सवाल है तो काफी काम हुआ है। इंस्पेक्टर्स की भी बहुत सी जगह बढ़ी है और हमें उम्मीद है कि जनता का भी सहयोग होगा और नानआफिशियल को फूड इन्स्पेक्टर्स मुकर्रर करके हमें और भी ज्यादा सहयोग मिल सकेगा। इस प्रकार से काम हो रहा है। जहां तक कानून का सवाल है तो हम उसको रोकने में समर्थ होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस बात की अत्यन्त जरूरत है कि लोकमत जाग्रत किया जाय। इससे मुझे आशा है कि हम जनता के सहयोग से बढ़ती हुई मिलावट को रोकने में समर्थ होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो एडल्ट्रेटेड माल दूसरे प्रान्तों से प्रदेश के अन्दर आता है उसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसीदास—उसके सम्बन्ध में जो मौजूदा प्रिवेन्शन आफ एडल्ट्रेटेड ऐक्ट है वह लागू होता है। जो मिला हुआ माल हमारे प्रान्त के अन्दर आयगा या स्टाकिस्ट के पास आयेगा उसके सैम्पिल्स लिये जा सकते हैं यदि मिलावट होगी तो प्रासीक्यूशन किया जा सकता है। वस्तुतः किसी माल के इम्पोर्ट पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार के सामने बनस्पति घी को रंगने की कोई योजना थी? यदि हां, तो उस पर क्या हो रहा है?

श्री बनारसीदास—पहले इसी सदन के अन्दर माननीय मन्त्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि जो इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ बतला सकेगा जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो तो १० हजार रुपया इनाम में दिया जायगा। लेकिन अभी तक कोई रासायनिक पदार्थ नहीं मिल पाया है। इस वक्त जो विजिटेबिल आयल होता है उसके अन्दर तेल मिला दिया जाता है, जिससे उसके लिये कठिनता होती है और पहिचानने में आसानी होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि रामनिंग की दूकानों पर आटे में मिलावट होती है। जो लोग ऐसी मिलावट करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है ?

श्री बनारसी दास--यह प्रश्न तो किसी विशेष घटना से सम्बन्ध रखता है ऐसा कोई आम नियम नहीं है, न आम इस प्रकार की शिकायतें हैं कि आटे के अन्दर मिलावट पाई जाती है। यदि हां, इस प्रकार की कोई सूचना माननीय सदस्य देने की कृपा करेंगे तो जरूर सरकार उसपर ऐक्शन लेगी।

श्री देवकीनन्दन विभव--मुझे अब इस पर कोई विशेष बात नहीं कहनी है। मैं सिर्फ एक बात पुनः मन्त्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह जिस लेविल पर काम कर रहे हैं उससे कुछ अधिक करने का प्रयत्न करें क्योंकि यह प्रश्न देश और प्रदेश दोनों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री बनारसीदास--श्रीमान्, अभी इस सम्बन्ध में मैंने जो निवेदन किया इस प्रश्न की गुरुता से सरकार अनभिज्ञ नहीं है। जैसा माननीय विभव जी ने कहा वास्तव में यह ऐसा प्रश्न है जिस पर अधिक सतर्कता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पदार्थों की मिलावट का सम्बन्ध है सरकार पूर्ण दृढ़ता के साथ इसमें आगे बढ़ेगी और इस बात का प्रयत्न करेगी कि जनता को शुद्ध चीजें सुलभ हो सकें।

अध्यक्ष--अब इस पर विवाद समाप्त हुआ। हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर सोमवार, १३ अक्तूबर, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१० अक्तूबर, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—४७ एल० ए०—१९५२—८३०